खण्ड-259, अंक-6
सोमवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(30 अगस्त, 1965 ई0)

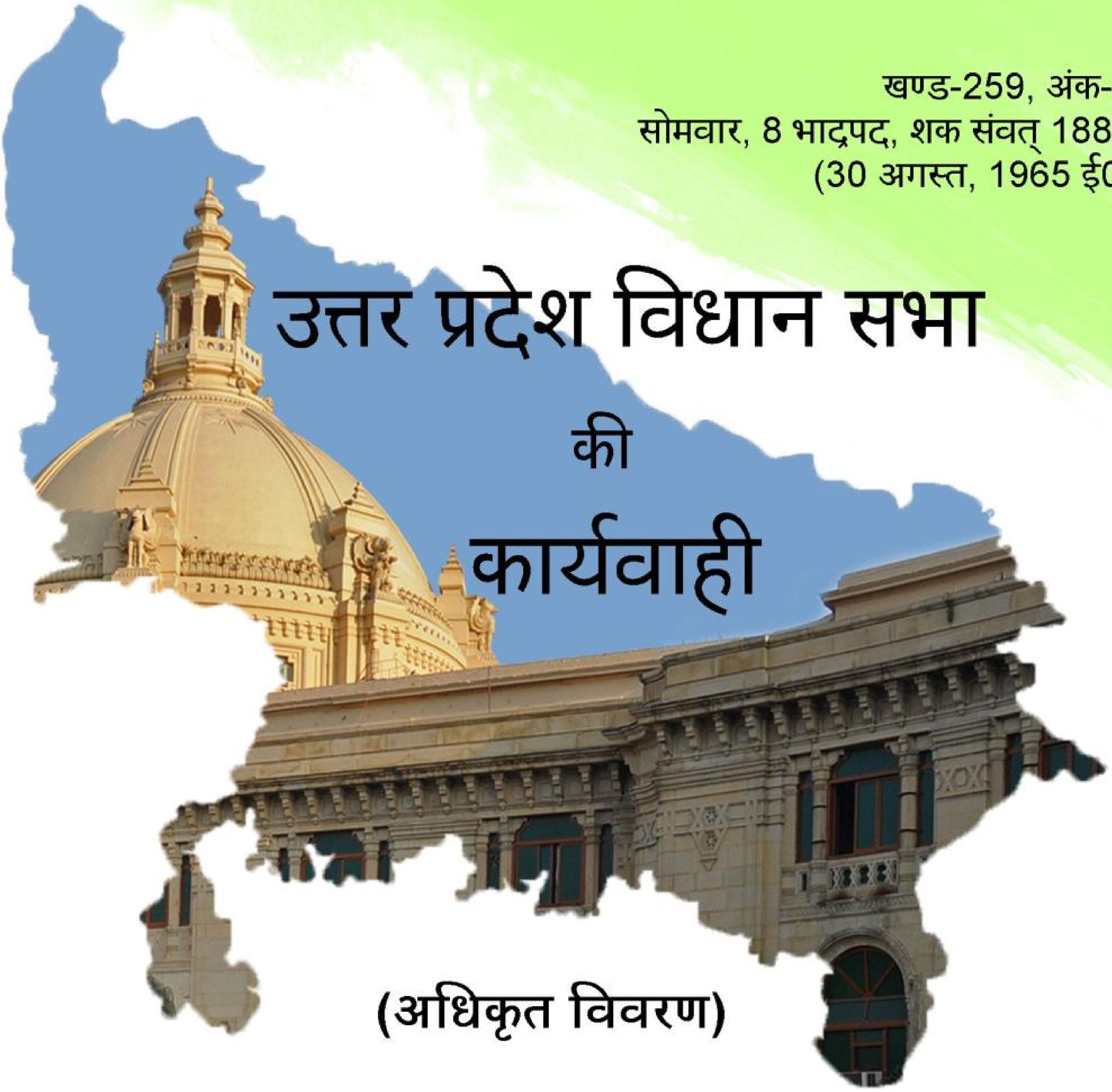

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५१३–५१७
मंत्रिमंडल के कार्य करने पर वैधानिक आपत्ति	५१७–५१८
प्रश्नोत्तर	५१८–५४०
गोरखपुर गोलीकांड की न्यायिक जांच की मांग	५४०–५४१
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें	५४१
कानपुर स्थित म्योर तथा महेश्वरी देवी जूट मिल के बन्द होने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	५४१
लखनऊ में मीलाद शरीफ के अवसर पर पुलिस द्वारा नागरिकों को पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	५४१–५४२
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	५४२
कतिपय विषय	५४२
प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा त्यागपत्र देने के निर्णय तथा काले बैज लगाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५४३–५५१
लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल, गाजीपुर में जूनियर हाई स्कूल लड़कों को निकाल देने के कमिश्नर के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य	५५१–५५२
सदन का सप्ताहिक कार्यक्रम	५५२–५५६
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (विचार जारी) ..	५५६–६०५
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरःस्थापित किया गया)	६०५–६०६
नत्थियां	६०७–६१८

संसदीय प्रलेख समूह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३० अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हबीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुण कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैटाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
न देवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम बैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेज सिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री

रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुम सिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री.
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

मंत्रिमण्डल के कार्य करने पर वैधानिक आपत्ति

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था तो जब कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय तभी उसके सम्बन्ध में हो सकती है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप बैठ गये तो कार्यवाही तो शुरू हो ही गई ....

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में कहियेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, जरा सुन लें, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि १०० से अधिक सरकारी दल के सदस्यों ने इस्तीफा दिया है और एक सदस्य के द्वारा दिया है लेकिन वह सारे इस्तीफे लेकर दिल्ली भाग गये हैं, इससे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और जब सरकारी पार्टी के १०० सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है तो नेता सदन को सदन का विश्वास फिर से प्राप्त करना

चाहिये और बगैर उसके यह सदन वैधानिक तरीके से नहीं चल सकता। मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था में माननीय मुख्य मंत्री को फिर से सदन का विश्वास प्राप्त करना चाहिये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

हमें कोई सूचना इस बात की नहीं है कि ऐसी कोई बात है।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३० अगस्त, १९६५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों का आवंटन

**१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित) तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार राज्य में अकाल की गम्भीर स्थिति को देखते हुये देहाती क्षेत्र तथा कस्बों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध न होने के कारण देहाती क्षेत्रों तथा कस्बों में सस्ते गल्ल की दूकानें खोलना संभव नहीं हो सकेगा। फिर भी माह सितम्बर, १९६५ के लिये कुछ खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी गई है, जिसका विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०७ पर)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर महापालिका क्षेत्र में गांव

*१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के विकास खंड (क्षेत्र) सरसौल, बिधनू तथा कल्यानपुर के अन्तर्गत कौन-कौन ग्राम हैं जो नगर महापालिका, कानपुर के मास्टर प्लान के आधार पर नगर महापालिका, कानपुर की सीमा के अन्दर आ जाने वाले हैं जिसके कारण वे चकबन्दी कार्यक्रम से अलग कर दिये गये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

कानपुर जिले के सरसौल, बिधनू तथा कल्याणपुर विकास खंड (क्षेत्र) के अन्तर्गत नगर महापालिका कानपुर की सीमा में पड़ने वाले गांवों की सूची संलग्न है। इनमें से केवल मवैया गांव में चकबन्दी रोक दी गई है जिसका सम्भवतः कारण यह है कि यहां की लगभग सब भूमि चकेरी एयर फोर्स द्वारा अर्जित कर ली गई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६०८-६०९ पर)

कृषि विभाग में सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि १९६१ में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) जो कि नियोजन विभाग में कार्य कर रहे थे, उनकी सेवायें कृषि विभाग को सौंप दी गई थीं और उनकी कोई ग्रेडेशन लिस्ट अब तक नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

जी हां। ग्रेडेशन लिस्ट बनाने का प्रश्न सचिवालय के कई विभागों के मशविरे से तय किया जा रहा है।

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सहायक विकास अधिकारी (कृषि) जो कि ३१ मार्च, १९५७ तक स्थायी कर दिये गये थे, उनकी कोई पदोन्नति अब तक नहीं की गई है जबकि अस्थायी व जूनियर कृषि निरीक्षकों की पदोन्नति कर दी गई है? यदि हां, तो इस भेदभाव का कारण क्या है?

श्री गेंदासिंह—

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की कृषि विभाग में ज्येष्ठता सूची तैयार न होने के कारण इनकी अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग १ में पदोन्नति नहीं की गई।

[३० अगस्त, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फतेहपुर जिले में अल्प आय वर्ग गृह निर्माणार्थ ऋण

*१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

२६ अप्रैल, १९६५ के तारांकित प्रश्न ८० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के चारों ऋण गृहीताओं ने किन तिथियों को अपनी भूमि सहकारी बैंक, लखनऊ के पक्ष में बन्धक किया है और किन तिथियों को किस्तें देने की सिफारिश की गई है?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री ती तारा अग्रवाल)—

वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६१० पर)

*२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त प्रश्न ८० के ही उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने किस तिथि को आपत्ति की और सहकारी बैंक, लखनऊ ने इस योजना के अधीन कब से नये ऋण देना बन्द कर दिया है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यूं तो रिजर्व बैंक पहले से ही आपत्ति कर रहा था किन्तु १९६३–६४ में बैंक ने अपनी आपत्तियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार पर विशेष जोर दिया जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन १६ सितम्बर, १९६३ से नए ऋण देना बन्द कर दिया।

*३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की क्या आपत्ति थी और उसकी आपत्ति के बाद सहकारी बैंक, लखनऊ ने फतेहपुर के चारों व्यक्तियों की भूमि को क्यों बन्धक कराया?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

रिजर्व बैंक की आपत्ति थी कि गृह निर्माण कार्य के लिए दीर्घकालीन ऋणों का वितरण उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के उद्देश्यों के विरुद्ध है। बैंक इस आशा से कि सरकार इस कार्य के लिए दूसरी एजेन्सी शीघ्र ही स्थापित कर लेगी तथा इस विचार से कि योजना की प्रगति में बाधा न पड़े, ऋण स्वीकृत करता रहा। ऋण की स्वीकृति के उपरान्त भूमि का बन्धक किया जाना स्वाभाविक ही था।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब १६.–९–६३ को रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कह दिया था कि बैंक अब गृह निर्माताओं को रुपया नहीं देगा तो फिर उसके बाद बैंक ने फतेहपुर के चारों व्यक्तियों की दरख्वास्तें क्यों मंजूर कीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऋण देने की कार्यवाही एक एजेन्सी कर रही थी और वह आवेदन-पत्रों को मंजूर करने की कार्यवाही कर रही थी। जिस समय आवेदन-पत्र लिए गए और उन पर मंजूरी दी गई उसके बाद १६–९–६३ को रिजर्व बैंक ने बन्द किया। इस तरह से उनको नहीं मिला लेकिन यह कहना कि मंजूर क्यों किया, यह हम समझते हैं कि उचित नहीं है क्योंकि मंजूर करने वाले विभाग ने मंजूरी दे दी।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर मंजूर भी कर लिया था और बैंक ने मना भी कर दिया था कि रुपया नहीं दिया जायगा बैंक के द्वारा तो फिर उन की जमीनों को सोसाइटी और बैंक ने नवम्बर से जनवरी तक क्यों मार्गेज किया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऋण देने की कोई भी एजेन्सी नहीं थी जो मंजूरशुदा फार्मों पर ऋण देती।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन १९६३ में जिन दरख्वास्तों की मंजूरी हो गयी थी उन गृहीताओं की जमीनें मार्गेज भी हुईं पर उनको रुपया देने की व्यवस्था अब बैंक द्वारा सरकार नहीं कर रही है तो फिर किस एजेन्सी द्वारा करने जा रही है और कब तक यह रुपया दे दिया जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

फतेहपुर जिले की नगरपालिका यदि इस बात में समर्थ न हो तो वह ऋण ले ले और फिर वह आवेदनकर्ताओं को दे दे। समस्त जिलाधीशों को इस सम्बन्ध में आदेश भेज दिए गए हैं कि इस प्रकार वे ऋण नगर पालिकाओं द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। इसके सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हाउसिंग का विधेयक अपने सदन में पारित हो गया है और अब यह अपर हाउस में पहुंच गया है। पारित होने पर इसके द्वारा ऋण मिल सकेगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

मैं जानना चाहता हूं कि जब बैंकों के आदेश में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मकान बनाने के लिए ऋण नहीं मिलेगा तो बैंकों के अधिकारियों ने अनधिकृत रूप से कैसे सिफारिश कर दी और कैसे उनकी जमीन रहन कर दी और उनको परेशानी में डाल दिया? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में उन बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात सरकार सोचेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव्ज जो होते हैं वे इस प्रकार के आवेदन पत्र मंजूर करते हैं और सिफारिश भेजते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे भी तो गजटेड आफिसर हैं तो क्या वे अपनी आंखें बन्द करके काम करते हैं इस गैर जिम्मेदार कार्य के लिए आपको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए? दूसरे जब ४ व्यक्तियों की जमीन बन्धक में ले ली गयी और उनके प्रार्थना-पत्र पर रुपया देने के आदेश भी हो गए तो क्या सरकार आदेश देगी कि इन चारों व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से रुपया दे दिया जाय ताकि इन लोगों का काम हो जाय?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

आवेदकों के प्रार्थना-पत्र उन तारीखों में स्वीकार हुए जब कि बैंकों ने ऋण देना अस्वीकार कर दिया। इसलिए जब तक दूसरी एजेन्सी नहीं होती तब तक शीघ्रता नहीं हो सकती है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

फतेहपुर से मिले हुए सबर्ब में रहने वालों को क्या वही सुविधा दी जायगी जो नगरपालिकाओं के रहने वाले नागरिकों को है?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मैंने पहले ही अर्ज किया कि नगरपालिकाओं और महापालिकाओं में ये आदेश जा चुके हैं किन्तु इसके उपरान्त भी जैसे अन्य प्रदेशों में हाउसिंग बोर्ड के जरिए ऋण देने की व्यवस्था है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड की कार्यवाही हो रही है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

ये चार प्रार्थना-पत्र नगरपालिका, फतेहपुर के द्वारा वहां की हाउसिंग सोसाइटी के जरिए मंजूर किए गए थे और उसके बाद बैंक ने मंजूरी दे दी थी तो फिर इन लोगों को नए प्रार्थना-पत्र देकर ऋण लेने की क्या जरूरत पड़ी?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रार्थना-पत्रों की मंजूरी होना एक बात है लेकिन नियमानुकूल जब भूमि बन्धक के सम्बन्ध में कार्यवाही पूरी हो जाती है तभी ऋण दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में एक प्राइवेट सोसाइटी थी जिसमें ४ सदस्य थे और इन चारों सदस्यों ने भूमि बन्धक की, फिर इसके बाद बैंक को बन्धक कराई। इसके बाद असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से सिफारिश करा कर प्रार्थना-पत्र दिया गया। जब कार्यवाही पूरी हो गयी तो बैंक ने १६ सितम्बर, १९६४ तक के लिए जो आदेश दिए थे वह तारीख उस समय तक निकल गयी थी जिससे उनको ऋण नहीं मिल पाया।

सहारनपुर में सीवेज संबंधी दुर्घटनायें

*४---श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतायेंगे कि सहारनपुर नगर में हो रहे सीवेज के काम के दौरान सड़कें खोदने तथा पूरा इन्तजाम सुरक्षा का न होने से दिनांक १ मार्च, १९६४ से अब तक कितने लोगों को चोटें आयीं तथा कितने मोटर, तांगा, रिक्शा एक्सीडेंट हुए?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

केवल एक रिक्शा गिर जाने की सूचना मिली है। उस में बैठी जे० बी० जैन डिगरी कालेज की दो छात्राओं के चोटें आयीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

एक घटना माननीय मन्त्री ने बतलाई लेकिन इसके अलावा नगर के भिन्न-भिन्न हिस्सों में बहुत सी घटनायें हुई हैं और ऐसी घटना कोई नहीं है जो छिपी हुई हो और इसके अलावा उनका इन्दराज भी हुआ है तो क्या कारण है कि उन तमाम घटनाओं की सूचना माननीय मन्त्री के पास नहीं आई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य ने प्रश्न में पूछा है सीवेज योजना के सम्बन्ध में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में। ऐसे तो नगर में बहुत सी घटनायें होती हैं। जहां तक सीवेज योजना सम्बन्धी घटना है वह केवल एक हुई है, जो इस इत्तला में दी गयी है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि प्रताप रोड पर सीवेज धंस जाने की वजह से एक ट्रक जो गन्ने से लदा हुआ था, वह धंस गया और उसके नीचे ४ व्यक्ति आ कर मर गए पिछले सितम्बर, ६४ में ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मैंने फोन द्वारा परसों जानकारी हासिल करने की कोशिश की जिलाधीश से, लेकिन मेरे पास केवल एक ही घटना की सूचना आई।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इन दो लड़कियों का जिनका वर्णन आपने किया है, उनमें से एक की बांह टूट गयी है और दूसरी का दिमाग खराब हो गया जिससे वह इम्तहान नहीं दे सकी। तो क्या सरकार उन्हें कोई मुआवजा देने की कृपा करेगी क्योंकि रिक्शा समेत वे १२ फुट गड्ढे में गिरीं ?

श्री अध्यक्ष—

पहले घटना हुई हो तो मुआवजा मिले।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, यह तो उन्होंने माना है कि घटना हुई।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसा कोई विचार नहीं है।

बफर स्टाक तथा अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण

*५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० जून, १९६५ तक कितना गेहूं, चना, जौ सरकार ने बफर स्टाक बनाने के लिए खरीद किया ?

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

	मे० टन
गेहूं	४,६४४
गेहूं (सवाई का)	१४,६८७
चना	४,०१३
जौ	१,९२०

*६--श्री रियासत हुसैन--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गांव की दूकानों को जो गल्ला देना बन्द कर रखा है उनको दोबारा गल्ला देने की व्यवस्था कब से करने जा रहे हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सम्प्रति ऐसी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है तथापि अभावग्रस्त क्षेत्रों की अति पीड़ित जनता को सहायता देने के लिए खाद्यान्नों की एतदर्थ पूर्ति की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, पिछले साल जो सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई थीं वे नाकामयाब रहीं क्यों कि उनको गल्ला नहीं मिल सका तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सप्लाई को सामने रख कर इस साल कितना गल्ला खरीदने का लक्ष्य बनाया गया था, उसमें कितनी कमी रही और यदि कमी रही, तो क्यों रही ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, यद्यपि प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ लेकिन जहां तक मैं समझा, बतलाता हूं कि पिछले साल जितनी दूकानें थीं इस साल भी हम उतनी ही खोलना चाहते थे। मगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कोटा कम कर दिया। हमें ६० हजार टन मिलता है। इसी के हिसाब से बड़े-बड़े शहरों में जहां अन्न होता नहीं है वहां पर हमने पहले खोल दीं। फिर छोटे-छोटे टाउन्स में हैं और उन देहाती क्षेत्रों में जो बहुत अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, भेजने का प्रबन्ध किया है।

श्री अध्यक्ष--

सवाल में इतनी बहस हो जाती है कि सवाल का असली मंशा ही खत्म हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहस न करके सवाल किए जायं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, पिछले साल जितनी दुकानें खुली थीं उनको गल्ला नहीं दे पाए। इस चीज को सामने रख कर इस साल उन्होंने गल्ला प्राप्त करने का कितना लक्ष्य बनाया था और उसमें कमी क्यों रही ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस साल की पैदावार को देखते हुए आवश्यकता नहीं थी कि देहाती क्षेत्रों में कस्बों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं। लेकिन सूखा पड़ा और परिस्थिति बदल गई, उसके मुताबिक काम हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा सवाल साफ नहीं हुआ। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपने पालिसी बनाई कि गल्ला खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको जरूर। महसूस हु ा कि स्टाक बनान है। आपने कितना गल्ला खरीदने का लक्ष्य बनाया था और उसमें कितनी कमी रही और वह कमी क्यों रही ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, कोई लक्ष्य नहीं बनाया गया क्योंकि फसल अच्छी थी इसलिए उम्मीद थी कि कीमतें गिर जायंगी। अगर हम बाजार में उतरते तो कीमतें बढ़ जाने का डर था, इसलिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मन्त्री जी अकालग्रस्त स्थिति को देखते हुए सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं? यदि हां, तो कितनी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, यह मैंने बता दिया कि उन जिलों में जहां बहुत अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को एडहाक कोटा दे रहे हैं और जहां ज्यादा क्षति बताई है उनमें पहले खोल दें और उनके ऊपर छोड़ दिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आपने कहा कि बफर स्टाक बनाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई और गांवों में दूकानें न खोलने का मकसद था कि कीमतें न बढ़ने पायें? क्या वह पूरा हो रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो कीमतों को रोकने के लिए वे क्या कर रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने बताया कि पहले यह किसी को सम्भावना नहीं थी कि जुलाई और अगस्त में पानी नहीं बरसेगा। अब जिन क्षेत्रों में कीमतें बहुत बढ़ रही हैं उन जिलों को विशेष रूप से सहायता दे कर एडहाक रूप से कोटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस को दे दिया गया है, वह उन जगहों पर दूकानें खोलेंगे। बाकी आगे का प्रोग्राम दूसरा है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या यह सच है कि आपके सरकारी अफसरों के खरीद न करने की वजह से ५९ हजार मन गल्ला आया, जबकि आपके पास करोड़ों रुपए गल्ला खरीदने के लिए थे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने वालंटरी बेसिस पर किया था। हमने मूवमेंट बैन नहीं किया था, जबरदस्ती नहीं किया था।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में जहां-जहां अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहां गल्ले की दूकानें खोलने के लिए जो जिलाधीशों को आदेश दिया था, वहां दूकानें खुल गयीं या नहीं, इसकी रिपोर्ट आपके पास है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसा आदेश करीब-करीब सब जिलों को दे दिया गया है, उसमें जौनपुर भी है। उनको ऐडहाक कोटा दे दिया गया है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ऐडहाक कोटा सारे प्रदेश में सारे जिलों के लिए है या विशेष क्षेत्र के लिए है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को दिया जायगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स के अतिरिक्त ३० हजार से ऊपर जिन शहरों की आबादी है उनको भी कोटा देते हैं। वह अलग है और देहाती क्षेत्रों के लिए अलग कोटा हर जिले के लिए है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने विवेक से और जो रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्केरसिटी को देता है, उसके अनुसार वह प्रबन्ध करेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि गत वर्ष उनका अन्दाजा गलत हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि गत वर्ष से इस साल कमी ज्यादा है और भाव महंगे हैं, इस बात को देखते हुए, सितम्बर, अक्तूबर में आपने गत वर्ष जितना गल्ला दिया था उतना गल्ला जिलों को देने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस वर्ष गत वर्ष से कम नहीं है। यह बात है कि कीमतें इस साल बढ़ी हुई हैं क्योंकि काश्तकार मंडियों में उतनी मात्रा में गल्ला नहीं ला रहे हैं जिससे भाव घटें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसको कबूल किया है कि मुल्क में इमर्जेन्सी कंडीशन्स प्रिवेल करती हैं और आज भी सरकार मानती है कि मुल्क में इमर्जेन्सी है, उसमें अगर फूड की स्केरसिटी होती है तो गवर्नमेंट ने जो पालिसी फारमुलेट की थी कि बफर स्टाक हर सूबे में तैयार किया जायगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बफर स्टाक बनाने का प्रयास किया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बफर स्टाक्स बनाने के लिये तो समय होता है। उस वक्त के बाजार भाव को भी देखते हुए जितना मुमकिन हुआ वह किया गया।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

माननीय मंत्री जी द्वारा हाउस में घोषणा की गयी थी कि फसल के मौके पर गल्ला लिया जावेगा, किन्तु उस वक्त गल्ला न लेकर आपके राज्य में कर्मचारी और अधिकारी इस वक्त किसानों और बड़े फार्मवालों से गल्ला मांगते फिर रहे हैं और वह गल्ला भी वे अपने संबंधियों और रिश्तेदारों को बांट रहे हैं। अब भी जिला बिजनौर में बड़े-बड़े फार्मवालों के पास हजारों मन गल्ला दबा पड़ा है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी हालत में उस छिपाये गये गल्लों को जब्त करने की कोशिश करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

हमें तो यह उम्मीद है कि जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं वे स्वयं अपने पड़ोस वालों को गल्ला बेच देंगे। किन्तु यदि वे नहीं बेचेंगे तो बाद में देखा जायगा और फिर वैसा ऐक्शन लिया जायगा।

श्री मैनेजरसिंह---

कभी मंत्री जी कहते हैं कि अब गल्ला नहीं निकाला जाएगा और अभी कहते हैं कि अगर गल्ला नहीं निकलेगा तो ऐक्शन लिया जायगा, तो दोनों में क्या बात सही है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब खाद्य की कीमतें बेतहाशा बढ़ी थीं तो इस माननीय सदन के अन्दर जोरदार शब्दों में सरकार को सुझाव दिया गया था कि स्टेट ट्रेडिंग की नीति अपनायी जाये, उस समय सरकार ने जवाब में कहा था कि हम प्रदेश के पैमाने पर बफर स्टाक बनायेंगे, जिसके द्वारा भावों पर कन्ट्रोल करेंगे जिससे कीमतें नहीं बढ़ने पायेंगी लेकिन सरकार गल्ला खरीदने में व्यापारियों और मुनाफाखोरों के मुकाबले में फेल रही है, असफल रही है, तो इसका क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गवर्नमेन्ट ने विचार करके यह निर्णय किया कि इस वक्त खरीदने से कीमतें और अधिक बढ़ेंगी, इसलिये खरीद का वह तरीका नहीं अपनाया गया, उस तेजी के साथ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

गवर्नमेन्ट ने जिस समय गल्ला खरीदने की घोषणा की थी उस समय पूरा न लेकर अब भी जो गल्ला खरीदा जा रहा है वह भी पीछे घोषित मूल्यों पर ही खरीदा जायगा जब कि अब कीमतें पहले की अपेक्षा बढ़ गयी हैं, तो इस समय सरकार अपने पुराने रेटों पर ही गल्ला क्यों खरीद रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस वक्त भी सरकार उसको मुनासिब समझती है।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गाजियाबाद में आपने कितना गेहूं खरीदा ? और क्या यह सही है कि वहां पर अधिकारियों ने २४ रुपये मन के हिसाब से बाजार से खरीदा और ३० रुपये मन के हिसाब से उसका मूल्य व्यापारियों, दूकानदारों से वसूल किया तो यह जो ६ रुपये का फर्क है यह जितने दूकानदार हैं उनसे गलत तरीके से वसूल किया गया और यह रुपया उनके पास गया, तो क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो गाजियाबाद के बारे में है, मंत्री जी चाहें तो उत्तर दे दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि यह बात सही है जैसा कि आप कहते हैं और इसमें कोई तथ्य हो, तो जब गवर्नमेन्ट ने वालन्ट्री किया तब तो यह बात सुनने में आती है और यदि कहीं कम्पलसरी कर दिया होता तो क्या होता ?

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

जब वालन्ट्री गल्ला देने की बात थी उस समय लोग सहर्ष गल्ला दे रहे थे। यह मेरी सूचना है कि प्रदेश की बहुत सी जगहों पर लोगों ने इसके लिये लिखा भी। किन्तु उस समय सरकार ने नहीं लिया और जब आज जब गल्ले का भाव तेज है तो वह गल्ला दें, तो पहले ही क्यों उस समय नहीं लिया गया और इस समय जब भाव तेज हैं तो देने के लिये क्यों जोर दिया जा रहा है ? कानपुर के आर० एफ० सी० ने नोटिस दिया है कि यदि आप गल्ला नहीं देंगे तो आपका लाइसेन्स कैन्सिल कर दिया जायगा। तो क्या आप इसको देखने की कृपा करेंगे कि अधिकारी लोग ऐसी सख्त कार्यवाही इस विषय पर न करें और लाइसेन्स आदि न जब्त करने पायें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर आप कोई स्पेसिफिक केस लायें तो उस पर विचार किया जायगा किन्तु आप तो जनरल की बात कह रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हमने उचित नहीं समझा इसलिये लक्ष्य नहीं बनाया गया था। तो यह चीज सामने रखते हुए कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में ७० प्रतिशत ग्रामीण जनता मोल का गल्ला खा रही है और सभी माननीय सदस्यों की यहां मांग है कि हर ग्राम सभा में दूकान खुलनी चाहिये तो इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए आप इस कमी को कहां तक पूरा करेंगे, क्या कोई स्कीम आपके सामने है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय सदस्यों की इस इच्छा को तो हम पूरा कर चुके हैं कि दूकानों को खोल दिया जाय, लेकिन गल्ला नहीं दे सके हैं ।

इलाहाबाद में लीज की भूमि

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नगर महापालिका के अन्तर्गत जो जमीन बंगले सरकारी लीज पर उठे हैं उनकी जमीन की संख्या क्या है तथा कितने आदमियों के नाम लीज है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इलाहाबाद नगर महापालिका के अन्तर्गत कुल १,४३९ नजूल के प्लाट बंगलों के लिये लीज पर उठे हैं और उतनी ही संख्या पट्टेदारों की है ।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो जमीन लीज पर उठी है उनकी लीज का समय समाप्त होने के बाद पुनः नई लीज न करने के लिये कितने मामले हैं और अभी तक उनकी नई लीज क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में जो भूखन्ड बंगला बनाने हेतु लीज पर दिये गये हैं उनमें से १४३ ऐसे हैं जिनकी लीज की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः नया पट्टा अभी तक नहीं किया जा सका है, इसका कारण यह है कि नई लीज देने की शर्त तथा उससे संबंधित मामले शासन के विचाराधीन हैं ।

देवरिया जिले के देहाती क्षेत्रों में अन्नाभाव

*९—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के समूचे बाढ़ क्षेत्र और भाठ के इलाकों हेतु ६ एकड़ तक के किसानों और बांगर या गैर भाढ़ और भाठ के भूमिहीनों, छोटे कारीगरों, छोटे दूकानदारों, फेरीवालों और रिक्शा चालकों के लिये सस्ते गल्ले की सुविधा देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला देवरिया के देहाती क्षेत्रों में अत्यन्त जरूरतमन्द लोगों के लिये खाद्यान्न का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

महापालिकाओं में आम चुनाव

*१०—श्री चन्द्रबली सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के महापालिकाओं के आम चुनाव की तिथियां कब तक घोषित करने का निश्चय किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश के नगर महापालिकाओं के सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की तिथियां अक्तूबर, १९६५ में घोषित करने का विचार है ।

देवरिया जिले से चीन को चने का कथित निर्यात

*११—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसको ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पडरौना तथा तमकुही रोड स्टेशन, जिला देवरिया में चना बहुत भारी मात्रा में गोविन्दगंज घाट तथा नैपाल से होते हुए सीधा चीन को जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार को कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

द१२—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[स्थगित किया गया।]

खीरी जिले में अग्निपीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*१३—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले में परगना कुकरा पैला तथा भूड़ परगना के अग्निकान्ड पीड़ित जनों ने गत अप्रैल, मई तथा जून मास, १९६५ ई० में कोरों, बल्ली, बड़ेरी फूस आदि के सहायतार्थ कितने प्रार्थना-पत्र श्रीमान, डी० एफ० ओ० महोदय, दक्षिण खीरी वन खन्ड की सेवा में परगनाधीश महोदय, लखीमपुर द्वारा समय समय पर दिये और उनका क्या परिणाम हुआ ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

खीरी जिले में कुकरा, पैला तथा भूड़ परगनों के अग्निकान्ड पीड़ितजनों के कोरों, बल्ली, बड़ेरी फूस आदि दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र डी० एफ० ओ०, दक्षिण खीरी वन खन्ड को परगनाधीश, लखीमपुर द्वारा नहीं भेजे गये। परन्तु इन परगनों के अग्निकान्ड पीड़ितजनों के १२ प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, लखीमपुर, अतिरिक्त परगनाधीश, मोहम्मदी और ग्राम सभा भुरवारा के द्वारा उक्त डी० एफ० ओ० को प्राप्त हुए। वन उपज अग्निकान्ड पीड़ितजनों का सीधे वन विभाग द्वारा नहीं दी जाती है बल्कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को मूल्य पाने पर अग्निपीड़ितजनों में बांटने के लिये दी जाती है।' डी० एफ० ओ० ने जिला राजस्व अधिकारियों को वन उपज की कीमत बता दी, परन्तु उसे खरीदने कोई नहीं आया।

*१४—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या वन मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन प्रार्थीगण में से कितने माफीदार हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उक्त प्रार्थीगणों में से कुकरा, चटपुरा और भुखवारा गांवों के प्रार्थीगण माफीदार हैं।

श्री छेदालाल चौधरी—

अग्निकान्ड से पीड़ितजनों के प्रार्थना पत्र डी० एफ० ओ० को कब मिले और उनको वन उपज सीधे नहीं मिल सकती, यह उत्तर तहसीलदार को कब दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जैसे ही यह प्रार्थना पत्र डी० एफ० ओ० को मिला उन्होंने तुरन्त ही राजस्व अधिकारियों को वन उपज के मूल्य की सूचना भेज दी।

श्री छेदालाल चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सुचना को सही मानकर इस बात की जांच करावेंगे कि अग्निकान्ड पीड़ितजनों के प्रार्थना-पत्र जो सहायतार्थ दिये गये थे उनके जवाब काफी देर के बाद रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट को दिये गये जिसको वजह से कोई व्यवस्था नहीं की गयी और वह सहायता से वंचित रहे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अगर माननीय सदस्य की यह सूचना सही है तो उसके बारे में मालूम कर लिया जायगा।

माधवगंज टाउन एरिया चेयरमैन पर आरोप

*१५—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ अथवा १९६१–६२ में आडिट द्वारा टाउन एरिया कमेटी, माधवगंज, जिला हरदोई में गबन के कितने मामले प्रकाश में आये तथा उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई। जांच से मालूम हुआ कि उक्त धन-राशि को आडीटर्स के आडिट नोट के दो ही दिन बाद २० मई, १९६० को बक्शी द्वारा जमा कर दिया गया। अतः जिला मजिस्ट्रेट ने बक्शी को भविष्य में सावधान रहने हेतु चेतावनी देकर तथा अध्यक्ष को भी हिदायत देकर मामले को समाप्त कर दिया।

*१६—श्री हिम्मतसिंह—

क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित अवधि में ३,३०० रुपया चेयरमैन द्वारा गबन किये जाने की भी सूचना आडिट रिपोर्ट द्वारा मिली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

आडिट द्वारा गबन की सूचना मिली। उत्तर, प्रश्न १५ के उत्तर में निहित है। चेयरमैन को भी हिसाब-किताब सही रखने के लिये आदेश जिलाधीश द्वारा दे दिए गये।

*१७—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार द्वारा टाउन एरिया कमेटी माधोगंज, जिला हरदोई के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की कोई जांच गत ४ वर्षों के बीच राज्य सरकार द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। जो तथ्य सामने आये उनकी तालिका संलग्न है। इन तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए शासन ने जिला मैजिस्ट्रेट को इस चेयरमैन के विरुद्ध यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट व अन्य संबंधित नियमों के अन्तर्गत तुरन्त उचित कार्यवाही करने का आदेश २२ जुलाई, १९६५ को दे दिया है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६११ पर)

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र आया है जिसके द्वारा यह मालम हुआ हो कि यह २२ जुलाई की सारी कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मेरे पास इस वक्त पत्रावली में इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने भी तथ्य हैं वह सब सामने आ चुके हैं तो इन तथ्यों के आधार पर अध्यक्ष का निलम्बन कर दिया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जितने भी चार्ज लगे हैं उन चार्जेज का अध्यक्ष से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। वह बक्शी से संबंध रखते हैं। ये सब मामले ५९ से ६२ तक के हैं। १९६४ में दूसरा स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ है। उसके बाद अगर कोई गम्भीर शिकायत हो तो शासन उसको देखेगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी मुख्य आरोप, जो चेयरमैन के खिलाफ हैं, उनको बताने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उसके खिलाफ ५, ७ आरोप हैं मुख्य रूप से जो उत्तर में संलग्न कर दिये गये हैं।

श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह रुपया कितना था और कितने दिनों तक चेयरमैन महोदय ने उसको अपने पास रखा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जितने रुपये का आडिटर ने एतराज किया था वह बक्शी के द्वारा जमा किया गया। उसने कितने दिनों अपने पास रखा इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री विपिन बिहारी तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह रुपया कितना था जो उन्होंने जमा किया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वह रुपया ३,३०५.१४ पैसे था।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

जैसा कि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में लिखा हुआ है कि किसी गबन का सन्देह होते ही मामला तुरन्त पुलिस की जांच के लिये भेजा जाय तो क्या उसके विरुद्ध अब यह नीति है कि वह पुलिस को न देकर अध्यक्ष के माध्यम से जांच कराई जाय ? यदि नहीं तो उस ऐक्ट के मुताबिक यह मामला तुरन्त पुलिस के हाथ में देने के आदेश देंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिस वक्त आडिटर की इत्तला मिली और उसके दूसरे दिन ही रुपया जमा हो गया तो अब कोई मामला ही नहीं है जो कि पुलिस को दिया जाय।

श्री दयाराम शाक्य—

जितने चार्जेज हैं वे सीधे-सीधे हैं और चेयरमैन के विरुद्ध हैं, इस बात को देखते हुए क्या मन्त्री जी इनकी जांच करावेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जैसा मैंने कहा, यह सब शिकायतें १९५९ और १९६२ के बीच की हैं। १९६५ में नए चुनाव हो गए। टाउन एरिया ऐक्ट में ऐसा कोई विधान नहीं है जिसके अनुसार पूर्व की शिकायतों पर कार्यवाही की जा सके।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, यह हरदोई का सवाल है, मेरी कांस्टीट्यून्सी है। मुझे एक सप्लीमेंटरी मिलना ही चाहिए। यह बड़ा कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है और जवाब भी गलत तरीके से दिया जा रहा है।

बस्ती जिले में राशन की दूकान निरस्त होना तथा जाली राशन कार्ड

*१८—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में नाथनगर विकास खण्ड के ग्राम सभा जसरोली भैंसही में फर्जी राशन कार्ड बनने का वहां के कुछ लोगों ने फरवरी, १९६५ में जिलाधीश, बस्ती के पास कोई शिकायत आवेदन-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस शिकायती आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिलाधिकारी, बस्ती के यहां इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। प्रश्न नहीं उठता।

*१९—श्रीमती गेंदादेवी—

दिनांक १९ अप्रैल, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र भूषण ओझा, सरकारी फुटकर चीनी विक्रेता, मोलानापुर, जिला बस्ती की दुकान ही जिला अधिकारियों द्वारा निरस्त की गई है अथवा भ्रष्टाचार के विरुद्ध बने नियम के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कोई दूसरी कार्यवाही भी की जा रही है? यदि हां, तो कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

केवल दूकान ही निरस्त की गई है। ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ जिसके कारण श्री चन्द्र भूषण ओझा के विरुद्ध कोई दूसरी कार्यवाही की जाय।

श्रीमती गेंदादेवी—

मेरी यह सूचना मान कर कि दिनांक ७ फरवरी, १९६५ ई० को दस बजे दिन में बस्ती के जिलाधीश श्री याजदानी जी से उन के बंगला पर मिल कर श्री रामलखन सिंह आदि जसरोली भैंसही के निवासियों की राशन कार्ड बनाने में ग्राम सभापति द्वारा गड़बड़ी करने की लिखित शिकायती दरख्वास्त दी गयी है जिस पर जिलाधीश के आदेशानुसार खण्ड विकास अधिकारी नाथनगर ने असन्तोषपूर्ण ढंग से कार्यवाही की है? क्या माननीय मन्त्री जी पुनः इस की जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैं तो श्रीमन, सवाल नं० १९ का जवाब दे रहा था। १८ के सम्बन्ध में जो सूचना मेरे पास है वह जिलाधीश के पास से ही आयी है। जिलाधीश ने यह नहीं बताया कि उन के यहां कोई शिकायत ले कर आया था। अगर आप लिख कर देंगी तो दुबारा इसकी जांच करा ली जायगी।

श्रीमती गेंदादेवी—

बस्ती जिले में मोलनापुर के श्री चन्द्र भूषण ओझा की सरकारी फुटकर चीनी विक्रेता की दुकान अनियमित एवं अवैधानिक रूप से चीनी बेचने के कारण निरस्त (कैंसिल) की गयी है? क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिद्ध हुई अनियमितता तथा अवैधानिकता क्या है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय सदस्या ने ही शिकायत की थी। उन की शिकायत पर ही उसे कैंसिल किया गया है।

श्रीमती गेंदादेवी—

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी सरकारी चीनी या सस्ते गल्ले के दूकानदार के अनियमित एवं अवैधानिक तथा भ्रष्ट रूप से वितरण करने की शिकायत पर केवल दूकान कैंसिल कर देने की सजा ही काफी है? क्या इससे पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

और कार्यवाही करने अथवा मामला अदालत में ले जाने के लिए स्पष्ट चार्जेज होने चाहिए। मेरे पास सूचना है कि स्पष्ट चार्जेज नहीं थे इसलिए इस में और कार्यवाही नहीं हुई।

*२०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[स्थगित किया गया।]

रायबरेली तहसील में भूमि संरक्षण कार्य

*२१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत भूमि संरक्षण का कार्य किन-किन तहसीलों में आरम्भ हुआ है और कब से? क्या १ जुलाई, १९६५ को ग्राम सभा कोड़रस बुजुर्ग से सरकारी अधिकारियों को तथा सरकार को शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

रायबरेली जिले में भूमि संरक्षण का कार्य सितम्बर, १९६४ से केवल रायबरेली तहसील में आरम्भ किया गया है। १ जुलाई, १९६५ को व उसके बाद अभी तक ग्राम सभा कोड़रस बुजुर्ग से कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतीपाल—

क्या मन्त्री जी की जानकारी में है कि जो दरख्वास्तें दी गयी हैं १ जुलाई और ४ जुलाई के बीच उनमें से एक कांग्रेस पार्टी में है और पियन बुक पर वह दर्ज है, दूसरी सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में है और पियन बुक पर दर्ज है और जिला अधिकारियों ने इस की जांच भी की है। तो जिला अधिकारियों के पास जो सूचना है उसकी मन्त्री जी जांच करायेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कोई शिकायती पत्र सरकार के पास नहीं आया है। अगर जिले में या किसी पार्टी के दफ्तर में आया हो तो उसकी सूचना हम को कैसे हो सकती है।

श्री रतीपाल—

जिला अधिकारियों को किन-किन के शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कहते हैं कि उन के पास नहीं आए हैं। जिला अधिकारियों के पास भले ही आए हों।

श्री मैनेजरसिंह—

मूल प्रश्न यह है कि जिला अधिकारियों को शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। तो क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि उन को शिकायती पत्र मिले हैं और यदि मिले हैं तो उन में क्या क्या शिकायतें हैं ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

जो शिकायतें जिलों में या दूसरे दफ्तरों में दी गयी हैं उन के ढूंढ़ने में समय लग सकता है। अगर रतीपाल जी के पास उन की नकल हो तो मेहरबानी करके वे भेज दें। उन पर जांच की जायगी।

बढ़ौला ग्राम को टाउन एरिया बनाने का सुझाव

*२२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बढ़ौला, विकास क्षेत्र पटियाली, जिला एटा की आबादी को देखते हुए टाउन एरिया घोषित करने पर विचार करके टाउन एरिया घोषित करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

देवरिया, गोरखपुर बस्ती जिलों को दिया गया खाद्यान्न

*२३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ५ वर्षों में प्रतिवर्ष देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिले को सरकार की ओर से कितना-कितना गल्ला दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गत ५ वित्तीय वर्षों में देवरिया, गोरखपुर तथा बस्ती जिलों को निम्नलिखित मात्रा में गल्ला दिया गया :

वर्ष		जिलों का नाम तथा मात्रा टनों में		
		गोरखपुर	देवरिया	बस्ती
१९६०–६१..	..	१७,८५०.८	२२,०२६.२	३,८४७.८
१९६१–६२..	..	२२,९८६.१	२७,११३.६	२,६७८.७
१९६२–६३..	..	२१,२६२.७	२६,६४१.३	३,४९३.६
१९६३–६४..	..	२७,०३०.९	२६,०२०.९	६,२५३.४
१९६४–६५..	..	४२,०९८.९	३१,८७४.३	१६,२५६.४

*२४—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो गल्ला उपर्युक्त जिलों को दिया गया उसमें की कमी वाले क्षेत्र की जन संख्या और आवश्यकता का ध्यान रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, गल्ला देते समय उक्त जिलों की कमी वाले क्षेत्र की जन संख्या और आवश्यकता के अलावा खाद्यान्न की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

*२५—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, सन् १९६५ को देवरिया जिले में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें थीं ? अब कितनी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१ जनवरी, १९६५ को देवरिया जिले में कुल ४१५ दूकानें थीं। इस समय केवल १५२ दूकानें हैं।

*२६—श्री श्रीराम तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[स्थगित किया गया।]

*२७-२९—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[स्थगति किये गये।]

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

[स्थगित किया गया।]

लालतापुर ग्राम में वन विभाग की भूमि

*३१—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० १२२/६ व १२२/७ गांव लालतापुर भगवन पुत्र भनू तथा आराजी नं० १२१/१ बदलू पुत्र शोभा गांव लालतापुर तथा १२१/५ वंशरू पुत्र बोड़म लालतापुर, परगना के रामंगगरौर, तालाका नौकढ़, तहसील चकिया जिला बाराणसी की काश्तकारी पर जब सरकारी लगान भी दी जाती है तो बन विभाग क्यों जोतने-बोने से मना कर रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ग्राम लालतापुर में आराजी नं० १२२/६ रकबा ७ बीघा भगावन पुत्र श्री भौम के नाम सीरदारी दर्ज है और लगान देता है। अन्य प्लाटों पर लोगों का नाजायज कब्जा है और वे लगान नहीं देते। वन बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णयानुसार यह सब भूमि वन विभाग की है अतः वन विभाग इन्हें बोने से मना करता है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब आराजी नं० १२२/६ का लगान भगवान देता है, उसके नाम सीरदारी है तो उसका खेत और जमीन वन विभाग ने क्यों रोक रखा है ? क्या मंत्री जी वन विभाग अधिकारियों को आदेश देंगे कि जो सीरदार है, लगान देता है, उसकी जमीन पर वह कब्जा न करें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उस भूमि का पट्टा ग्राम समाज ने नाजायज तौर से श्री भगावन के नाम कर दिया था। जब बन्दोबस्त हुआ तो बंदोबस्त अधिकारी के सामने उसने अपना दावा पेश किया, वह खारिज हो गया। उसने पुनः दावा किया वह भी नामन्जूर हो गया। ग्राम समाज ने फिर दावा किया वह भी नामन्जूर हो गया। आगे कोई अपील की नहीं गयी। इसलिये उसको देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि आराजी नं० १२२।६ का फैसला भगवान के पक्ष में हो गया है और वह आज भी उस भूमि का लगान देता है? यदि हां, तो क्या यह भूमि उसको दिलाने की सरकार कृपा करेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री ऊदल—

यह तो सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि वह आज भी लगान देता है। तो क्या सरकार इसकी पुनः जांच करायेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह जो सूचना दी गयी है कि लगान देता है यह उस समय तक की सूचना है जब कि उस एरिया को वन विभाग ने सुरक्षित करने का नोटिफिकेशन नहीं दिया था। नोटिफिकेशन के बाद से कोई लगान नहीं लिया जाता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मेरी सूचना यह है कि कई किसान हैं जिनकी भूमि वन विभाग ने ले ली है, मगर लगान किसानों से लिया जा रहा है, तो क्या इसकी माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अगर कोई ऐसा केस माननीय सदस्य नोटिस में लायेंगे तो उसको देख लेंगे।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इस व्यक्ति से कोई लगान वसूल किया गया है या नहीं और क्या उसके नाम यह सीरदारी में दर्ज है? मेरी सूचना यह है कि इस साल भी इससे लगान वसूल किया गया है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी पुनः जांच करा लेंगे।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या सरकार ऐसे और भी जितने केसेज हैं उनकी जांच करायेगी?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

जिला मैनपुरी में स्टाकमैनी का चुनाव तथा भैंसों के बध पर प्रतिबन्ध लगाने की प्राथना

*३२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के ३सरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिल में २४ नवम्बर, १९६४ को स्टाक मैनी के लिये

इण्टर व्यू में जो २९ लड़के उपस्थित हुये थे उनके नाम व योग्यतायें क्या थीं ? क्या यह सत्य है कि जो पांच लड़के छांटे गये हैं, उनमें थर्ड डिवीजन भी लिये गये हैं, और फर्स्ट व सेकण्ड डिवीजन को छोड़ दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

२४ नवम्बर, १९६४ को जिला मैनपुरी में स्टाकमैनी का जो चुनाव हुआ था उसमें इन्टरव्यू के लिए उपस्थित २९ लड़कों का नाम व योग्यताएं संलग्न सूची में दी हुई हैं । इनमें कोई भी लड़का फर्स्ट डिवीजन नहीं था । जिले स्तर से पांच लड़कों के नाम प्रदेशीय स्तर के लिए आए थे, जिनमें से दो लड़के हाई स्कूल, सैकेन्ड डिवीजन थे, दो लड़के हाई स्कूल, थर्ड डिवीजन थे, तथा एक लड़का इन्टरमीडिएट, थर्ड डिवीजन था ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ ६१२ पर)

*३३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि गाय की तरह से भैंस और भैंस के वंश के वध पर भी रोक लगा दी जावे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

भैंस या भैंस के वंश के वध पर रोक लगाना सरकार व्यावहारिक नहीं समझती ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

श्रीमन्, यह जो लिस्ट दी गयी है इसमें ८ लड़के ऐसे हैं जो हाई स्कूल सेकिन्ड डिवीजन में ह । कुछ थर्ड डिवीजन में थे । एक लड़का इन्टर पास भी था । तब पाँच लड़कों के नाम भेजे हैं। उनमें थर्ड डिवीजन का नाम भी भेज दिया गया जब कि फर्स्ट और सेकेन्ड डिवीजन लड़के मिल सकते थे। थर्ड डिवीजन का नाम रिश्वत लेकर भेजा गया है । यह बात सत्य है या गलत है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वह तो सूची माननीय सदस्य के हाथ में है । चुनाव करते समय सिर्फ योग्यता ही एक आधार नहीं है । चूंकि पशुओं की सेवा करनी है उसके लिये अच्छी डिवीजन के साथ लड़के की उम्र, कद, ऊंचाई और स्वास्थ्य तथा पशुपालन में वह रुचि रखता है या नहीं, इन सब बातों को देखते हुए चुनाव किया जाता है ।

श्री बलवान सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा कि चुनाव के समय अच्छे डिवीजन के साथ साथ और चीजें भी देखी जाती हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस परिपाटी के अनुसार फर्स्ट डिवीजन वाले से थर्ड डिवीजन के लड़के की और चीजें ज्यादा अच्छी हैं तो क्या थर्ड-डिवीजन वाले लड़के को इस प्रकार की प्राथमिकता देने की सरकार कोशिश करेगी ?

श्री गेंदासिंह—

इस सूची में यदि देखा जाय तो थर्ड डिवीजन को भी प्रेफेरेन्स दिया गया लेकिन जो प्रेफेरेन्स दिया गया है वह हरिजन लड़के के लिये दिया गया है । सत्य है कि इस डिवीजन के लड़के को भी प्रफरेन्स दिया जा सकता है बशर्ते कि और शर्तें उसकी पूरी हों ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोण्डा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जितने लड़के लिये गये हैं उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

हरिजन सिर्फ एक है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भैंसें दूध देती हैं और भैंसा ठेला चलाता है। तब इनके बध पर रोकथाम में सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, १९५५ में बना। उक्त अधिनियम गोसंवधन जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया। समिति ने भैंसों तथा उनके वध पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर कोई सिफारिश नहीं की थी इसलिये इनके बध पर प्रतिबन्ध नहीं किया गया।

बस्ती जिले में सीमेंट वितरण

*३४—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में नौगढ़ तथा बांसी तहसील में तहसील द्वारा कितना सीमेन्ट मई, जून तथा जुलाई, १९६५ में वितरित किया गया और किन-किन को दिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

नौगढ़	.. ..	७३९ बोरे
बांसी	.. ..	४१६ ,,

वितरण सूची † संलग्न है।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए बतायेंगे कि बांसी तहसील की आबादी नौगढ़ तहसील से बड़ी है। तो वहां कम सीमेन्ट देने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह वितरण तो वहां के जिलाधीश ने किया होगा और उन्होंने वहां की आवश्यकता को देखते हुए वितरण किया है।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सीमेन्ट बांटा गया है उसमें बहुत से लोगों को बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस बोरे सीमेन्ट दे दिया गया है और कुछ लोगों को एक-एक बोरी सीमेन्ट दिया गया है। इसकी डिस्पैरिटी का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार १६ बोरी से अधिक किसी को नहीं दिया गया है और कुछ ही लोग एसी हैं जिनको १५ या १६ दिया गया है। बाकी को एक-एक बोरी सीमेन्ट दिया गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा कि प्रधान मंत्री ने सीमेन्ट का कंट्रोल तोड़ने की बात कही है क्या आप भी सीमेन्ट के कंट्रोल तोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह केन्द्र के अखबार में आया है। हमें कंट्रोल रखने में खुशी नहीं है।

हरिजनों की भूमि पर वन विभाग द्वारा कब्जा करने की शिकायत

*३५—श्री श्याम लाल (जिला बस्ती), श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा), तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या वन मंत्री का ध्यान बस्ती से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक समाचार पत्र "पूर्वी जिले" १ अगस्त, १९६५ के शीर्षक "जंगल को काटकर उपजाऊ बनाने वाले चमारों को बेदखल करने का षडयन्त्र" की ओर गया है ? यदि हां, तो उस शिकायत के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, परन्तु यह सच नहीं है कि कथित हरिजनों की भूमि वन विभाग जबरदस्ती ले रहा है। हरिजनों का कथित भूमि पर दावा अतिरिक्त कमिश्नर, बरेली, द्वारा खारिज कर दिया गया था और उन्होंने सरकार को इसके विरुद्ध निगरानी दाखिल की है। इस प्रकार मामला शासन क विचाराधीन है।

श्री श्यामलाल—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि १४ वर्ष पहले इन गरीब हरिजनों ने इन जंगलों को काटा, साफ किया, उपजाऊ बनाया और उसमें आज गेहूं, गन्ना, धान वगैरह सब पैदा हो रहा है तो म जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न शासन के विचाराधीन कब तक रहेगा ? क्या इसको जल्दी से जल्दी मंत्री जी एक्सपीडाइट करायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, इस बात की शासन कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो जाय।

श्री रक्षपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि हरिजनों का दावा एक मरतबे खारिज किया जा चुका है, तो यह बात हो सकती है कि उन हरिजनों को भूमिधरी या सीरदारी के अधिकार प्राप्त न हुए हों, लेकिन उनके कब्जे और खेती करने वाली बात सच है, तो जब तक उस जमीन का उपयोग अन्य प्रकार से नहीं होता है तब तक उनको कब्जा बनाये रखने और अधिवासी के रूप में बने रहने के ऊपर सरकार विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो अतिरिक्त कमिश्नर बरेली ने जब उसमें निर्णय ले लिया तो उन्हें स्वयं ही कानून के सहारे इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए थी।

*३६–३८—श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर), श्री पूरनलाल (जिला हरदोई), तथा श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

[स्थानान्तरित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३९—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

[स्थगित किया गया ।]

कानपुर में सीवर लाइन फटने से क्षति

*४०—श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर कानपुर के अन्तर्गत मुहल्ला लक्ष्मीपुरवा शकर मिल खलवा में दिनांक २४ जुलाई, १९६५ को सीवर लाइन फट जाने के फलस्वरूप सारा मुहल्ला डूब गया ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के मकान व संपत्ति नष्ट हुई और विभिन्न प्रकार से कुल कितनी आर्थिक क्षति हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । इसके फलस्वरूप इस मुहल्ले के ६ व्यक्तियों के कच्चे मकान गिर गये जिनमें से एक के ३ बैल मर गए और ८ व्यक्तियों की फसल नष्ट हो गई । इसके अतिरिक्त ५५ व्यक्तियों की चल संपत्ति को नुकसान पहुंचा । इस क्षति का अनुमान १०,००० रुपया है ।

*४१—श्री शिवनाथ सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन अधिकारियों ने कब मौके का निरीक्षण किया तथा सरकार द्वारा किस-किस को क्या-क्या सहायता प्रदान की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

घटना की सूचना प्राप्त होते ही दिनांक २४ जुलाई, १९६५ को प्रातः कानपुर नगर-महापालिका के उप नगर प्रमुख व नगर अभियन्ता ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मैनहोल की मरम्मत की तुरन्त व्यवस्था के आदेश दिये । दिनांक २५ जुलाई, १९६५ को मुख्य नगर अधिकारी व नगर अभियन्ता ने दुबारा स्थान का निरीक्षण किया । तथा २९ जुलाई, १९६५ को नगर प्रमुख, मुख्य नगर अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया । पीड़ितों के सहायतार्थ मुख्य नगर अधिकारी ने ५,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की है । इसके अलावा उन पीड़ितों में से उन व्यक्तियों को जो कारखाने में काम करते हैं श्रमिक बस्तियों में बसाया जा रहा है । सरकार द्वारा इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई ।

*४२—श्री शिवनाथ सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीवर लाइन कब और किसके द्वारा तथा किसकी देख-रेख में बनाई गई तथा उसके फटने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सीवर लाइन नगरमाहपालिका द्वारा बनाई गई है जिसका कुछ भाग एक तालाब में पड़ता है । इस पर काम ३–२–६२ को जारी हुआ था और यह लाइन बनकर ३०–३–६४ को तैयार हुई ।

सीवर लाइन के फटने के मुख्य कारण यह हैं कि दिनांक २३–२४ जुलाई, १९६५ को भीषण वर्षा होने के कारण तालाब के बारिश का पानी मैन होल द्वारा सीवर में भर गया साथ ही साथ इस सीवर से भी बरसाती पानी बड़े प्रेशर के साथ गुजरा । यहां तक कि मैनहोल के ऊपरी भाग से भी पानी निकल रहा था । तालाब में स्थित तीन मैनहोलों में से एक मैनहोल की डाट की कुछ ईंटें पानी के अन्दरूनी दबाव के कारण बाहर निकल गई जिसके फलस्वरूप सीवर लाइन फट गई ।

अतारांकित प्रश्न

देहाती क्षेत्रों के लिये सीमेंट

१—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में जो लोग अपना मकान पक्का बना रहे हैं यदि उनके मकान में लगने वाली सीमेन्ट का इस्टीमेट, नक्शे के मुताबिक एक वैगन से कम होता है या आधा वैगन होता है, उनको भी स्टेट के कोटे से परमिट दिया जायगा ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं । प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच की मांग

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं एक बात आपकी आज्ञा से कहना चाहता था कि उस दिन गोरखपुर गोलीकाण्ड के बारे में चर्चा हुई । उस समय गृह मंत्री ने यह कहा था कि उस समय तक वहां न तो वह गए हैं और न विरोधी पक्ष के लोग गये हैं । अब माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय गयाप्रसाद और माननीय उग्रसेन जी तथा और लोग वहां हो आये हैं और वहां उनके सामने कुछ ऐसे तथ्य आये हैं जो बड़े गंभीर हैं, जैसे पुलिस ही ने गोली नहीं चलायी बल्कि और लोगों ने प्रबन्ध की ओर से भी गोली चलायी, छर्रे लगे जो पुलिस के पास नहीं रहते। दूसरे, इन लोगों ने देखा कि पीठ पर गोली लगी है, पीछे से गोली लगी है । तीसरी बात यह कि वहां एक भी आदमी लाठी से घायल नहीं हुआ और जो गोली लगी वह पांच-पांच सौ छः-छः सौ गज की दूरी पर जाकर लगी । तो ऐसी परिस्थिति में क्या इससे भी गंभीर कोई अवसर आयेगा जब हम सरकार से मांग करें कि जूडिशियल एन्क्वायरी हो ? मजिस्टीरियल एन्क्वायरी जो हो रही है वह फैक्ट्स के बारे में जांच कर रही है लेकिन आप बतायें कि मैनेजमेन्ट मार कर चला जाय और बिना कुछ सूचना दिये हुए मार कर चला जाय और जुडिशियल एन्क्वायरी न हो, उसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा एन्क्वायरी हो जिसने फायरिंग का आर्डर दिया था, तो कैसे सन्तोष होगा ? इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि इस पर वह जुडिशियल एन्क्वायरी के लिये विचार करे ।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय अगर आप उठाना चाहते हैं तो प्रश्नों द्वारा उठा सकते हैं । प्रश्नों के बाद अगर आप सन्तुष्ट न हों तो आधे घंटे की बहस हो सकती है .....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल का मतलब यह है कि आधे घंटे या एक घंटे की बहस आप इस पर करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, कोई तरीका आप बतायें, तब मैं सोचूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं तरीका ही बता रहा हूं । आपने इस सदन में बहस करायी है और आप कम से कम ऐसा करें ।

श्री अध्यक्ष—

नियमों के अन्तर्गत कोई सूचना इस संबंध में आयेगी तो उस पर मैं विचार करूंगा।

विशेषाधिकार की अवहलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न कुछ आये हैं। मैं उन्हें देख नहीं पाया हूं। कल उनके ऊपर आपके सामने, अपना निर्णय रखूंगा।

कानपुर स्थित म्योर तथा माहेश्वरीदेवी जूट मिल के बंद होने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तगत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना यह है कि कानपुर स्थित सूती तथा जूट उद्योग की म्योर एवं महेश्वरी देवी जूट मिल गत कई दिनों से बराबर बन्द है। परिणामस्वरूप ७,५०० श्रमिक हफ्तों से बिलकुल बेरोजगार हैं। अल्प आय वाले इन मजदूरों के सामने बिलकुल भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार द्वारा अब तक विवाद सुलझाने के लिये कोई भी सफल प्रयास न किये जाने से औद्योगिक क्षेत्र में अशांति का वातावरण व्याप्त हो गया है। मजदूरों में सरकार की इस असफलता, ... इत्यादि।

श्री रक्षपाल सिंह की इस सूचना को मैंने स्वीकार किया है। इस पर श्रम मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

३ तारीख को।

लखनऊ में मीलाद शरीफ के अवसर पर पुलिस द्वारा नागरिकों के पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय दयाराम शाक्य, माननीय नाथूराम शिक्षक, तथा माननीय मन्नालाल और माननीय नेकराम शर्मा तथा माननीय रघुवीर राम, इनकी २ सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आई हैं। मैं उन्हें केवल वक्तव्य के लिये ले रहा हूं। विषय यह है कि २८ अगस्त, ६५ को लखनऊ नगर के नरही में आयोजित मीलाद शरीफ के अवसर पर क्षेत्र के कुछ सभ्रांत नागरिकों को पुलिस द्वारा अकारण पीट कर बुरी तरह घायल कर दिये जाने से पूरे नगर में पुलिस के प्रति असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त है। मीलाद शरीफ का कार्यक्रम बड़ी शांति एवं व्यवस्थापूर्वक चल रहा था, इतने में पुलिस वालों ने आकर एक व्यक्ति को पीटना आरम्भ कर दिया। कुछ लोगों ने पुलिस से केवल इतना कहा कि दूर जाकर उत्पात करें, जिससे कि मीलाद में व्यवधान न पैदा हो। इस पर पुलिस वालों ने नागरिकों को भी मारना प्रारम्भ कर दिया। क्षेत्र के एक प्रमुख नागरिक, श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, को भी पीटा गया। सिपाही शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे।

माननीय नेकराम शर्मा और रघुवीर राम की सूचना इस प्रकार है—२८/२९ की दरम्यानी रात को लखनऊ के मोहल्ला नरही में एक मीलाद हो रहा था। यह मीलाद मोहल्ले के हिन्दू-मुस्लिम दोनों के चन्दे से हो रहा था। इस में मोहल्ले के हिन्दू और मुसलमान दोनों ही

[श्री अध्यक्ष]

शरीक थे। जिस समय यह मीलाद हो रहा था उसी समय ३ पुलिस वाले शराब पीकर उस मीलाद में पहुंचे और वहां एक आदमी को पकड़ना चाहते थे। पुलिस के कहने के अनुसार इस व्यक्ति के नाम वारन्ट था। भैयाजी जो एक सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि उक्त व्यक्ति को आप पकड़कर थाने ले जावें, यहां शोर व हंगामा न करें। इस पर पुलिस वालों ने भैयाजी को बुरी तरह मारा, जो इस समय सिविल अस्पताल में हैं। भैयाजी को दफा ३४२ में गिरफ्तार भी कर लिया है जो बाद में जमानत पर छोड़े गये हैं। जिस समय यह बातचीत हो रही थी उसी समय पुलिस का एक दस्ता और वहां आ गया था। इससे नरही के मुहल्ले और लखनऊ में काफी बेचैनी है।

इस पर मन्त्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोबिन्दसिंह)—

३ तारीख को दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

शेष सूचनायें जो मंत्री जी के पास विशेष रूप से भेजी गयी हैं वह मतोला सिंह जी की हैं और माननीय सुखदेव प्रसाद की है, विशेष ध्यान के लिये।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बहुत से भवन निर्मित किये गये हैं पिछले कुछ वर्षों में। उनमें ९० फीसदी ऐसे हैं उनका चार्ज सरकारी विभागों ने लेने से इंकार कर दिया है चूंकि उनकी छतें चू रही हैं। इससे बहुत भीषण परिस्थिति पैदा हो गई है। वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम ५२ में है, उसे मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। आप उनसे मिल लें।

कतिपय विषय

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय लोहिया की सुप्रीम कोर्ट में बहस सुन रहा था, यहां नहीं था। इसलिये इस विषय को पहले से नहीं उठा सका। प्रश्न यह है कि संविधान की १७८ आर्टीकिल में है कि राज्य की प्रत्येक विधान सभा यथासंभव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब-तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

श्री अध्यक्ष—

यह आप किस लिये पढ़ रहे हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरी निश्चित राय में २८१ सदस्यों का माननीय अध्यक्ष के प्रति एक तरह से अविश्वास पैदा हो चुका है। नैतिक दृष्टि से आप हट कर किसी दूसरे माननीय सदस्य को बैठने दें। मेरी संवैधानिक आपत्ति सुनकर····

श्री अध्यक्ष—

जब यह विषय आवेगा तब आप बहस कर लीजियेगा। इस समय यह अनियमित है। आप बैठ जावें।

प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा त्याग-पत्र देने का निर्णय तथा काले-बैज लगाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

माननीय सदस्यों, श्री नेकराम शर्मा, श्री ऊदल, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री बालोजी अग्रवाल, श्री झारखंडेराय तथा श्री शिवदान सिंह ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रदेश के हजारों इंजीनियर्स ने यह निर्णय किया है कि यदि उनका वेतन न बढ़ाया गया तो प्रदेश के समस्त इंजीनियर्स सरकार को अपना इस्तीफा दे देंगे। कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसियेशन की बैठक में हाल ही में यह निर्णय लिया है कि यदि उनकी वेतन क्रम बढ़ाने संबंधी मांगें सरकार द्वारा न मानी गईं तो सभी अभियंता सरकारी नौकरी से त्याग-पत्र दे देंगे तथा वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के प्रति अपना असंतोष प्रकट करने के लिये अपने बाजू पर एक काली पट्टी पहनेंगे। शासन के पास ऐसी कोई अधिकृत या औपचारिक सूचना नहीं है और न तो उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसियेशन का कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही इंजीनियरों के प्रतिनिधियों ने ऐसा कहा है। अभियंता वर्ग विकास के युग में विशेषकर इस प्रदेश में जो कृषि प्रधान प्रदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और वह भी अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। अतः मेरा अनुमान है कि त्याग पत्र देने का उन्होंने न तो निर्णय लिया होगा और न लेंगे। यह खेद की बात होगी यदि कोई सरकारी कर्मचारी विशेषकर अभियंतावर्ग जो जिम्मेदार पद पर हैं, त्याग-पत्र देने का इरादा या प्रस्ताव करे।

वेतन अभिनवीकरण समिति ने प्रदेश की समस्त राजकीय सेवाओं के वेतनों पर विचार करके रिपार्ट दी है। इस रिपार्ट के विषय में कुछ असंगतियां सामने आई हैं और जैसा इस माननीय सदन में निवेदन किया जा चुका है कि जिन ऐसी असंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है उन पर शासन विचार कर रहा है और इस निमित्त अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। सब विभागों से उनके अधीनस्थ पदों के वेतनक्रमों में पाई गई असंगतियों एवं प्राप्त सुझावों पर उनके विचार मांगें जा चुके हैं जिन पर यह समिति विचार कर रही है। इस समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार करके उचित निर्णय लेगी और आवश्यक आदेश जारी करेगी। यह बात सही है कि अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट से असंतोष जाहिर करने के लिये कुछ इंजीनियर अपने बाजू पर काली पट्टी पहन रहे हैं। आशा है इंजीनियर्स इस पर विचार करगे क्योंकि इस शोक चिह्न से कोई लाभ नहीं है, बल्कि उच्च पदासीन अधिकारियों के लिए यह अशोभनीय प्रतीत होता है। इंजीनियरों के इस कार्य से सरकारी कर्मचारियों पर कोई कु प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि शासन अपने कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए भी किसी को यह छूट नहीं दे सकता कि आचार-संहिता के विरुद्ध यह काम करे। यदि ऐसे चिन्ह दिखलाई देंगे तो उचित और आवश्यक कार्य-वाही की जायगी। आशा है कि ऐसा प्रसंग आने का अवसर ही न आयेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि यह जो इंजीनियरों ने मेमोरेन्डम दिया है, उसकी कापीज हर कैबीनेट मिनिस्टर के पास और सदन के हर माननीय सदस्य के पास भेजी है ?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये कमेटी की असंगतताओं को मिटाने के लिये आफीसर्स की एक कमेटी बनायी गयी है, उस कमेटी में कोई इंजीनियर है या नहीं ? उस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ? क्या वह कमेटी इंजीनियरों के शिष्ट मंडल से उनको बुला कर मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अधिकारियों की कमेटी में मुख्य सचिव, वित्त सचिव और नियोजन सचिव हैं। जो असंगततायें उन्हें मालूम पड़ रही हैं अथवा जो सुझाव आये हैं उन सुझावों को देखकर और उन-उन विभागों के सचिवों को बुलाकर वे बातें करते हैं। इस प्रकार सब बातों को देखकर वे अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे जिस पर सरकार विचार करेगी।

श्री झारखंडे राय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यद्यपि उनका वक्तव्य परस्पर विरोधी बातों से भरा हुआ है। जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि सूचना नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि काली पट्टी पहने हुए हैं। जब उनको सूचना नहीं थी तो काली पट्टी की सूचना उनको कहां से मिली ? मैं जानना चाहता हूं कि जो सूचना उनको मेमोरेंडम से मिली अथवा पेपर्स से मिली उनके अनुसार इंजीनियरों की क्या मांगें हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा कि माननीय नेकराम जी ने कहा, इंजीनियरों ने एक प्रतिवेदन दिया है। वह मुझे भी प्राप्त हुआ है और अन्य साथी मंत्रियों को भी प्राप्त हुआ है। उसमें जो कुछ लिखा है, उस पर भी विचार किया जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंजीनियरों का ग्रेड क्या है ? उनके वेतन में और सिविल सर्वेंट्स के वेतन में समानता है अथवा असमानता ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह इतना ब्यौरे का प्रश्न है कि उसका पूरा ब्यौरा तो दिया नहीं जा सकता। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश की छोटी सर्विस के लिये २५०–८५० का ग्रेड था और एक दूसरा ग्रेड बड़ी सर्विसेज के लिये था। अब जो ग्रेड रखा गया है, उनमें और प्रदेश की दूसरी सर्विसेज के ग्रेड्स में करीब-करीब समानता है।

श्री झारखंडे राय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब समिति इन इंजीनियरों की मांगों पर विचार करेगी तो इस बात पर भी विचार करेगी कि इन इंजीनियरों की दो श्रेणियां हैं। एक तो वे हैं जो दफ्तरों में फाइल वर्क करते हैं और दूसरी वे हैं जो मौके पर कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, पहाड़ी एरिया में या दूसरे स्थानों पर रहते हैं। क्या सरकार ऐक्टिव फील्ड वर्क करने वालों की सुविधा का ध्यान रखेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सवाल इतना लंबा हो गया कि मैं उसको पूरे तरीके से समझ नहीं पाया। यह तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार के पास जो भी सुझाव आते हैं उन सब सुझावों पर सरकार विचार करती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जो पे कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट से इंजीनियरों के अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनको असंतोष है। उन सब लोगों ने जिनको असंतोष है, अलग-अलग कार्यवाही की है और उन सब मांगों को और कार्यवाही को सरकार के पास भेजा है जिससे प्रांत के अन्दर काफी असंतोष पैदा हुआ है खासतौर पर इंजीनियर्स और फूड डिपार्टमेंट के डी० एस० ओ० वगैरह में तो इसको देखते हुये क्या सरकार फिर से उसी कमेटी के सामने सारी कार्यवाही रखने को तैयार है ताकि वे दुबारा गौर करके इस पर अपनी रिपोर्ट दें ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आपका मतलब है कि इंजीनियर्स के वेतन की बात उसी कमेटी के पास भेज दी जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, इंजीनियर्स के अलावा और बहुत से लोग हैं, उन सब से भी मेरा मतलब है।

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने तो आपके सामने निवेदन कर दिया कि वेतन अभिनवीकरण के लिये एक समिति नियुक्त की गयी और उस समिति ने देखभाल करके, काफी दिनों तक काम करके अपनी रिपोर्ट दी है, जो काफी बड़ी रिपोर्ट है। यह बात सही है कि उस रिपोर्ट के आने पर कुछ वर्गों में उससे असंतोष हुआ। इस माननीय सदन में मैं स्वयं भी इस बात को कह चुका हूं जब कि इसकी चर्चा आयी थी और अभी दो तीन रोज हुए हमारे सहयोगी कृषि मंत्री ने, जबकि जानवरों के डाक्टरों का प्रश्न उपस्थित था, तो उन्होंने भी यह बात कही थी, तथा जो भी कहीं से कोई सुझाव आये हैं विभागीय अधिकारियों की तरफ से या और कहीं से, और मालूम हुआ कि कहीं असंगति हुई है, तो उसे जरूर देखने का प्रयास करेंगे, वैसे असंगतियां कोई बहुत हैं नहीं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० परसेंट तो इन इंजीनियरों का ईमानदारी का बंधा हुआ है, पता नहीं और कहां कितना क्या करते हैं, और इस प्रकार से वे बड़े नाकाबिल साबित हुए हैं, तो क्या सरकार इनका इस्तीफा मंजूर कर लेने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है, श्रीमन्।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान १९६३ के प्राविधिक परीक्षक की रिपोर्ट की तरफ गया है जब कि उन्होंने जांच की थी कि जो इमारतें बनी हैं उनमें कितनी सही बनी हैं और कितनी गलत बनी हैं ? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ८० प्रतिशत मकान बिलकुल बेकार बने हैं और वे मकान इन इंजीनियरों द्वारा ही बनाये गये हैं। उन्होंने उसमें यह भी स्पष्ट लिखा है कि सरकार का कई करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और यह भी कहा है कि साढ़े ११ लाख रुपया ठेकेदारों को अधिक दे दिया गया, जितना कि नहीं देना चाहिये था। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रिपोर्ट की तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट को अपने सामने रखते हुए ही सरकार इनके वेतन को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य ने जिस रिपोर्ट की चर्चा की है, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, वह तो उसके पास आया ही होगा। जहां तक मेरा संबंध है, अभी मैंने उसको देखा नहीं है और न पढ़ा है।

श्री नेकराम शर्मा—

केंद्रीय फूड मिनिस्टर श्री सुब्रमण्यम् ने २५ अगस्त, १९६५ को इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स की सभा में दिल्ली में भाषण करते हुए कहा है कि ब्यूरोक्रेसी प्रशासन के कार्य में बहुत रोड़ा अटकाती है। माननीय मंत्री जी ने जो कमेटी बनायी है वह भी आई०सी०एस० और पी०सी०एस० की ही है जिनसे इंजीनियरों का बड़ा विरोध है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इंजीनियर्स का आई०सी०एस० और पी०सी०एस० के खिलाफ चार्ज है, तो आपने जो समिति बनायी है उसमें इंजीनियरों को क्यों नहीं शामिल किया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश—

वित्त मंत्री केवल अकेला काम नहीं करते हैं। शासन का कार्य अन्य सहयोगी मंत्रियों द्वारा चलता है और इन इंजीनियरों से संबंधित भी जो मंत्री हैं, उनको भी उनकी परेशानियां उनकी दिक्कतें, सब चीजें मालूम रहती हैं यह जो अधिकारियों की समिति बनायी गई है वह संतुलन की सब बातों को भी देखेगी वह सब की राय लेकर ही कुछ करेगी और अन्त में फैसला तो शासन ही करेगा, जो उचित होगा वह करेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा और उसके संबंध में जो सवाल हुए मैं आप के द्वारा जो इंजीनियर लोगों ने सवाल उठाया है, अपने मेमोरेंडम में जो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है मंत्री जी के सामने वह उन का एक मौलिक प्रश्न है, उन की जो सर्विस कंडीशन्स ५० साल पहले थीं और गुलामी के जमाने के जो स्केल और शर्तें थीं वही सिलसिला अभी तक चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, यह लेक्चरबाजी न करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आज देश अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है और किसी भी देश को अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये इंजीनियर्स को कांफिडेंस में लेना आवश्यक होता है और जो सवाल अभी कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो इन तमाम बातों को देखते हुए जो व्यवस्था आपने इंजीनियरों के लिये रखी है उस में इंजीनियर्स सिवा भ्रष्ट होने के और कुछ नहीं कर सकते। वह अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं इसलिये इन तमाम बातों को देखते हुए क्या आप उन की सर्विस कंडीशन्स, स्केल और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कोई पे रेशनेलाइजेशन कमेटी के अलावा, अलग से समिति बनायेंगे जो उनकी तमाम बातों को देखकर अलग से एक रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करे?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं निवेदन कर चुका हूं इस वक्तव्य में भी कहा गया है कि निस्संदेह इंजीनियर्स बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं और आज के समय में जब विज्ञान टैक्नालाजी और औद्योगीकरण की बहुत आवश्यकता है तो उनके कार्य का महत्व और भी बढ़ जाता है लेकिन उनके लिये किसी पृथक कमेटी के बनाने की जरूरत नहीं है, जो उन की दिक्कतें और असुविधायें होती हैं उन का आये दिन शासन पता लगाता रहता है और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमारे सहयोगी मंत्रिगण

उन विभागों का काम देखते रहते हैं, उन की इंजीनियर्स से बातचीत होती रहती है, उनका सम्पर्क रहता है, वह उन से मिल भी सकते हैं, उन्होंने मिलकर अपनी मांगें रखी भी हैं। इन सब बातों को सामने रखते हुए तमाम बातें देखी जाती हैं और निर्णय लिये जाते हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या यह सही है कि यह जो वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट आई है उसका एक चैप्टर इंजीनियर्स पर है कि उनके ग्रेड को क्यों न बढ़ाया जाय, और जब रेशनेलाइजेशन का सवाल था तो क्या विशेष बात थी कि उस कमेटी ने इस बात को वहीं एक पेज पर लिखा है कि इंजीनियर्स के ग्रेड क्यों न बढ़ाये जायं, क्या मंत्री जी उस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह कमेटी जो बैठाई जाती है वह रिपोर्ट देती है और कारण जो होते हैं वह सब-कमेटी देखती है, उन्होंने क्यों यह चैप्टर दिया है यह हमने नहीं पूछा, लेकिन शासन को अंतिम निर्णय का अधिकार है, जो बातें उचित होती हैं वह मानी जाती हैं जो उचित नहीं होतीं नहीं मानी जातीं।

श्री नवलकिशोर—

अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इंजीनियर्स बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं और उन की बड़ी अहमियत है, लेकिन उस कैडर में जो स्टेट की और सर्विसेज है और उनका स्केल इस कमेटी के मुताबिक जो उन के ऊपर कर दिया गया और एक डिस्पैरिटी पैदा हो गई उसको खत्म करने के लिये मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो मैं कह चुका हूं कि माननीय सदस्य कोई ऐसी चीज सामने लायेंगे या कोई असंगति होगी तो उसको देखा जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और स्वयं उनको भी अनुभव होगा कि इस सूबे के अन्दर और देश के अन्दर माननीय मंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी से ८० फीसदी उनका रहन-सहन अच्छा रहता है। दूसरे मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सन् १९५७ में एक कमेटी का निर्माण हुआ था जिसने अपनी सिफारिशों में यह कहा था कि जो व्यक्ति वर्कचार्ज्ड में हजारों की संख्या में काम करते हैं, उन व्यक्तियों को रैग्युलर में किया जाय और वर्कचार्ज्ड से हटा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस हो गयी। उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया। यदि आप उस पर कोई स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर लीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो भी कमेटी होती है सरकार उसकी रिपोर्ट पर विचार करती है। तो मैं साफ-साफ शब्दों में जानना चाहता हूं कि क्या इंजीनियर्स, जिनका रहन-सहन आपसे सैकड़ों गुना ऊंचा रहता है, के साथ-साथ वर्क चार्ज्ड मजदूरों के भी मामले पर गौर कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

रहन-सहन की तुलना तो माननीय सदस्य स्वयं कर सकते हैं।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो हमारे इंजीनियर हैं वे आज हजारों रुपया पैदा करते हैं। तो ये कैसे भावुक हो गये हैं? क्या कोई ऐसी सूचना है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

माननीय मुख्य मंत्री जी से जब वह इंजीनियर मिले, काले बिल्ले पहने हुये थे, और उन्होंने उस समय तक मिलने से इंकार किया जब तक कि वे काले बिल्ले पहने हुये थे तो क्या कारण है कि वे उनसे काले बिल्ले पहने हुए ही मिले?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने यह भी निवेदन किया कि बात कुछ अशोभनीय है और यह व्यक्ति की बात होती है। किसी को कोई चीज बहुत बुरी लगती है और किसी को कुछ थोड़ी लगती है। यह बात सही है कि जो इंजीनियर्स थे उनके हाथ पर काले पट्टे थे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं बार-बार खड़ा होता हूं पर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देते।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री राधेश्याम शर्मा—

बैठ तो जायेंगे ही।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में स्वयं यह कहा है कि वाकई ही जो पे कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें कुछ असंगतियां हैं, और यह भी सिद्ध हो गया है कि जो टेक्निकल और नन-टेक्निकल स्टाफ होता है उनमें मतभेद रहता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो एनौमैली कमेटी बनी है और जिसमें कोई टेक्नीकल आदमी नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि चूंकि इसका संबंध सारे प्रदेश के विभागों से है जो कमेटी बने उसमें प्राविधिक अधिकारियों में से कोई टेक्निकल आदमी इन इंजीनियर्स में से हो ताकि उनके हितों की भी रक्षा कर सकें?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न बहुत बार हो चुका है।

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं तो ब्योरे में इसके बारे में कह चुका हूं। जितनी भी सेवायें हैं शासन की जैसे शरीर के तमाम अंग होते हैं उसी प्रकार वे सब शासन के अंग हैं और उनकी जानकारी कुछ न कुछ शासन को रहती ही है। अब अगर टेक्निकल सर्विस की बात उठाई जाती है, तो एक टेक्निकल सर्विस की बात एक टेक्निकल मैन जानता है तो दूसरी टेक्निकल सर्विस की बात वह नहीं जान सकता। तो इस प्रकार बड़ी गड़बड़ी होगी। लिहाजा हरएक टेक्निकल सर्विस को प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं है, बल्कि सवाल यही है कि चीजें शासन के सामने आ जायेंगी और सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री ने टेक्नोलाजी की मौलिक बात कही तो इस विकास के जमाने में आई ए० एस० सर्विसेज तथा इंजीनियरिंग सर्विस के पे स्केल्स को बराबर करने में माननीय मंत्री को क्या आपत्ति है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो तुलनात्मक प्रश्न है। इसका कोई उत्तर मैं नहीं दे सकता।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब, बिहार तथा बंगाल में जो उत्तरी भारत में हैं वहां इंजीनियरों के वेतन उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों के वेतन से ज्यादा हैं ? दूसरे पिछले १५ सालों में प्रायः देश के सभी नेताओं ने स्वीकार किया है कि टेक्निकल लोग जो हैं उनको प्रशासन में तथा समाज में समान आदर मिलना चाहिये, इस दिशा में सरकार ने क्या सक्रिय कदम उठाये हैं ? आज भी जिलाधीश जो है जिले में वह डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर की, जो हेड आफ दी डिपार्टमेंट है जिले का, उसकी रिपोर्ट लिखता है या नहीं ? सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाये हैं जिनसे यह उनको मालूम हो सके कि अधिक अधिकार उनको नहीं हैं तो कम से कम बराबर की हैसियत मिल ही गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य के प्रश्न में बहुत सी चीजें हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट लिखता है या नहीं लिखता है। ऐसी चीजों की जानकारी मुझे नहीं है। जहां तक वेतन का ताल्लुक है और प्रदेशों में अभियन्ताओं को जो वेतन मिलते हैं उनके आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं और उनसे यह प्रतीत होता है कि दो एक प्रदेशों में उनके वेतनक्रम हमारे यहां से अधिक हैं जिनकी कि वेतन अभिनवीकरण समिति ने सिफारिश की है और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें कि उसकी तुलना में कम मिलते हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

वेतन अभिनवीकरण समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनमें ऊपर के अधिकारियों के वेतन में ज्यादा वृद्धि की है और नीचे के अधिकारियों में कम जैसे कि इंजीनियरों के मेमोरेंडम को देखने से मालूम होता है कि असिस्टेंट इंजीनियर को वेस्ट बंगाल में ४५०–१,००० पंजाब में ३७५–९५० रु० बिहार में ३२५––९३० रु० मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में ३००–९०० रु०। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को ७५० –१३५० रु० मिलते हैं जबकि उत्तर प्रदेश में ६००–१२५० रुपये। जहां तक चीफ इंजीनियर का संबंध है कुछ प्रान्तों में अधिक है और कुछ प्रान्तों में बराबर तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री नीचे के अधिकारियों के विभिन्न वेतन क्रमों को अन्य प्रदेश में जो वेतन क्रम मिलते हैं उनके समकक्ष लाने की कृपा करेंगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, यह तो ब्योरे का प्रश्न है। इसमें नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी इनके वेतन बढ़ाने से पहले इनके प्राइवेट बैंक बेलेंस पर निगाह रखेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री राधेश्याम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, आपने नवलकिशोर जी को तीन बार बोलने दिया और हमको एक दफा भी मौका नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप भी बोलेंगे, क्यों घबराते हैं ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मैं आगे नहीं बोलूंगा । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि टैक्नीशियन्स को प्रोत्साहन देने के लिये जो इंजीनियरों की शिकायत है कि जूनियर आई० ए० एस० आफिसर्स उनको डोमिनेट करते हैं, उसके लिये वे कोई कदम उठायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, पहले यह देखना होगा कि वे डोमिनेट करते हैं, यह ठीक है या नहीं ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आई० ए० एस० आफिसर्स की जो नियुक्ति की गई है वह इसलिये की गई है कि इनका ५ से लेकर १५ परसेंट तक जो कमीशन होता है उसकी वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है और बिल्डिंग्स खराब हो रही हैं ? उनके ऊपर अंकुश रखने के लिये इनकी नियुक्ति की गई है, क्या यह सही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, माननीय सदस्य के भाषण से प्रश्न का पता नहीं लगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रश्न दोहरा दूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात हो गई ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी के बयान में एक वाक्य है कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करने के लिये इंजीनियर्स अपने बाजू पर काले पट्टे बांध रहे हैं और अन्त में लिखा है कि ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे तो उचित तथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी । श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उनकी सूचना है या धमकी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो राय की बात है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंजीनियरों की तनख्वाह की मांग को छोड़कर सब से पहली मांग है कि टैक्नीशियन्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करते हैं उनको आई० ए० एस० आफिसर्स चलाते हैं । तो उनको हटाकर इंजीनियरों को वैज्ञानिक अधिकारियों द्वारा ही चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभी तक तो ऐसा नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—

पी० आर० सी० में अधिकतर आई० सी० एस० और आई० ए० एस० लोग थे। उन्होंने पी० आर० सी० की रिपोर्ट में पेज ५०, पैरा ६ में लिखा है कि इंजीनियर्स की तनख्वाह इसलिये नहीं बढ़ाते क्योंकि उनकी पढ़ाई में बहुत खर्च हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

उन्होंने तो अपनी स्पेशल पे, अपनी पे में मर्ज कर दी और इंजीनियर्स की स्पेशल पे मर्ज नहीं की। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उन्होंने इंजीनियर्स की तनख्वाह इस लिये बढ़ाई कि उनकी पढ़ाई में ज्यादा खर्चा हुआ था और इसलिये उनकी स्पेशल पे भी मर्ज नहीं की है, क्या यह सही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सही या गलत मैं नहीं जानता। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

इंजीनियर्स तो जितने पुल और बांध खराब हो रहे हैं, उसी से अपनी तनख्वाह निकाल लेते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि समाजवादी सिद्धांत के अनुसार उनकी तो तनख्वाह ठीक है, इनमें जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह को बढ़ाने का प्रबन्ध सरकार करेगी या नहीं करेगी ?

(मंत्री को उत्तर देने के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री गोविन्दसहाय—

क्या मैं सरकार से आशा करूं कि जो ट्रिब्यूनल वह मुकर्रर करने जा रही हैं उसमें इंजीनियर्स का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे या नहीं ? यह प्रश्न इसलिये उठाया गया है कि इंजीनियर्स और ऐडमिनिस्ट्रेटर्स में पुराना संघर्ष चला आ रहा है। अगर आप इंजीनियर्स का कोई आदमी ट्रिब्यूनल में रखेंगे तो कम से कम उनको मानसिक सांत्वना अवश्य होगी और यह पुराने ऐलानात के अनुकूल होगा।

श्री कैलाशप्रकाश—

पता नहीं उनका कौन से ट्रिब्यूनल से मंशा है। यहां ट्रिब्यूनल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक उनकी बात सुनने का ताल्लुक है, वह माननीय मुख्य मंत्री से भी मिल सकते हैं, मुझसे भी मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं।

लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल, गाजीपुर में जूनियर हाईस्कूल लड़कों को निकाल देने के कमिश्नर के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, लेखपाल स्कूल, गाजीपुर में जुलाई, १९६५ में ७७ अभ्यर्थी लेखपाल ट्रेनिंग के लिये दाखिल किये गये हैं। इनमें गोरखपुर मंडल के देवरिया जिले के १० और बस्ती से २५ अभ्यर्थी हैं। बस्ती जिले के १५ अभ्यर्थी और देवरिया जिले के ६ अभ्यर्थी हाई स्कूल पास हैं अथवा उससे आगे तक पढ़े हैं। इन दोनों जिलों के बाकी १४ अभ्यर्थी हाई स्कूल पास नहीं हैं।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

गोरखपुर मंडल के आयुक्त ने हाईस्कूल पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुये यह आदेश पारित किया था कि इन जिलों के केवल हाई स्कूल पास अभ्यर्थी रक्खे जांय। राजस्व परिषद् के पास कुछ अभ्यर्थियों ने गोरखपुर मंडल के आयुक्त के उपर्युक्त आदेश के खिलाफ निवेदन किया था। परिषद् ने कलेक्टर, गाजीपुर को आदेश भेज दिया है कि हिन्दस्तानी मिडिल व जूनियर हाई स्कूल पास अभ्यर्थियों को जो हाई स्कूल पास नहीं हैं, स्कूल से न निकाला जाये। नियम में इस ट्रेनिंग के लिये न्यूनतम योग्यता हिन्दुस्तानी मिडिल या जूनियर हाई स्कूल है, इसलिये न्यूनतम योग्यता वाले भी जो अभ्यर्थी जिलाधिकारियों द्वारा मनोनीत कर दिये गये थे उनको स्कूल से न निकालने का आदेश परिषद् ने प्रेषित किया है।"

सदन का साप्ताहिक कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

जब मंत्री जी इस सप्ताह का कार्यक्रम घोषित करेंगे।

मुख्य मंत्री केसभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, इस सप्ताह का कार्यक्र म निम्न प्रकार होगा—

"३० व ३१ अगस्त तथा १ सितम्बर, १९६५—संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारिता समिति विधेयक, १९६४ पर विवाद एवं उनका पारण।

१ सितम्बर, १९६५ को ५ बजे सांयकाल निम्नलिखित का प्रस्तुतीकरण—

१—वित्तीयवर्ष १९६५–६६ प्रथम अनपूरक अनुदान तथा

२—वित्तीय वर्ष १९६०–६१ का अतिरिक्त अनुदान।

२ सितम्बर, १९६५ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार एवं उसका पारण तथा उत्तर प्रदेश पशु रोग विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण।

३ सितम्बर, १९६५ को वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के प्रथम अनपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद, मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनपूरक) विधेयक, १९६५ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण—एवम्—वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य विवाद (यदि आवश्यक हुआ), मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है। यह सप्लीमेन्टरी ग्राण्ट के लिये जो आपने समय बताया है, उससे हमें बहुत ही असन्तोष है। यह हमारे बजट का एक छोटा सा रूप है, जिसमें सामान्य विवाद के लिये ४ दिन और आईटम वार विवाद के लिये २५ दिन मिलते हैं और आप इसको चाहते हैं एक दिन में पास कर दें। यदि इसी प्रकार से करना है तो कर दें, उनकी मेजारिटी है। इसमें तो, श्रीमन्, एक हफ्ते का समय चाहिये। इस विषय में कितना हमारा अनुभव है, कितनी ही बातों पर विचार करना है, इसके महत्व को समझते हुये तो एक दिन बहुत कम है, एक सप्ताह मिलना च हिये। यदि ऐस ही करन था तो हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं यह कार्यक्रम जो उन्होंने रख दिया है वह स्वीकार करने लायक नहो है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय नेता विरोधीदल ने इस कार्यक्रम के बारे में जो कहा है, मैं भी उससे सहमत हूं, एक दिन समय बहुत कम दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि एक एजेन्डा हम लोगों को वितरित किया गया था, जिसमें ६ सितम्बर को सप्लीमेंटरी बजट रखने के लिये दिन नियत था। मैं जानता हूं यह परिपाटी है और हमारे नियमों में है, यह नहीं कि जिस दिन श्री बंशीधर जी चाहें रख दें या जिस दिन चाहें पास करा दें। मैं नहीं समझता कि इस पर गवर्नर साहब की स्वीकृति ली गयी होगी जबकि इस पर गवर्नर साहब की स्वीकृति होना आवश्यक है क्योंकि बजट संबंधी विषयों पर बिना गवर्नर की स्वीकृति लिये दिन नहीं नियत किया जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि बिना गवर्नर महोदय की राय लिये, सोचे समझे, कैसे यहां पर संशोधित प्रोग्राम पेश कर दिया गया सदन के सामने। यह बड़ी तकलीफदेह बात है। इस तरह की बात बिना सोचे समझे हाउस के सामने नहीं लानी चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप स्वयं जानते है कि विधान में यह निश्चित रूप से लिखा हुआ है कि सप्लीमेंटरी के लिये जो तिथि निश्चित होती है वह राज्यपाल ही करते हैं। यदि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है वह सर्वसम्मति से यानी सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव राज्यपाल जी के पास भेज सकता है कि वह समय सूट नहीं करता है। कोई मंत्री उस निश्चित समय को बदल नहीं सकता। दूसरे नेता विरोधी दल ने जो बात उठाई है मैं उसका समर्थन करता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट अब करोड़ों रुपयों का होता है और इसकी बहस के लिये कुछ घंटों से कार्य नहीं चलेगा, वह एक दिन में ही समाप्त हो जाय यह विचार ठीक नहीं है। जनसंघ के नेता जी ने एक हफ्ते की मांग की है, १ हफ्ते नहीं तो कम से कम तीन दिन तो अवश्य मिलना ही चाहिये। इसलिये मैं श्रीमन्, से निवेदन करता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और ३ दिन का समय हमको दें और यह तिथि कैसे नियत की गयी है यह भी आप देखें। इसको आप इस समय वापस लिवायें और बाद में हम सब बैठें और इस पर निर्णय करें। इस पर माननीय राज्यपाल की स्वीकृति भी नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय राज्यपाल की स्वीकृति आ चुकी है कि इसको ३ तारीख के लिये कर दिया जाय। पहले भी ऐसा हो चुका है कि पहली तारीख को प्रस्तुतीकरण हुआ है और ३ तारीख को उस पर विवाद हुआ है। यह कोई नयी बात तो नहीं की जा रही है। पहले भी एक ही दिन इस पर विवाद होता चला आया है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, प्रश्न बिलकुल दूसरा है। अब करोड़ों रुपयों का सप्लीमेंटरी बजट आता है और एक दिन से अधिक समय उस पर विचार के लिये मिलना चाहिये। इसपर आप अपनी व्यवस्था करें और गवर्नमेंट को भी चाहिये कि इस पर उदारतापूर्वक विचार करे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक और एतराज है। सदन ने बिजनेस कमेटी के रिजोल्यूशन के बाद यह निश्चित किया था कि १ तारीख को कोआपरेटिव बिल चलेगा। कोआपरेटिव बिल चल रहा है और करीब उसमें से २, ३ घंटे का समय अन्य कार्यों के लिये ले लिया गया है। मेरा निवेदन है कि वह समय जो इस विधेयक के लिये लिया गया था उसे भी दिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय पांडेय जी से आग्रह किया है कि कम से कम एक सप्ताह दिया जाय, तो चाहे एकाध रोज कम कर दिया जाय, लेकिन माननीय पांडेय जी यह तो बतावें कि वे इस सप्लीमेंटरी बजट पर कितना समय देने के लिये तैयार हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के आर्टिकिल २०५ में यह स्पष्ट है कि जो एक बार सदन के निश्चित मत से गवर्नर साहब ने तिथि निश्चित कर दी उसको मंत्री बदल नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष—

गवर्नर की आज्ञा तो प्राप्त हो गयी।

श्री नेकराम शर्मा—

इन्होंने दोबारा कैसे प्राप्त कर ली ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जो सूचना हमें दे रहे हैं वह यह है कि माननीय राज्यपाल की आज्ञा से यह बजट आ रहा है। अब प्रश्न दूसरा है....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कोई लिखित सूचना इनके पास है या नहीं ? कोई सूचना आपके पास आयी या नहीं ? जब तक वह न हो तब उनकी यह बात अनर्गल है। अगर आपके पास नहीं आ यी है तो नकी बात बिलकुल गलत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन कर दूं कि सरकारी पक्ष को आपको सचेत कर देना चाहिये था कि इस एजेंडा में यह यह परिवर्तन चाहते हैं और आप अपने सचिवालय की राय के अनुसार समय में परिवर्तन करते हैं। तो यह राज्यपाल जी का जो दूसरा हुकुम है, क्या वह आपके पास है और किस आधार पर सरकार इस समय का परिवर्तन चाहती है ?

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

सप्लीमेंटरी बजट में बड़ा गड़बड़ घोटाला है और यह अपने गुनाहों को जल्दी करके छिपाना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

पहले जो कार्यक्रम निश्चित था उसके परिवर्तन के लिये क्या सरकार ने महामान्य राज्यपाल को ऐप्रोच किया या उनका कोई निर्देशन था और पहले आदेश को बदल कर उन्होंने क्या यह दूसरा आदेश दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक माननीय राज्यपाल का प्रश्न है, हमको पत्र द्वारा सूचना दे दी गई है कि राज्यपाल के आदेशानुसार यह किया जा रहा है। अब रही यह बात कि इसमें कितना समय लगेगा, तो हम यह समझते हैं कि अभी जरा इस पर प्रिमेच्योर बहस रही है। पहली तारीख को जब यह आपके सामने आये तब आपको सरकार से मिलकर इस बात को आपस में तय कर लेना चाहिये।

जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे सब बातों को देखना है। आप इस बात को देखें कि सप्लीमेंटरी बजट कितना है और कितना नहीं है, तब यह बात तय होगी। इस समय तो सूरत यह है कि पहली तारीख तक तो वही कार्यक्रम चलेगा जो कार्यक्रम इस सदन द्वारा निश्चित किया गया था। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिवाय इसके कि पहली तारीख को आपके सामने बजट प्रस्तुत होगा। कार्य यह है कि दो दिन का समय आपको दिया जाता है। ३ तारीख को उस पर बहस हो सकती है। २, ३ तारीख सरकार के पास खाली थी और इन दिनों का सरकार किसी तरह से प्रयोग करना चाहती थी। उसके लिये उनकी ओर से आपके सामने काम रख दिया गया है। अब रही यह बात कि उस पर कितनी बहस हो तो यह आप और सरकार के बीच आपस में मिलकर तय हो सकता है। आपस में मिलकर तय कर लें तो अच्छा है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नर का कोई आदेश आपको मिला है? मैं समझता हूं आपको कोई आदेश नहीं मिला है। जब उनका कोई आदेश आपको नहीं मिला है तो सभा सचिव या मंत्री के कहने पर आप कोई ऐसा परिवर्तन कर दें, यह नहीं हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम १९५ में स्पष्ट यह लिखा हुआ है कि "राज्यपाल अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत अनुपूरक अथवा अपर अथवा अतिरिक्त व्यय के संबंध में अनुदानों के लिये मांगों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये एक या अधिक दिन नियत कर सकेंगे।

(२) अध्यक्ष सदन—नेता से परामर्श करके ऐसी मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिये समय-समय पर एक या अधिक दिन नियत कर सकेंगे।.....

श्रीमन्, आपसे कोई सलाह नहीं ली गई और गवर्नर की बात यहां पर कह दी गई। तो उस संबंध में भी आपको सूचना नहीं है। माननीय पांडेय जी ने एकदम प्रस्ताव यहां पर रख दिया। आप और सदन—नेता यह तय करते हैं। गवर्नर इसकी स्वीकृति देते हैं? तो इनको क्या अधिकार है कि इस प्रकार से तिथि में परिवर्तन कर दें? यदि वह इस तरह इसे सदन में पढ़कर सुनादें बिना आपकी आज्ञा के, तो क्या यह नियम का उल्लंघन नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

दूसरे उपखंड (२) में यह दिया है कि कितने दिन उसपर चर्चा होगी, यह निश्चय होगा। जहां तक दिन निश्चय करने का प्रश्न है वह तो राज्यपाल महोदय ने कर दिया है और इसके लिये उन्होंने कह दिया कि उनको इस बात की सूचना मिल गई। अब रहा यह कि कितने दिन बहस होगी। इसके लिये वह कह रहे हैं कि एक दिन पर्याप्त होगा। अब मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसा हो सकता है कि जब आपके सामने बजट आ जाय तब आप सरकार से मिलकर बात कर लीजिये। इस समय क्यों उनको आप बाध्य कर रहे हैं? इस समय उन्होंने कार्य क्रम रख दिया है। कितना समय आप लेना चाहते हैं बाद को उनसे परामर्श हो सकता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन यह है कि यह सारा कार्यक्रम जो सप्ताह भर के लिये बतलाया गया है वह कार्यक्रम सप्ताह में पूरा नहीं हो सकता है। अब जब उन्होंने यहां पर इसको रख दिया है तो हमको वह सप्ताह में पूरा करना पड़ेगा। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम सप्ताह में पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिये ज्यादा समय की जरूरत है। इस सप्ताह से इसको निकालकर अगले सप्ताह इसको किया जाय। इतना सारा काम इतने दिनों में पूरा होना असम्भव है। मेरा निवेदन है कि ऐसा कार्यक्रम रखिये जो सम्भव

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

हो और जिसको हम कर सकें। आप असम्भव कार्य के लिये सरकार से कह दें कि इसके लिये अधिक समय की आवश्यकता होगी । जितना समय अधिक आप उचित समझें उसके लिये सरकार से कह दें । यह आपका कार्य है, सरकार का कार्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

बाद में आप उनसे बात कर लीजियेगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४—खंड ३ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

माननीय भीखालाल जी, आप बोल रहे थे ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, खंड ३ के सम्बन्ध में जो संशोधन रखे गये हैं उन के विरुद्ध माननीय मंत्री जी ने जो आपत्ति उठायी है उसके संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा था । माननीय मंत्री जी ने विरोध में कोई सैद्धांतिक बात या कोई सैद्धांतिक मतभेद सामने नहीं रखा ।

श्री अध्यक्ष—

आप खंड ३ पर बोल रहे हैं ?

श्री भीखालाल—

जी हां । यह तीनों संशोधन पेश हो चुके हैं । मंत्री जी ने इन के विरोध में दो आशंकायें व्यक्त कीं। पहली यह कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि सहकारिता के जो निबंधक होंगे वह हमेशा एक आनरेरी आदमी होगा, सरकारी आदमी नहीं रखा जा सकता । मैं इस आशंका का अर्थ नहीं समझ पाया । हम लोगों के संशोधन से इस प्रकार का अर्थ निकालता नहीं । जो मूल धारा है उससे अवश्य यह आशंका हो सकती है जहां लिखा है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को निबंधक के पद पर नियुक्त कर सकती है । उसमें सरकारी आदमी भी हो सकता है, गैर-सरकारी आदमी भी हो सकता है लेकिन हमारे संशोधन से यह झलक नहीं मिलती । और मैं नहीं समझता कि यह आशंका उनकी कहां तक उचित है ।

दूसरी बात उन्होंने यह रखी कि अगर हम इन संशोधनों को मान लेंगे और किसी ने हाईकोर्ट में रिट कर दिया तो हम क्या करेंगे । मान्यवर, हम यहां कुछ सिद्धांतों का निष्पादन कर रहे हैं कि किस आधार पर हम निबन्धक की नियुक्ति करेंगे । इस आशंका की बिना पर हम उन सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते । तो यह आशंका कोई अर्थ नहीं रखती । हम लोगों के संशोधनों का तात्पर्य यह है कि यह हमारा सहकारी आन्दोलन ठीक प्रकार से चले और हमारी आशायें और नीतियां उससे पूरी हों । इसीलिये यह संशोधन है कि हमारा जो निबंधक हो वह अनुभवी व्यक्ति हो, जिसे सहकारिता में विश्वास हो, और रुचि हो । मैं समझता हूं कि यह एक मौलिक संशोधन है और इसे सदन स्वीकार करेगा ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

भीखालाल जी ने जो कहा उसे मान लेने से कठिनाई हो जायगी । राज्य सरकार इन तमाम सब बातों पर विचार कर के कि उसको कितना अनुभव है, उसे रुचि है अथवा नहीं, उसकी नियुक्ति करेगी । लेकिन इस संशोधन को मान लेने से तो यह उस की एक तरह से

---

*२६ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही से ।

क्वालिफिकेशन हो जायगी और उस के लिये एक टेस्ट करना पड़ेगा । इस कारण यह असंभव है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

रजिस्ट्रार के एप्वाइंटमेंट के लिये कोई नियम आदि निर्धारित किये गये हैं अथवा नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो भी तजुर्बेकार आदमी होते हैं, जिनका सहकारिता में विश्वास और उस बारे में काफी जानकारी है, आमतौर से सरकार उन्हीं को नामिनेट करती है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "किसी भी व्यक्ति को" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"किसी व्यक्ति को जो सहकारिता विशेषज्ञ हो अथवा सहकारिता संबंधी कार्यों में रुचि तथा अनुभव रखता हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब फूलसिंह जी का संशोधन है ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

मैं इसको वापस ले रहा हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के अंत का पूर्ण विराम हटा कर कामा रख दिया जाय और उसके बाद निम्न वाक्य जोड़ दिया जाय :

"जिसे सहकारिता आन्दोलन में विश्वास हो, सहकारिता के कार्यों में रुचि हो और सहकारिता आन्दोलन का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के अंत में यह जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन निबन्धक आयुक्त के स्तर का राजकीय अधिकारी होगा ।"

श्री बंशीधर पांडेय—

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कभी कमिश्नर के स्तर का होगा, कभी . . .

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अभी आपके सामने तीन संशोधन थे । इसमें निबन्धक के लिये भी व्यक्ति शब्दों का प्रयोग किया गया है । इनके अनुसार कोई अंगूठा टेक भी निबन्धक हो सकता है । आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

ने रजिस्ट्रार को रखने की बात कही है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी इसे आपने कहीं भी निश्चित नहीं किया है और इसलिये मेरे संशोधन की नितांत आवश्यकता है । यह भी हो सकता है कि इसमें सरकार की नीयत साफ न हो, क्योंकि जैसे अभी हमारे कई साथी इस पार से उस पार चले गये उनमें से किसी माननीय सदस्य को, रामायण राय जी को या कल्पनाथ सिंह जी को भी आप नियुक्त कर सकते हैं ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा इधर भी एड्रेस कीजिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो शब्द खंड ३ में दिये गये हैं 'किसी भी व्यक्ति", उन की परिभाषा भी होनी चाहिये कि उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन होगी । इस पद पर जो भी नियुक्त होगा उसका बड़ा भारी उत्तरदायित्व होगा । उसके लिये कुछ नियम आदि होने चाहिये । मंत्री जी यह अनुभव करते होंगे कि यह गलती रह गयी है । कहीं न कहीं आप इसका संकेत करें । बिना इसके तो आप गैर सरकारी आदमी भी रख सकते हैं, बिना अनुभव का आदमी भी रख सकते हैं । इसलिये यह बहुत आवश्यक है । माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अब तक जितने भी रजिस्ट्रार हो चुके हैं वे श्रीमन्, ऐसे ही व्यक्ति हुये हैं जिनको इस काम का अनुभव रहा है और योग्य रहे हैं । इस समय यह कहना तो कठिन होगा कि हम इसी तरह के व्यक्ति को रखेंगे या नहीं । कलेक्टर की श्रेणी के व्यक्ति को भी रख सकते हैं, कमिश्नर के श्रेणी का भी रख सकते हैं । इसको मान लेने से तो एक बंदिश सी हो जायगी । इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

फिर सरकार के लिये क्या पाबन्दी रहेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार इतना बड़ा ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, वह जानती है कहां कौन व्यक्ति उपयुक्त होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में यह जोड़ किया जाये—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन निबन्धक आयुक्त के स्तर का राजकीय अधिकारी होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति के शब्द 'अन्य व्यक्तियों को भी" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"विभागीय सहकारिता दक्ष तथा उच्च कुशल अनुभवी अधिकारियों में से किन्हीं को भी ।"

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

इसी तरह के संशोधन अस्वीकृत हो चुके हैं, यह नहीं आना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

कमलासिंह जी, उसी लाइट में इसे देख लें ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, यह उससे बिलकुल भिन्न है, माननीय सदस्य ने शायद उसे पढ़ा नहीं है । श्रीमन्, इस प्रदेश में, देखा यह जा रहा है कि कुनबापरस्ती और पक्षपात इतना बढ़ता जा रहा है कि दक्ष लोग कोआपरेटिव विभाग छोड़ कर अन्य जगह काम कर रहे हैं । जो लोग बाहर से दक्षता प्राप्त करके आते हैं उनको भी इस विभाग में ऊंचा पद देने की व्यवस्था नहीं की जाती इसलिये इस विभाग में बड़ा असन्तोष है । जो इस विभाग के नीचे के अच्छे अच्छे ईमानदार लोग हैं उनको यह अवसर नहीं मिलता कि वे ऊंचे पदों पर जा सकें । विभाग में जो कार्य कर रहे हैं उनको इस स्थान पर नियुक्त किया जाय, इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है । चाहे मंत्री जी कहीं भी ऐसी गुंजाईश रख दें कि वह विभागीय कर्मचारी होगा और कार्य कुशल होगा । मैं समझता हूं कि यदि ऐसा प्राविधान होगा तो इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिये जो चीजें जरूरी हैं उनमें अधिक सफलता प्राप्त होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि रजिस्ट्रार, आई० ए० एस० अफसर कोई हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं । असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार डिपार्टमेन्टल लोग ही होते हैं । जितने लोग नीचे से आते हैं, और जो अच्छे होते हैं उस को कार्य करने का मौका मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको कुछ कहना है, कमलासिंह जी ?

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी इसमें ले आते तो अच्छा है ।

श्री रक्षपालसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, उनमें सहायक निबन्धक नहीं होंगे तो कौन होगा, इसकी जानकारी देंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐक्ट में सारी बातें थोड़े ही आ जावेंगी । गवर्नमेन्ट अपनी रिक्वायरमेन्ट से सारी बातें करेगी ।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता था कि जहां तक सहायक रजिस्ट्रार का सवाल है उनके लिये ये सर्विसेज गारन्टीड होंगी कि विभाग के लोगों में से ही कोई नियुक्ति की जायेगी । अगर ऐसी बात कर दें तो मैं इसको वापस ले लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "अन्य व्यक्तियों को भी" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"विभागीय सहकारिता दक्ष तथा उच्च कुशल अनुभवी अधिकारियों में से किन्हीं को भी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड (३) के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधिकारी जिलाधीश के स्तर के राजकीय अधिकारियों में से होंगे ।"

श्रीमन्, हठवादिता का तो कोई इलाज नहीं । माननीय मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रहेंगे, ऊंचे अफसर रहेंगे, परन्तु कहीं इसका प्राविधान भी करेंगे ? बाद को आप फिर करेंगे, जब कि रिट होगी और अमेन्डमेन्ट होगा । आप यह लिखते कि उस डिपार्टमेन्ट के लोग रक्खे जायेंगे । यदि ऐसा भी करते तो ठीक था । उसी प्रकार जहां एडीशनल रखते, उसके लिये भी कोई दायित्व का व्यक्ति होना चाहिये । जो अधिकार निबन्धक को हो वह भी उन अधिकारियों को निबाहना होगा । इसलिये हमने अमेन्डमेन्ट रक्खा है कि वह स्तर जिलाधीश के स्तर का होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, मैं माननीय कमलासिंह के संशोधन पर अपनी बात कह चुका हूं और इनके संशोधन पर भी जो उपयुक्त समझा जाता है, वह होता है । कहीं-कहीं पी० सी० एस० अफसर भी डिप्टी रजिस्ट्रार या एडीशनल में चले जाते हैं । ज्यादातर ए० आर० में से प्रोमोट होकर जाते हैं । तो दोनों आदमियों की बातें आ जाती हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी समझ में अभी भी नहीं आया, जो ऐक्ट बन रहा है, उसमें कहां इसका प्राविधान है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, ऐक्ट में थोड़े ही यह बातें होती हैं, यह तो रूल्स में होती हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधिकारी जिलाधीश के स्तर के राजकीय अधिकारियों में से होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४ व ५

समितियां जो निबन्धित की जा सकती हैं

४—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना हो अथवा कोई समिति जो उक्त समिति के कार्य-संचालन को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गयी हो, इस अधिनियम के अधीन निबंधित की जा सकती है ।

स्पष्टीकरण—सहकारी सिद्धान्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :

(क) लोक सदाचार शिष्टता तथा भारत के संविधान में प्रतिपादित राज्य की नीति के संगत निदेशक तत्वों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हित की उन्नति ;

(ख) लाभ की भावना को विनियमित तथा निर्बन्धित करना ;

(ग) मितव्ययिता, पारस्परिक सहायता तथा स्वावलम्बन को बढ़ाना ;

(घ) स्वेच्छिक सदस्यता , और

(ङ) समिति का लोकतांत्रिक संगठन ।

सीमित अथवा असीमित दायित्व-पूर्ण निबन्धन

५—(१) कोई समिति, सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन जिसका कोई साधारण सदस्य दूसरी सहकारी समिति हो, सीमित दायित्व वाली समिति के रूप में होगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सीमित दायित्व वाली समिति के नाम का अन्तिम शब्द "सीमित" अथवा अंग्रेजी पर्याय "limited" होगा ।

श्री विजयसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के स्पष्टीकरण के भाग (क) के बाद निम्नलिखित और जोड़ दिया जाय—

"(क-१) उन्नत जीवन, उन्नत व्यवसाय और उत्पादन के उन्नत साधन ।"

स्पष्टीकरण के भाग (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"(च) सहकारी समितियों में सरकार की साझीदारी,

(छ) सहकारी समितियों के प्रबन्ध में साझीदारी ।"

मान्यवर, खंड ४ में सहकारी समितियों के निबन्धन के जो आधार है उनमें सहकारिता के सिद्धान्तों को स्पष्ट किया गया है । उसमें यह स्पष्टीकरण आया है कि कि स्वेच्छिक सदस्यता और समिति का लोकतांत्रिक संगठन और मितव्ययिता, पारस्परिक सहायता तथा स्वावलम्बन को बढ़ाना आदि, ये जो सिद्धान्त उसमें स्पष्ट किये गए हैं उन्हीं में यह भी आवश्यक है कि ये सिद्धान्त भी जोड़ दिये जांय क्योंकि जिन लोगों की उन्नति के लिए इस सहकारिता विभाग को सरकार जन्म दे रही है उन्हीं के हित के लिए यह आवश्यक है कि यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि उन्नत जीवन, उन्नत व्यवसाय और उत्पादन के उन्नत साधन भी इसके आधारभूत सिद्धान्त होंगे क्योंकि यह भी उसके ही एक अंग हैं । सहकारी समितियों के उद्देश्य में यह बात भी स्पष्ट रूप से अंकित हो जाती है । तो यह एक आवश्यक भार इस विभाग पर पड़ जाता है

[श्री विजयसिंह]

और उनके उन्नत जीवन, उन्नत व्यवसाय और उत्पादन के उन्नत साधनों पर भी समुचित ध्यान दिया जायगा। मान्यवर, उत्पादन बहुत आवश्यक चीज है। इसी के लिए देश और विभिन्न प्रदेशों के अन्तर्गत यह विधेयक लाया गया और और भी सारे काम सरकार द्वारा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह अगर इसके उद्देश्यों में जोड़ दिया जाता है तो इससे सारे विधेयक में जीवन आ जाता है और यह लाभप्रद ही होगा। इसके अनुरूप काम होने से पूरी जनता इससे अधिक लाभ उठा सकेगी। अतः अपने संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इसमें जो सहकारिता के मान्य सिद्धान्त हैं उन्हीं की चर्चा की गई है। अगर इस तरह से ब्योरे में लिखने लग जांय तो जो माननीय सदस्य ने दिये हैं उनके अलावा और भी बहुत से सिद्धान्त हो सकते हैं। इस तरह हर सोसाइटी को ऐक्ट में वर्णन करना उचित नहीं होगा। इसमें जितनी बातें आपने कही हैं उन्नत जीवन, उन्नत व्यवसाय और उत्पादन के उन्नत साधन, यह सब इसमें जा जाते हैं। उसके पहले आप देख लें यह इसमें दिया हुआ है—लाभ की भावना को विनियमित तथा निर्बन्धित करना, सदस्यों के आर्थिक हित की उन्नति आदि, तो यह सारी चीजें उसमें आ जायंगी। इसलिए अलग से लिखने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।

श्री विजयसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह इसलिए प्रेस किया है कि जैसे सहकारिता के माने हुए सिद्धान्त की बात आपने कही तो सहकारिता के सिद्धान्त कहीं इकट्ठा रखे हुए हों और उनमें से चुनकर आपने रख दिये हों, ऐसी बात तो नहीं है। आप देखें इसमें स्वैच्छिक सदस्यता का सिद्धान्त रखा है, यह तो माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनको रख दिया गया है तो उसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि इसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय।

यह विशेषता इसके आ जाने से होगी कि उन्नत जीवन, उन्नत व्यवसाय और कृषि की उन्नति इससे होगी, इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से यह निवेदन किया कि इसको शामिल कर लेने से इसका विशेष महत्व हो जायगा। कहीं-कहीं दूसरे प्रदेशों के विधेयकों में भी यह चीज दी हुई है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि उन्नत शब्द तो लगा हुआ है ही, उन्नत बीज, व्यवसाय की उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति के लिए, साधनों की उन्नति के लिए। केवल इस शब्द को रखने से कोई लाभ न होगा। जो भी कार्यक्रम अपनायें जायेंगे वे उन्नति के लिए तो अपनाए ही जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के स्पष्टीकरण के भाग (क) के बाद निम्नलिखित और जोड़ दिया जाय :

"(क–१) उन्नत जीवन, उन्नत व्यवसाय और उत्पादन के उन्नत साधन"

स्पष्टीकरण के भाग (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"(च) सहकारी समितियों में सरकार की साझीदारी,

(छ) सहकारी समितियों के प्रबंध में साझीदारी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, प्रस्ताव यह है कि—

खंड ४ के स्पष्टीकरण के भाग (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (च) रख दिया जाय :

"(च) कृषि को सहकारिता के आधार पर आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करना ।"

श्रीमन्, यह बताया गया है कि कोआपरेटिव फार्मिग के लिए एक अध्याय है, लेकिन इसके अन्दर ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गयी है जिसके जरिए से हम कह सकते हों कि कोआपरेटिव फार्मिग क्या है, किस तरीके से इसको हम बढ़ा सकेंगे । इसके साथ ही साथ अपने प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र और मद्रास के विधेयकों में कोआपरेटिव फार्मिग की परिभाषा को रखा है । जैसे महाराष्ट्र के १९६१ के विधेयक में उसके खंड २ के उपखंड (१२) में दिया हुआ है—

"Farming Society" means a society in which the object of increasing agricultural production, employment and income and the better utilisation of such lands (*a*) being owned by or leased to the members (or some of them) or(*b*) coming in possession of the society in any other manner whatsoever,

इसके अलावा मद्रास के ऐक्ट में दिया हुआ है—

"Farming society" means a registered society which has its principal object the promotion of better methods of cultivation by means of improved seed, manure, irrigation, bunding and tractor ploughing."

इसलिए मैंने मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि इस विधेयक में फार्मिग सोसाइटी की परिभाषा होनी चाहिए । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विधेयक में इसका एक चेप्टर दिया हुआ है । उस चेप्टर में यही सहकारी समितियों का जिक्र है कि किस तरह से कार्यवाही की जायगी । लेकिन जब तक उद्देश्यों में, जो इस विधेयक के हैं, उनमें जब तक उसका जिक्र न हो तब तक इस विधेयक के जरिए से उन कार्यों को करने में कठिनाई होगी । इसके ४(क) में दिया हुआ है—

"(क) लोक सदाचार शिष्टता तथा भारत के संविधान में प्रतिपादित राज्य की नीति के संगत निदेशक तत्वों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हित की उन्नति :

इसके अन्तर्गत तो वह आ नहीं सकेगा ।

इसके पश्चात् संविधान की धारा ४८ की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट आकृष्ट करना चाहता हूं । उसके अन्दर जो सरकार की नीति है उसका भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से कृषि की उन्नति होगी । संविधान की धारा ४८ इस प्रकार है—

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा संघटित करने का प्रयास करेगा ।"

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि जब हमारे संविधान के अन्दर एक चीज दी हुई है कि किस तरीके से हम कृषि करेंगे और इस विधेयक द्वारा जब आप एक डिफिनिट सहकारी कृषि समितियों का निर्माण करने जा रहे हैं तो किस तरीके पर कृषि करेंगे, उसका स्पष्टीकरण कर देना जरूरी हो जाता है । जहां तक समितियां जो निबंधित की जाती है, ऐसी समितियों के अन्दर सहकारी सिद्धांत के अन्तर्गत जो चीजें आ सकती हैं, उन चीजों का यहां स्पष्टीकरण होना जरूरी है । तो जो स्पष्टीकरण इसमें दिया है, "क" से "ङ" तक में कोई क्लाज ऐसा नहीं है जो कृषि सहकारी समिति को कवर कर सकता हो । इसलिए यह जरूरी है कि आधुनिक ढंग से साइंटिफिक तरीके से कृषि सहकारी समितियों का निर्माण हो सके । इसलिए यह आवश्यक है कि "ङ" के बाद "च" के रूप में जो संशोधन मैंने रखा है उसको इसमें जोड़ दिया

[श्री कमलासिंह यादव]

जाय ताकि चेप्टर ११ में कृषि सहकारी समितियों के निर्माण के बारे में जो बातें दी गयीं हैं उनका संचालन हम सही तरीके से कर सकें। खासतौर पर सहकारी सिद्धांत के आधार पर मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मंजूर करेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय कमला सिंह जी, दरअसल सहकारी कृषि समितियों को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का यहां प्रश्न नहीं है, यहां तो समितियां इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनायी जायेंगी। अगर सहकारी कृषि समिति के संबंध में आपकी बात मान ली जाय, तब विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो समितियां बनेंगी उन सबके लिए इस सिद्धांत को मानना आवश्यक हो जायगा। जैसा कि आपने कहा, आर्थिक हितों की उन्नति के लिए ये सब चीजें की जा रही है। तो जो भी आर्थिक क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं, उनमें नवीन से नवीन आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके अपनाएं जाएंगे। यहां तो समितियों के केवल रजिस्ट्रेशन की बात है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है।

(इस समय १ बजकर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

श्री रक्षपाल सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उसका कारण यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर कृषि के संबंध में इसको व्यवसाय हैं, परिभाषा को मान लिया जाय तो जो चर्म उद्योग है या अन्य विभिन्न प्रकार के प्रस्तावित उन सब का नाम इस विधेयक में लाना पड़ेगा।

दूसरा कारण यह है कि मैं तो पूरे चैप्टर ११ का विरोधी हूं क्योंकि मैं समझता हूं सहकारी कृषि समितियों के जरिए कृषि की पैदावार और घटने वाली है तथा सहकारिता के जरिए और जो अन्य गड़बड़ियां होती हैं वह कृषि क्षेत्र में भी फैल जावेगी, उसकी वजह से भी मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, इसमें कोई आर्थिक हित की बात नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण नहीं करते तब तो वह भी उसमें कवर हो जाता है, लेकिन स्पष्टीकरण के बाद इसको साफ कर देना जरूरी है कि सहकारी कृषि का निरुपण वे किस तरह से करना चाहते हैं। चैप्टर ११ में दिया हुआ है कि हम सहकारी कृषि फार्म की स्थापना करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे, इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक हो जाता है। जहां तक स्पष्टीकरण का संबंध है, उसमें हम कोई ऐसी बात दे दें कि जो सहकारी कृषि समितियां हैं, उनका आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से निर्माण होगा, तब तो मैं समझता हूं कि यह चीज बिलकुल ठीक हो जाती है। लेकिन स्पष्टीकरण में इस बात का जिक्र नहीं है और "क" में भी यह बात नहीं आती है इसलिए यह आवश्यक है कि यह संशोधन रखा जाय। अगर यह स्पष्टीकरण न होत तब तो कोई बात नहीं थी क्योंकि केवल सहकारी समितियों का ही सवाल था, लेकिन स्पष्ट करण से गड़बड़ हो जाती है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले ही कहा कि यहां पर कृषि ही प्रधान रहेगी और सब समितियां गौड़ हो जायंगी, जैसे कृषि समिति, श्रम समिति इन सब की व्याख्या हो गई, ये समिति अपना काम करेगी। उनका उद्देश्य है आर्थिक हितों की उन्नति करना, इसमें कृषि की उन्नति ही सबसे प्रधान चीज है अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के स्पष्टीकरण के भाग (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (च) रख दिया जाय :

"(च) कृषि को सहकारिता के आधार पर आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करना ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड—६

निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र

६—(१) समिति के निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र निबन्धक को नियत रीति से ऐसे प्रपत्र में दिया जायगा जो निबंधक समय-समय पर निर्दिष्ट करें, तथा प्रार्थी समिति के संबंध में उसे ऐसी समस्त सूचना देंगे जिसकी वह अपेक्षा करे ।

(२) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जायगी, अर्थात्—

(क) इसके साथ समिति की प्रस्तावित उपविधियों की तीन प्रतियां होंगी,

(ख) प्रार्थी धारा १७ के अधीन सदस्यता के पात्र हों,

(ग) प्रार्थना-पत्र पर प्रत्येक ऐसे प्रार्थी के यदि वह व्यक्ति विशेष हो, और किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति, के यदि प्रार्थी धारा १७ के खंड (ख) से (च) तक के किन्हीं भी खंडों में उल्लिखित कोई व्यक्ति हो, यथाविधि हस्ताक्षर होंगे,

(घ) ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि समस्त प्रार्थी व्यक्ति विशेष हों, तो दस से कम न होंगी, और अन्य दशाओं में, पांच से कम न होंगी,

(ङ) यदि समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को ऋण देने के लिए, निधियों का सृजन करना भी हो तो समस्त प्रार्थी, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि वे व्यक्ति विशेष हों तो एक ही गांव अथवा नगर में अथवा आसन्नवर्त्ती contiguous गांवों के समूह में रहते हों अथवा एक ही वर्ग के हों ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही वर्ग का माना जायगा, यदि वे एक ही व्यवसाय करते हों अथवा, एक ही सेवायोजक के अधीन हों ।

श्री विजय सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६(२) (घ) के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"ऐसे प्रार्थियों की संख्या जिन्हें समितियों का साधारण सदस्य होना हो, कम से कम १० हों ।"

[श्री विजयसिंह]

इस खण्ड के अनुसार अभी तक चाहे जहां से दो-चार नाम इकट्ठा कर के समिति रजिस्टर हो जायगी और घर के ३, ४ लोग शामिल हो जाते हैं और काम दूसरे नामों के आधार पर लोग करते रहते हैं। इस बात को बचाने के लिए ही यह हमने रखा है कि साधारण सदस्यों की संख्या कम से कम दस रखी जाय। जिस भावना के आधार पर गरीब लोगों के स्वार्थ को निहित किया गया है उसके लिए यह आवश्यक है कि यह संख्या १० रखी जाय, क्योंकि अगर कोई गलत तरीके से केवल घर के या फर्जी नाम लिखकर चाहेगा रजिस्टर कराने के लिए, तो कोई न करा सकेगा। इसलिए कम से कम यह संख्या १० की होनी बहुत आवश्यक है। इससे सिद्धांत की भी पूर्ति हो सकेगी और सही तौर पर सहकारिता के आधार पर समितियां रजिस्टर हो सकेंगी।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन अभी श्री विजय सिंह ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वह उनके हित में होंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय विजय सिंह देखें कि उनके संशोधन को मान लेने से और अहित होगा। इसमें केवल व्यक्तिगत मेंबर होने में १० रखा है बाकी जहां समितियां सदस्य होंगी वहां ५ ही है, लेकिन उसमें भी अगर १० ही रखेंगी तो काम खराब हो जायगा, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री विजयसिंह—

मैं इसे वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (घ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय :—

"किंतु प्रतिबंध यह है कि किसी भी अवस्था में सदस्य की उम्र १८ वर्ष से कम न होगी।"

श्रीमन्, जहां तक यह १८ वर्ष की उम्र का सवाल है कोआपरेटिव सोसाइटीज दो तरह की होंगी। एक लिमिटेड लाइबिलिटी की होगी, दूसरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होगी। जहां तक लिमिटेड लाइबिलिटी का सवाल है उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी उस एमाउंट तक होगी जो पेड शेयर्स का एमाउंट होगा या जो उसके असेट्स होंगे। जहां तक असीमित लाइबिलिटी का सवाल है उसमें लाइबिलिटी सीमित नहीं होगी। इसके लिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि कोई भी नाबालिग ऐसी संस्थाओं का सदस्य न हो। बालिग ही उसका सदस्य होना चाहिए ताकि वह समझ सके उसकी लाइबिलिटी के बारे में और वह यह भी समझ सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मद्रास ऐक्ट में भी यह दिया हुआ है कि माइनर्स ऐसे एसोसिएशन के सदस्य नहीं हो सकते। देश में मद्रास ही एक ऐसा प्रांत है जो सहकारिता में बहुत आगे है इसलिए उसके आधार पर ही हमको अपना बिल भी बनाना चाहिए। बालिगों को ही हम सदस्य नहीं बनाते हैं तो इसका एक नतीजा यह भी होगा कि एक फैमिली में ४ लड़के हैं और सभी नाबालिग हैं। उनको लेकर एक सोसाइटी बना ली और इस विधेयक का फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो इस पर भी हमको चेक रखनी है, क्योंकि अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रांत तथा दूसरे प्रांतों में यह देखा भी गया है कि सहकारिता का दुरुपयोग हो रहा है। चाहे इसकी व्यवस्था आप इस विधेयक में कर दें अथवा नियमों में कर दें ताकि नाबालिग इसका नाजायज फायदा न उठा सकें।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कमला सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं, इसलिए कि जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटियां बनती हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि सरकारी सहायता पर ज्यादा निर्भर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा मिल पाए उसको वह उपयोग करें। सदुपयोग करें तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं यही पाते ह कि सारी सहायता का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सरकार आज तक उसे चेक नहीं कर सकी। लूट हो रही है कोआपरेटिव के नाम पर। बच्चा अगर मेंबर हो जाय और अगर बच्चा जमीन का मालिक है किसी प्रलोभन के कारण। तो उसकी जमीन का नुकसान होगा। उसकी हैसियत सुरक्षित नहीं रहेगी और दूसरी तरफ अगर कोई एक व्यक्ति अपने ही घर के ५–७ लोगों को मिलाकर एक सोसाइटी बना लेता है तो जितनी सहायता वे सरकार से पा सकते हैं तो उस रुपये का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इससे सहकारिता के ऊपर तो लांछन आएगा ही, जनता का जो रुपया है, टैक्स पेयर का जो रुपया है, वह भी बरबाद हो जायगा और टैक्सपेयर्स के ऊपर और बोझ पड़ जायगा। इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए १८ वर्ष से जो कम हों उन्हें मेंबर-शिप के काबिल नहीं समझा जाना चाहिए।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, ऐसा मालम देता है कि माननीय सदस्यों को यह शंका हो रही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत १८ वर्ष के लड़के भी सदस्य हो सकेंगे। इस संबंध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान धारा १७ (१) (क) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है कि:—

"निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्—

(क) धारा १८ की उपधारा (४), धारा ८० तथा धारा ८१ की उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ्य चित्त का हो और अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिए अनर्हित न हो।"

अर्थात्, जो वयस्क न होगा और स्वस्थ्य चित्त न होगा वह सदस्य नहीं बना सकता है। तो इस धारा से यह शंका दूर हो जाती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यहां पर अच्छे चित्त का होना या दिमाग का ठीक होने की बात नहीं है।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय कृष्णानन्द जी ने यह बतलाने की, कोशिश की लेकिन उन्होंने यह पढ़ने की कोशिश नहीं की है कि धारा १८ (४) में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है:

"कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी हैं, जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थायी कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है।"

सका मतलब यह है कि माइनर्स के लिए भी व्यवस्था हो गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

वह एसोशिएट मेम्बर हो सकता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

जब तक यह नहीं होगा कि नाबालिग रखा जायगा तब तक शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है । जहां तक शेयर होल्डर्स का सवाल है, निश्चय ही उसमें नाबालिग भी आ जायेंगे । धारा १८ (४) में यह व्यवस्था है कि अवयस्क लोगों को भी मेम्बर बनाने की व्यवस्था की गयी है । जहां तक कृषि सहकारी समितियों का प्रश्न है वहां तो इस चीज की पर्मिशन दे सकते हैं क्योंकि वहां पर ओनरशिप का सवाल होगा । तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर ओनरशिप का सवाल है वहां पर तो कोई प्राविधान किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी सोसाइटी किसी भी परपज के लिये, किसी भी ट्रेड के लिये है अगर हम उन लोगों को मान्यता देंगे तो दिक्कत होगी और ऐसी सोसाइटीज अनुचित लाभ उठायेंगी । सारा रुपया जो इस विधेयक के जरिये दिया जायगा वह रुपया कुछ लोगों के हाथ में जायगा और जितना फायदा उठाना चाहिये वे उतना फायदा नहीं उठा पायेंगे । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी केवल धारा १८ (४) को ही न पढ़ें, बल्कि उन सारे चैप्टरों को पढ़ें तो देखेंगे कि अवयस्क लोगों को शेयर होल्डर्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

जैसा माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि धारा १७ व १८ (४) से जो माननीय सदस्य की शंका है वह दूर हो जाती है । वही कोआपरेटिव का सदस्य होगा जो वयस्क होगा । स्कूलों में ट्रेनिंग आदि के लिये सोसाइटीज में वे एसोशियेट मेम्बर होंगे । वहां पर मेजर, माइनर का सवाल नहीं है । सदस्य तो मेजर ही होगा । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय कमलासिंह जी इसको वापस ले लेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, इसमें एक चीज पैदा हो जायगी कि छोटे-छोटे बच्चों को उपयोग में लाया जायगा । बच्चे इधर ही लग जायेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मंत्री जी जो बच्चों की बात कहते हैं वह मेरी समझ में नहीं आती है । इसमें संख्या भी दी हुई है । वह संख्या १० से ५ हो सकती है । जहां तक विद्यार्थियों के समुदाय का संबंध है, वह हजारों लाखों का सवाल है । शेयर होल्डर्स तो सब नहीं हो सकते हैं । मंत्री जी को भ्रामक चीज नहीं रखनी चाहिये । उन्हें स्पष्ट चीज रखनी चाहिये अन्यथा साफ कह दें कि हम मंजूर नहीं करते हैं । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी भ्रामक और गलत चीज न रखें । इस विधेयक में दिया हुआ है कि ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि समस्त प्रार्थी व्यक्ति विशेष हों, तो दस से कम न होगी और अन्य दशाओं में, पांच से कम न होगी । इस तरीके से यह लिमिटेड चीज है । इसलिये मैं चाहूंगा कि वे अच्छी तरह से सोच लें और उचित समझें तो इसको रख लें । इसको बाईलाज में ही कर लें जिससे दिक्कत न हो सके ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जो उन्होंने कहा उसमें वह देख लें । इस प्रकार है कि "कोई भी व्यक्ति जिसके अन्तर्गत सम्बद्ध सदस्य प्रबंधक कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा" । यह सारी बात दूसरे कांटेक्स्ट में है । इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (घ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी अवस्था में सदस्य की उम्र १८ वर्ष से कम न होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ७

निबन्धन

७—(१) यदि निबन्धक का समाधान हो जाय कि—

(क) प्रार्थना-पत्र अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार है,

(ख) प्रस्तावित समिति के उद्देश्य धारा ४ के अनुसार है,

(ग) प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तथा

(घ) प्रस्तावित समिति सामान्यतया, अथवा समितियों के उस वर्ग के लिये जिस वर्ग की वह विशेष समिति हो, किन्हीं शर्तों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में नियमों की अपेक्षाओं की तथा सुस्थित कारोबार (sound business) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है और उसकी सफलता प्राप्त करने की समुचित सम्भावनायें हैं,

तो निबन्धक, समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ उपविधियां ऐसी हों जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात सहकारी समितियों के उस प्रकार तथा वर्ग के लिये जिस प्रकार तथा वर्ग की वह प्रस्तावित समिति हो निबन्धक द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर ली गयी हो, तो निबन्धक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो महीने के भीतर उस पर या तो समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबन्धन करने से इन्कार करने का अन्तिम आदेश देगा, और उसके ऐसा न करने पर, प्रस्तावित समिति उक्त दो महीने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यथाविधि निबन्धित की गयी समझी जायगी ।

(२) यदि निबन्धक किसी समिति को निबंधित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा जो प्रार्थना-पत्र में इस प्रयोजनार्थ नामांकित हो, तथा ऐसे नामांकन के अभाव में प्रार्थियों में से एक को संसूचित करेगा ।

श्री विजयसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के खंड (घ) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"(ङ) समिति सही अर्थ में सहकारी है,

(च) समिति सामाजिक न्याय के आवश्यक सिद्धान्तों की पूर्ति करती है ।"

[श्री विजयसिंह]

मान्यवर, निबंधन के लिये कुछ शर्तें रखी गई हैं जिनके आधार पर निबंधक समिति का निबंधन स्वीकार करेगा । मैंने इसमें दो शर्तें और जोड़ दी हैं इनके ऊपर विचार करने के बाद किसी समिति का निबंधन किया जाय । ऐसी समितियां बन गई हैं जिनका सहकारिता का कोई आधार नहीं है, बल्कि वे केवल सरकारी रुपया लेने के उद्देश्य से बनाई गई हैं । ऐसी मिसालें मैं इस समय नहीं देना चाहता हूं, जब समय आयेगा तो बता दूंगा कि ऐसी समितियां हैं जिन्होंने सरकारी रुपया प्राप्त कर लिया है और उनका वास्तविक रूप सहकारिता नहीं है । मेरा मतलब यह है कि जब निबंधक को विश्वास हो जाय कि कोई समिति सहकारिता के आधार पर बनी है तभी उसका निबंधन करे । एक तो श्रीमन्, इस का दुरुपयोग होता है । दूसरी चीज यह है कि अभी तक सरकार की ओर से १७ हजार रुपया प्रति सहकारी कुक्कुटशाला पर दिया गया है जिससे मुल्क में खाद्यान्न का अभाव कम हो जाये । किन्तु, इससे बड़े-बड़े पूंजीपति फायदा उठा रहे हैं क्योंकि यह इनकम टैक्स से वर्जित है

श्री कृष्णानन्द राय—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय विजयसिंह ने कहा है "सही अर्थ में" यह कानूनी शब्द नहीं हैं । विधान के प्रतिकूल हों, ऐसे शब्द आ सकते हैं, बाईलाज के प्रतिकूल हों, ऐसे शब्द आ सकते हैं । "सही अर्थ में" सहकारी हो, विधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता । अतः आप ऐसे संशोधन पर विचार न होने दें ।

श्री विजयसिंह—

सरकार ने उसकी जानकारी करने की चेष्टा की या नहीं । यह भी आवश्यक है कि समिति में सहकारिता में विश्वास न करने वाले लोगों को न रखा जाय । बहुत सी समितियां ऐसी भी हैं जो असहकारिता के आधार पर बन गयी हैं । उन्हें सरकार ने सहकारिता के रूप में मान लिया है और बहुत रुपया भी दिया । इस लिये मैंने कहा है कि अगर वास्तविक सहकारिता पर आधारित न हों तो निबंधित न की जायं । सरकार समितियों को अनुदान देती है, वह पैसा बरबाद होता हैं, उस पैसे का दुरुपयोग होता है । सरकार को चाहिये कि अनुदान के खर्च की जांच के लिये स्वतंत्रतय राजकीय लेखा परीक्षक नियुक्त करे । इसीलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है । अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं समितियों का नाम भी बता दूंगा । जहां रुपये का दुरुपयोग हुआ है वहां न तो उनके पास कैपिटल है, न सदस्य बनाती हैं, और न लाभांश ही बांटती हैं । इसलिये यह होना आवश्यक है कि सही अर्थ में सहकारी हों । माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे तो लाभ होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, माननीय विजयसिंह देख लें उसी क्लाज और क्लाज ४ में, वही सहकारी समितियां निबंधित श्रेणी में आयेंगी जो धारा ४ या ७ में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार हों । यह कहना कि सही अर्थ में सहकारी हों यह प्रस्ताव इस समय नहीं जांचा जा सकता । जब समिति बन जायगी और काम नहीं करेगी तो सही अर्थ में सहकारी है या नहीं, जांचा जा सकता है । इसलिये इसको वापस ले लें ।

श्री विजयसिंह—

अगर विधेयक में वह नहीं चाहते हैं तो नियमों में ले आयें । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं चाहता हूं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग न हो । मैं इसको प्रेस नहीं करता ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (घ) के बाद निम्नलिखित भाग (ङ) के रूप में रख दिया जाय—

"(ङ) जिस गांव, नगर अथवा आसन्नवर्ती गांवों के समूह के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया है उसमें उस वर्ग विशेष की जिसका वह प्रार्थना-पत्र है, कोई निबन्धित समिति पूर्व से स्थित नहीं है"

मान्यवर, यह जो खंड है, इसमें यह है कि किसी सोसाइटी को अनुबन्धित करने की क्या-क्या शर्तें होंगी । इन शर्तों के मुताबिक जो यह खंड दिया गया है, एक गांव में या एक नगर में या कई गांवों का समूह हो सकता है, उसमें कई सोसाइटियां हो सकती हैं। इसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है कि एक गांव में कई सोसाइटियां हों। यदि भिन्न-भिन्न वर्गों की एक से अधिक कई सोसाइटियां हों, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। किन्तु यदि एक गांव में या एक नगर में किसी वर्ग विशेष की एक से अधिक अनेक सोसाइटियां हो जाएंगी तो मैं समझता हूं कि सहकारिता के कार्य में काफी रुकावट पड़ेगी । तो मेरा संशोधन जो है, उसका अर्थ यह है कि अगर किसी खास वर्ग की सोसाइटी पहले से वहां मौजूद हो तो उस गांव में उस वर्ग की दूसरी सोसाइटी रजिस्टर्ड न की जाये। मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये सहकारी समितियां कभी-कभी एक राजनीतिक रंगमंच भी बन जाया करती हैं और उसमें पार्टीबाजी अथवा गुटबाजी भी पैदा हो जाती है और उसके आधार पर लोग उसको तोड़ने की गर्ज से दूसरी सोसाइटी कायम कर लेते हैं । नतीजा यह होता है कि नित्य नई-नई सोसाइटियां बनती जाती हैं और पुरानी सोसाइटियां या तो टूट जाती हैं या बहुत कमजोर हो जाती हैं, जबकि होना यह चाहिये कि जो सोसाइटियां वर्तमान हैं वह अधिक से अधिक मजबूत बनें, सभी दृष्टियों से वह अधिकाधिक विकास करें। किन्तु मजबूत बनने के बजाय कई सोसाइटियां नये सिरे से काम करना प्रारम्भ कर देती हैं, जिससे सोसाइटियों के कार्य में और सहकारिता के कार्य में कई बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिये मेरा संशोधन बहुत ही स्पष्ट है अपनी जगह पर कि यदि किसी गांव में किसी वर्ग विशेष की सोसाइटी पहले से उपस्थित हो तो दूसरी का रजिस्ट्रेशन न किया जाये।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं इनसे जरा स्पष्टीकरण चाहता हूं । मान लीजिये यदि एक गांव की आबादी २० हजार है तो भी वहां पर सहकारी समिति और साधन सहकारी समिति एक से ज्यादा संख्या में नहीं खुल सकती हैं, उनका एक से ज्यादा खुलना प्रतिबन्धित रहेगा ?

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर कोरम होना चाहिये, किन्तु कोरम नहीं है ।

(घण्टी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भीखालाल—

मान्यवर, कृष्णानन्दराय ने स्पष्टीकरण चाहा है । मैं इस विधेयक में कहीं नहीं समझ पाया कि किसी सोसाइटी की मेम्बरशिप पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये कि इससे ज्यादा सोसाइटी के मेम्बर नहीं हो सकते । क्या आपत्ति हो सकती है कि यदि किसी सोसाइटी में १ हजार, २ हजार या ३ हजार मेम्बर हों ।

२० हजार आबादी का अगर कोई नगर है तो उसमें बहुत सी सोसाइटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर एक ही वर्ग की सोसाइटी कायम होगी तो उनमें प्रतिस्पर्धा हो सकती है और काम में रुकावट पैदा हो सकती है। वे एक दूसरे के काम में रोड़ा अटकावेंगी। इसलिये यह संशोधन बहुत वाजिब है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, जैसा कृष्णानन्द राय जी ने अभी कहा है कि जो शहर होते हैं वहां बहुत-सी सोसाइटियां जैसे कंज्यूमर्स की, उत्पादकों की हो सकती हैं । टेरीटोरियल के अलावा फंक्शनल

[श्री बंशीधर पांडेय]

सोसाइटियां भी हो सकती है जैसे हाउसिंग का काम करने वाली होती है । और अगर फंक्शन भी एक साथ हो जाय तब भी एक ही सोसाइटी से काम नहीं चलता । वैसे, रजिस्ट्री करते वक्त रजिस्ट्रार भी ध्यान रखेंगे, लेकिन कानून में रहने से कठिनाई हो सकती है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मूवर कृपया इसे वापस ले लें ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, अगर माननीय भीखालाल जी खंड १६ या १७ देख लें तो उसमें है कि कई समितियों की एक ही सोसाइटी बन सकती है और एक सोसाइटी अपने को कई में डिवाइड कर सकती है । उस हालत में अगर माननीय भीखालाल जी का संशोधन स्वीकार हो जाय तो सोसाइटियां काम नहीं कर सकती हैं । धारा १६ के शब्दों के पढ़ने से माननीय भीखालाल जी की शंका का समाधान हो जायेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, मैं एक बात मंत्री जी के विचार के लिये कहता हूं कि जैसे सेन्ट्रल कंज्यूमर्स स्टोर्स होता है और उसके अधीन बहुत सी एरियावाइज सोसाइटियां होती है आजकल उसी तरह से एक सेन्ट्रल सोसाइटी हो और उसकी ब्रांचें बन जायं तो काम अच्छी तरीके से हो सकता है । आजकल शहरों में राशन का काम है । लोग सोसाइटियां बना लेते हैं . . . . .

श्री कृष्णानन्द राय--

सोसाइटी लोग बनाते हैं, लेकिन वह किसी की ब्रांच नहीं होती ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

अगर सेन्ट्रल कोआपरेटिव डिपार्टमेंट भिन्न कामों के लिये भिन्न समितियां बना सकती है तो अगर किसी क्षेत्र के अन्दर दो, चार छः सोसाइटियां बन जायं कृषि के लिये तो जो उत्पादन बढ़ सकता है वह नहीं बढ़ पायेगा, क्योंकि उनमें आपस में संघर्ष चलेगा । मेहनत में आपस में स्पर्धा चले तो अच्छी बात है. लेकिन वहां तो पैसा लेने के लिये स्पर्धा होने लगेगी । बाहर के देशों में जहां-जहां चीजें बनती हैं वहां तो सारे गांव की सोसाइटी एक में मिला दी जाती है और बड़े-बड़े लम्बे खेत हो जाते हैं और उनके सारे यंत्र इस्तेमाल भी एक ही में होते हैं और सारे गांव और सारे कस्बे के लिये एक ही सोसाइटी सारा काम करती है । अगर इन सोसाइटीज को अलग-अलग होने की इजाजत दी गई, तो जैसा घरों में मतभेद पैदा होता है वैसा ही इनमें भी हो जायगा । न सरकार उनकी मदद कर पायेगी और न सरकार उनको अपने हाथ में रख सकती है । जिन गड़बड़ियों का इस समय चर्चा है वह गड़बड़ी और बढ़ती चलीं जायंगी । उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो पायेगा । अगर रुपये का सही तरीके से सरकार इस्तेमाल करना चाहती है तो उनको सही लाभ नहीं सकता । इसको मान लिया जाय और ज्यादा सोसाइटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । एक सोसाइटी बनायें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री भीखालाल--

पांडेय जी ने कहा कि जब सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया जायगा तो उसका ध्यान रखा जायगा, लेकिन इसको नियमों के अन्दर रखने में क्या आपत्ति है जब कि वे इसके सिद्धान्त को मानते हैं ? या तो वह यह कहें कि वे सहमत नहीं हैं और इस सिद्धान्त को नहीं मानते हैं, लेकिन जब सिद्धान्त को मानते हैं और इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, तो उसको यहां पर रखने में उनको क्या आपत्ति है ? इस पक्ष में काफी कह दिया गया है । इसको उनको मान लेना चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बताया गया कि सोसाइटी को बनाते समय ध्यान रखा जायगा । जैसे कि सेन्ट्रल कन्ज्यूमर्स स्टोर है या और भी समितियां हो सकती हैं । जैसा मैंने कहा कि वह सब फंक्शनल

होंगी और कई तरह की सोसाइटी होंगी । इसलिये नियमों में या ऐक्ट में उनका चर्चा करने से काम नहीं चलेगा । एक क्षेत्र है वहां पर कई तरह की सोसाइटियां हो सकती हैं और वे उन सब कामों को कर सकती हैं । हमने यह नहीं कहा कि एक सोसाइटी ही वह सब काम करेगी । इसलिये मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जैसे कि जिले के अन्दर कोआपरेटिव फेडरेशन है । आप उसको मान्यता देते हैं । १०, ५ आदमी मिलकर अगर बना लेते हैं तो उसको आप मान्यता नहीं देते हैं । अगर इस तरह से मान्यता दी जाय तो वह जगह जगह हो जायंगी । इसलिये मैंने कहा कि जो मैंने पहले कहा उसको मान लिया जाय ।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

यह सिद्धान्त में बात सही है । जिस वक्त सोसाइटी रजिस्टर्ड हो तो इस बात का ध्यान रखा जायगा कि एक तरह की दो सोसाइटी न हों, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है कि जहां पर दूसरा काम करने वाली सोसाइटी हो जैसा कि हाउसिंग सोसाइटी है उसके अन्दर उस क्षेत्र के लोग शामिल हो जाय । जैसे कानपुर है या लखनऊ है और ऐसे बहुत से स्थान हैं । तो सहकारी समितियों के अन्दर यह सिद्धान्त मानना पड़ेगा ताकि कोई एक दूसरे का सहयोग कर सके । उनको अवसर दिया जाय । जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, कन्ज्यूमर स्टोर हैं, उद्योग समिति है । इसी प्रकार से जहां पर आर्टिजन लोग मिलकर काम करते हैं वह अपनी सोसाइटी बना लेते हैं । जैसे वीवर्स हैं, वे भी अपनी सोसाइटी बना लेते हैं । तो यह जरूरी नहीं है कि एक शहर के अन्दर एक तरीके की ही सोसाइटी हो । वे आपस में मिलकर इस तरह की कोई सोसाइटी बना सकते हैं । जैसे रामपुर का स्थान है, वे सुविधा की दृष्टि से ऐसा करते हैं कि एक से ज्यादा सोसाइटी रजिस्टर्ड हो । लेकिन सवाल यह है कि सिद्धान्तरूप में एक जगह एक ही सोसाइटी एक किस्म की हो । अगर किसी स्थान पर किसी की सदस्यता रिफ्यूज हो जाती है, तो उसकी अपील हो जायगी और उसकी कठिनाई दूर हो जायगी । इसलिये इसको कानून के अन्दर रखना व्यावहारिक दृष्टि से सही नहीं होगा, लेकिन पूर्णतः इस बात का ध्यान रखा जायगा कि सोसाइटी को रजिस्टर्ड करते समय देख लेंगे । इस प्रकार की अगर विशेष परिस्थिति है तो उसके लिये प्रशासनिक आदेश हो जायेंगे कि यह विशेष परिस्थिति है तो इसको कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (घ) के बाद निम्नलिखित भाग (ङ) के रूप में रख दिया जाय :

> "(ङ) जिस गांव, नगर अथवा आसन्नवर्ती गांवों के समूह के लिये प्रर्थना पत्र दिया गया है उसमें उस वर्ग विशेष की जिसका वह प्रार्थना-पत्र है, कोई निबन्धित समिति पूर्व से स्थिति नहीं है ।"
>
> (प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री कृष्णानन्द राय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :—

> "खंड ७ के उपखंड (१) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड बदलकर निम्न प्रकार से रख दिया जाय :—
>
> प्रतिबन्ध यह है कि यदि निबन्धन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ उपविधियां ऐसी हों जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् सहकारी समितियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

के उस प्रकार तथा वर्ग के लिये, जिस प्रकार तथा वर्ग की वह प्रस्तावित समिति हो, निबन्धक द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर ली गई हो, तो निबन्धक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से तीन महीने के भीतर उस पर या तो समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबन्धन करने से इन्कार करने का अन्तिम आदेश देगा और यदि वह ऐसा न करे तो प्रार्थी उस प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकते हैं जो किसी समिति का निबन्धन करने से इन्कार करने के निबन्धक के आदेशों के विरुद्ध धारा ९८ के अधीन अपील सुनने के लिये सक्षम हो, और यदि ऐसा प्राधिकारी, निबंधक से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् समिति का निबन्धन करने के लिये आदेश दे तो समिति निबन्धक को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से यथा विधि निबद्ध की गयी समयी जायेगी ।"

अधिष्ठाता महोदय, देखने में यह संशोधन बहुत बड़ा है । (व्यवधान) श्रीमन्, खंड ७ में एक प्रतिबन्ध सिलेक्ट कमेटी ने स्वीकार किया था जिसके बारे में वहां यह कहा गया था कि यदि २ माह तक कोई पत्र पड़ा रहे और उसका रजिस्ट्रेशन न हो तो वह स्वतः निबन्धित मान लिया जायेगा । तो उसकी जो स्प्रिट थी, उसको विधेयक में लाने की, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं और ऐसा अनुभव करता हूं कि ऐसा कोई न कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये । आम तौर से यह देखा जाता है कि रजिस्ट्रार के कार्यालय में सहकारिता समिति के रजिस्ट्रेशन के लिये महीनों तक प्रार्थना पत्र पड़े रहते हैं । उस सम्बन्ध में जिन शब्दों में समिति ने प्रतिबन्ध को रखा है वह कुछ ठीक नहीं है ।

(इस समय २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

कोई प्रार्थना पत्र किसी निबन्धक के पास पहुंचे तो वह या तो उसे स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है । यदि वह अस्वीकार करता है तो धारा ९८ के अन्तर्गत वह अपील कर सकता है । मान लीजिये कि अपील में २–३ महीने तक उस पर कोई आज्ञा नहीं होती । यदि उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा तो एक तरह से वह कोआपरेटिव मूवमेंट को भी रोक सकते हैं । यह कोआपरेटिव मूवमेंट की स्प्रिट के ही खिलाफ होगा । मैंने जो प्रस्ताव किया है, उसके अन्दर यह किया है कि उनके आदेश न देने पर, २–३ महीने हो जाने पर, क्या पोजीशन होगी । मैं दोनों को एक स्थान पर ला दे रहा हूं । यदि वह अस्वीकृत कर दें, जैसा कि धारा ९८ में अपील की जा सकती है, उसी प्रकार से तीन महीने तक निबन्धन न करें तो धारा ९८ की अपील की जा सकती है । मैं देख रहा हूं कि कुछ इस पर एतराज होने वाला है कि रजिस्ट्रार को यह होलसोल पावर नहीं होनी चाहिये । श्रीमन्, यह ताज्जुब वाली बात है कि यदि तो तीन महीने आदेश वे न दें, तो वह स्वतः ही रजिस्ट्रेशन मान लिया जायेगा । इसलिये मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द जी ने यह कहा कि दो महीने तक भी यदि कोई आदेश नहीं दिया गया, तो उसमें उसकी आटोमेटिक स्वीकृति मान ली जायेगी, इससे वे सहमत नहीं हैं । मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी का ध्यान म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट की धारा २०५ की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि इस सदन और सरकार द्वारा बनाया हुआ है, जिसमें कृष्णानन्द राय जी बैठे हैं । धारा २०५ इस प्रकार है :

"205—Sanction of the Board is to be presumed for laying out and making of street in certain cases—Should the Board neglect or omit for sixty days after the receipt of an application under sub-section (1) of section 204 if an order has been issued under sub-section (3) asking for further information, fail within a period specified in such order to deliver to the

person who has submitted the application particulars of the information required by the Board, such person may by a written communication call the attention of the Board to the omission, neglect or failure continues for a further period of 30 days, the Board shall be deemed to have sanctioned the laying out and making of the proposed street absolutely."

और साथ ही साथ श्रीमन्, नगरपालिका ऐक्ट की धारा ३२० की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो विधेयक इसी सदन में बना है। धारा ३२० के क्लाज (१) व (२) में लिखा हुआ है।

"320—Reference to Executive Committee if Mukhya Nagar Adhikari delays grant or refusal or approval or permission—(1) If within the period laid down in section 318 or section 319, as the case may be, the Mukhya Nagar Adhikari has neither given nor refused his permission to erect building or to execute work referred to in section 317, as may have been applied for, the executive committee shall be bound on the written request of the applicant to determine by written order whether such appoval or permission should be given or not.

(2) If the executive committee does not, within one month from receipt of such request determine whether such permission should be given or not, such permission shall be deemed to have been given and the applicant may proceed to execute the work but not so as to contravene any of the provisions of this Act or any rules or byelaws made under this Act."

तो इसके अन्दर में बता देना चाहता हूं कि आपके द्वारा विधेयक में एक उसूल निर्धारित किया गया है कि अगर इनके अधिकारी नैग्लीजेन्ट हों, और जानबूझकर सैन्कशन आदि में डिले करें या सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में डिले करें तो माननीय मंत्री जी को ऐसा प्राविधान अवश्य करना चाहिये जैसा और विधेयकों के अन्तर्गत है कि अगर कोई रजिस्टरिंग अथारिटी नैग्लिजेन्ट है या ध्यान नहीं देती, तो दो तीन महीनों का समय काफी है और अगर उसके बाद भी कोई ऐक्शन नहीं लेती तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आटोमेटिक मान लिया जायेगा। अगर अधिकारी नेग्लीजेन्ट होगा तो कोआपरेटिव सोसाइटी किस तरह ट्रान्सफर करेगी यह मेरी समझ में नहीं आता। परन्तु रिफ्यूज करने पर कोई भी आदमी उसी वक्त अपील करेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि लेकिन अगर वह खुद ही नेग्लिजेन्ट हो तो उसे कोई चारा नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां इसके अधिकारी नेग्लीजेंट हों या जानबूझकर डिले करें, तो ऐसी संस्था का आटोमैटीकली रजिस्ट्रेशन मान लिया जाय।

श्री भीखालाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्दराय जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। इसलिये करता हूं कि जिस रूप में मूल बिल प्रवर समिति के सामने गया था उस समय यह कोई प्रतिबन्ध इसमें नहीं था। सभी लोगों ने अनुभव किया है कि निबन्धन के लिये दरख्वास्तें निबन्धक के यहां वर्षों पड़ी रहती हैं। इसलिये जरूरी है कि कोई न कोई अंकुश निबन्धक पर रहना चाहिये ताकि वह मंजबूर होकर या तो निबन्धन करे या इनकार करें। इसलिये प्रवर समिति ने सिफारिश की कि अगर निबन्धक के यहां कोई दरख्वास्त २ महीने तक पड़ी रहती है और अगर इस तरह की कोई सोसाइटी पहले से रजिस्टर हो चुकी है और उसके बाईलाज भी रजिस्टर हो चुके हैं तो वह रजिस्ट्रर्ड समझी जाय। यह सिफारिश कमेटी ने सर्व-सम्मति से की है। केवल अधिकारी इसके पक्ष में नहीं थे। माननीय मंत्रीजी ने भी इसे स्वीकार किया था। लेकिन आज माननीय कृष्णानन्दराय जी उसे इस संशोधन द्वारा बदलवाना चाहते हैं, और पहली स्थिति रहने देना चाहते हैं। उन्होंने चाहा है कि अगर कोई प्रार्थना पत्र निबन्धक

[श्री भीखालाल]

को निबन्धन के लिये दिया जाय, तो उसके लिये लाजमी होगा कि या तो ३ महीने में उसकी रजिस्ट्री करे या निबन्धन न करने का आदेश देगा और अगर वह ३ महीन में कोई आदेश नहीं देता हैं तो प्रार्थी उसकी धारा ९८ में अपील कर सकता है । धारा ७ के उपखंड (२) में दिया है कि 'यदि निबन्धक किसी समिति को निबंधित करने से इंकार करे तो वह इंकार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा जो प्रार्थना पत्र में इस प्रयोजनार्थ नामांकित हो, तथा ऐसे नामांकन के अभाव में प्रार्थियों में से एक को संसूचित करेगा ।' इस विधेयक के खंड ९८ (१) में दिया है कि 'निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील उस आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जिसके विरुद्ध अपील की जानी हो, संसूचित किये जाने के दिनांक से ३० दिन के भीतर, क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (२) में उल्लिखित प्राधिकारियों की नियत रीति से की जा सकती है । मान्यवर, इस संशोधन में कोई आदेश नहीं है । उस पर आदेश की प्रार्थी को कोई सूचना नहीं है । वह अपील किस बात की करेगी इस धारा ९८ में १ ?

मान्यवर, एक और मजे की बात है । जब निबन्धक किसी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इंकार करे तो उसकी अपील प्रवर समिति ने न्यायाधिकरण को भेजने की बात कही है, लेकिन कृष्णानन्दराय जी का आगे संशोधन है कि वह राज्य सरकार के पास आवे । प्रवर समिति के सर्वसम्मति से पास किये हुए फैसले को पलटने की कोशिश हो रही है और यह बड़ा भारी षड़यंत्र है । सामान्य विवाद के समय कृष्णानन्द जी मेरे तर्कों का जिस रूप से जवाव दे रहे थे उन्होंने कहा था कि इस धारा में प्रवर समिति ने कुछ प्रतिवन्ध जोड़कर निबंधक के अधिकारों को कम कर दिया है और कहा था कि पता नहीं भीखालाल जी निबन्धक अधिकारी से अब क्यों नाराज हैं । लेकिन प्रवर समिति ने सर्वसम्मति से निवन्धक के ऊपर जो अंकुश लगाये हैं, उन्हें वह आज इस संशोधन के द्वारा हटाना चाहते हैं । उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने बिल को पढ़ा नहीं है । मैं उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूं और समझता हूं कि उनके अपने स्वतंत्र विचार थे, उनके नाम का जो संशोधन आज पेश हुआ है वह २३ तारीख के अजेन्डे में छप चुका था। इससे पता चलता है कि उन्होंने बिल नहीं बढ़ा और न कोई संशोधन देखा, लेकिन उनके नाम से संशोधन आ गया । तो यह एक कांस्पिरेंसी है । उस दिन उनके विचार स्वतंत्र थे, लेकिन आज वह माननीय मंत्री जी के दबाव से, उनके इशारे पर, यह संशोधन पेश किये हैं । प्रवर समिति के सर्वसम्मति वाले संशोधन को आज अधिकारियों और रजिस्ट्रार के दवाब से पलटा जा रहा है । तजुर्वा बतलाता है कि रजिस्ट्रार के यहां निबन्धन के लिये तरख्वास्तें सालों पड़ी रहती हैं । इस प्रतिवन्ध से उसके ऊपर अंकुश लगता है जिसे सरकार हटाना चाहती है । उसके बाद अपील भी राज्य सरकार के पास देना चाहते हैं, न कि ट्रिब्यूनल के पास । यह सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने की बात नहीं है । उसे धक्का देने की बात है । तो माननीय मंत्री जी अधिकरारियों के प्रेशर में आकर ऐसी बात न करें और इस प्रस्ताव को वापिस लिवा दें ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की प्रवर सिमिति का सदस्य था । दुर्भाग्य की बात है कि मैं बाहर होने के कारण इस पर सारी बहस को नहीं सुन सका । प्रवर समिति ने सर्वसम्मति से माना था कि २ महीने में सहकारी समिति रजिस्ट्रर्ड हो जानी चाहिये और अपील सरकार को न जाकर ट्रिब्यूनल को जानी चाहिये । सेलेक्ट कमेटी में रजिस्ट्रार के कान में डिप्टी रजिस्ट्रार बराबर कुछ कहते थे और बड़ा परेशान कर रहे थे । परन्तु माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह सहकारिता मंत्री आज हैं, कल कौन रहें, लेकिन वह ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिसमें सदा के लिये कठिनाई दूर हो जाय । यह रजिस्ट्रेशन का ही तो सबसे बड़ा झगड़ा है । यह बहुत अच्छी बात है कि २ महीने के अन्दर रजिस्ट्रार या तो रजिस्टर करे या कारण बतावे । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इतनी अच्छी बात को भी मंत्री जी खारिज करना चाहते हैं । अगर २ महीने के अन्दर रजिस्टर न करे तो उसकी अपील न्यायाधिकरण में इसलिये रखी गई थी

कि वहां निष्पक्ष लोग रहेंगे। कृष्णानन्द राय जी के दिमाग में यह बात समा रही है कि वहीं न्याय होगा किन्तु वे बड़ी चातुरी से राज्य सरकार को रखवाना चाहते हैं। रजिस्ट्रार और राज्य सरकार में मैं कोई फर्क नहीं समझता हूं। रजिस्ट्रार के इशारे पर सरकार चलती है और राज्य सरकार के इशारे पर रजिस्ट्रार चलता है। इसलिये यह बिलकुल बेमानी बात है। बहुत लड़ झगड़ करके जो चीज प्रवर समिति से एक बहुत अच्छे रूप में स्वीकार हुई थी सदन में लाकर उसके अन्दर उलझाव लाया जा रहा है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी की नियत पर शक नहीं करता, लेकिन माननीय कृष्णानन्द राय सरकार के ऐसे वकील हैं कि वह इसी बात के लिए हैं कि कोई भी गलत या सही बात सरकार जब चाहेगी उनसे कहलवा लिया करेगी। मैं नहीं समझता कि सारी अकलमन्दी का भार आपने ही अपने ऊपर क्यों ले लिया है। और भी बहुत से पीछे बैठने वाले हैं, उनमें से क्या कोई और अक्लमन्द नहीं रह गया है। जितनी असैद्धान्तिक बातें हैं उनको सरकार आप से ही क्यों रखवाना चाहती है यह जो चीज लायी जा रही है यह बिल्कुल समाजवादी सिद्धांन्तों के खिलाफ है। यह एक व्यक्ति की वजह से लायी जा रही है। माननीय भीखालाल जी ने जो तर्क उपस्थित किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और माननीय कृष्णानन्द राय जी से कहना चाहता हूं कि वह हमारी बात सुनकर इसको अवश्य वापस ले लेंगे। मेरा ऐसा खयाल है कि इस पर ढ़ाई तीन घंटे बहस सेलेक्ट कमेटी में हुई थी और सर्वसम्मति से यह चीज पास हुई थी। तो प्रवर समिति ने जो मामला सर्वसम्मति से पास हो चुका है उसको काटने के लिए इस तरह के अनर्गल तर्क प्रस्तुत न करें और इसको तो वह बिना बहस के ही वापस कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रक्षपालसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था इसके बारे में चाहता हूं। श्रीमन्, इस खंड के ऊपर जो चर्चा हुई उसमें सारे के सारे आर्ग्यूमेंट बेस किये गए इस बात के ऊपर कि प्रवर समिति में क्या तय हुआ। सहकारिता मंत्री ने जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उस समय प्रवर समिति की कार्यवाही यहां पर पेश नहीं हुई। इस रिपोर्ट के खंड ४ में लिखा हुआ है कि समिति की बैठक की कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण की मुद्रित प्रतिलिपि पृथक से वितरित की जायगी। तो यह पत्रिका माननीय सदस्यों को किसी को भी नहीं मिली है और यह सारे आर्ग्यूमेंट उसी पर बेस्ड हैं। तो वास्तव में उसका मिलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और जब तक वह मिल जाय तब तक क्या कार्यवाही वहां हुई। उसकी जानकारी हमको कैसे हो सकती है, इसकी व्यवस्था आप करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह समझता हूं कि प्रवर समिति की कार्यवाही छपकर आने पर वितरित कर दी जायगी। लेकिन तब तक इस पर विचार करना बन्द रहेगा तो अपोजिशन का ही नुकसान होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको चलने दिया जाय। वह कार्यवाही छपने गयी है, और छपकर आने पर वितरित हो जायगी। लेकिन इस समय इस पर विवाद नहीं बन्द होगा।

*श्री बनारसीदास--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में माननीय भीखालाल जी ने और राधेश्याम जी ने जो विचार प्रकट किये हैं, तो यह बात तो सही है कि प्रवर समिति में इस संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। लेकिन एक चीज विचारणीय है कि जिसकी वजह से मैंने भी इस पर पुनः विचार किया। जहां तक सवाल है दो महीने का, पहले संयुक्त प्रवर समिति भी तीन महीने चाहती थी, सिद्धांन्ततः मुझे कोई विरोध नहीं था। स्वयं मैंने दो महीने माना क्योंकि उस वक्त हमारे सामने विचार यह था कि रजिस्ट्रार के अधिकार ए० आर० को होंगे। लेकिन इस पर विचार किया गया कि ए० आर० को अधिकार देना उचित नहीं होगी, रजिस्ट्रार को ही यह अधिकार होने चाहिये। तो तीन महीने का समय इसलिये रखा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

इंस्पैक्टर्स दरख्वास्त भेजें या सीधे दरख्वास्तें आयें, ए० आर० की रिपोर्ट हो, तो इसमें तीन महीने का समय लग जायगा। अब इसमें यह व्यवस्था की गई है कि तीन महीने के अन्दर रजिस्ट्रार फैसला करें। इंनकार करे या स्वीकार करे। और पहले यह था कि यदि दो महीने के अन्दर रजिस्ट्रार फैसला न करे तो सोसाइटी रजिस्टर्ड समझी जायगी। इसमें कठिनाई क्या है? अभी माननीय भीखालाल जी, विजयसिंह जी और ऊदल जी ने संशोधन दिये—

"जिस गांव, नगर अथवा आसन्नवर्ती गांवों के समूह के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया है, उसमें उस वर्ग विशेष की जिसका वह प्रार्थनापत्र है, कोई निबन्धित समिति पूर्व से स्थित नहीं है।"

आपका बड़ा बल इस बात पर है कि जिस वर्ग की सोसाइटी पहले से हो, वह निबंधित न की जाय और अब कहते है कि तीन महीने के अन्दर अगर निबन्धन न हो जाय तो वह अपने आप निबन्धित समझी जायगी। एक जगह एक वर्ग की सोसाइटी है कायदे के अन्दर, यद्यपि हम इसको नियमों में नहीं मान रहे हैं तो कोई निबन्धन आमतौर से नहीं होता है। अब कुछ इन्टरेस्टेड आदमी आफिस में चले जाते हैं क्योंकि रजिस्ट्रार के लिये यह जरूरी नहीं है कि "इन परसन" ही उसको दें। रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री में मान लीजिये कोरा कागज रख देते हैं और तीन महीने के बाद वह सोसाइटी रजिस्टर अपने हो गयी अथवा किसी स्थान पर १० से कम आदमी हैं अथवा और कोई कार्य अनियमित हो रहा है, इस प्रकार से बाईलाज की कन्डीशन्स को पूरा नहीं करते हैं, वे दफ्तर में किसी कल्र्क के पास आते हैं, और उससे कह कर कागज को दफ्तर में ही रुकवा देते हैं और तीन महीने के बाद जवाब न पहुंचने की दशा में रजिस्टर हो जाते हैं।

माननीय कमलासिंह जी ने बड़ी विद्वतापूर्वक नगरपालिका और महापालिकाओं का उदाहरण दिया। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि उस हवाले का इससे क्या सम्बन्ध था जैसे मकान बनाने पर तो असर पड़ सकता है। अगर उसका उत्तर नहीं पहुंचेगा तो वह शख्स मकान बना लेगा, देरी से बचने के लिये। लेकिन यहां तो संस्था की रजिस्ट्री का सवाल है। उसका असर दूसरी सोसाइटियों पर भी पड़ सकता है, दूसरी सोसाइटीज के कारबार पर असर पड़ सकता है जैसे एक कृषि समिति है, दूसरी उद्योग समिति है, दोनों के हित टकरा सकते हैं और मुमकिन से वह धारा ४ के अनुसार ही न हो। एक लम्बी कार्यवाही माननीय भीखालाल जी ने उसके लिये बतायी कि रजिस्ट्रार उसको नोटिस देकर कैंसिल कराये और एक लंबी चौड़ी मुकदमेबाजी हो। हर पहलू पर खुले दिमाग से मैंने उस समय भी इस पर विचार किया था और इस समय भी किया और यही ठीक दिखायी दिया इसलिये इसको स्वीकार कर लिया। जहां तक तीन महीने की बात है और रजिस्ट्रार के जल्दी फैसला लेने की बात है उसके लिये यह रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री के लिये दरख्वास्त देता है और तीन महीने के अन्दर उसका कोई फैसला नहीं होता, तो उस व्यक्ति के हित क रक्षा करने के लिये यह रख दिया गया है कि तीन महीने के बाद वह स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है।

माननीय राधेश्याम जी हर बात में समाजवाद का विशेषण लगा देते हैं। मालूम पड़ता है कि उनको कुछ फौबिया हो गया है सरकार के नाम से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनका यह यकीन है कि सरकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है या आपका यह खयाल है कि यह सरकार की जो संस्था या इंस्टीट्यूशन है वह समाजवाद या समाजशास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं? लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि सरकार की जरूरत है लोगों का विधिवत जीवन संचालन के लिये, तो वह सरकार डेमोक्रेटिक बनेगी और माननीय राधेश्याम जी जब विपक्ष में बैठें और सरकार का नाम आये तो वे यह जोड़ दें कि सरकार तो वही फैसला देगी जो रजिस्ट्रार देगा। अभी रजिस्ट्रार ने तो कोई फैसला किया ही नहीं है। अगर इसमें रजिस्ट्रार की कोई बदनीयती होती तो वह उसको खारिज कर सकता था। उसकी नियत के ऊपर है कि वह उसे स्वीकार करे या खारिज करे। सवाल तो यहां यह है कि अगर ३ महीने के अन्दर रजिस्ट्री

न हो तो गवर्नमेंट के यहां अपील आवे। बहरहाल, एक तरफ तो आप बहस यह करते हैं दूसरी ओर माननीय भीखालाल जी यह कहते हैं कि रजिस्ट्रार तो जनक हैं, पालन-पोषण करने वाले हैं, और इस तरह से आप यह मानते हैं कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी समितियां हमने बनायी हैं और उनको प्रमोट किया है। आप देखते हैं कि शुगर फैक्टरीज जिनके पास कैपिटल नहीं है, उनको इस गवर्नमेंट ने मदद दी है और यह तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि जितनी जल्दी सोसाइटीज रजिस्टर्ड हो उतना ही अच्छा है। सब चाहते हैं कि सोसाइटीज रजिस्टर्ड हो, लेकिन साथ ही साथ दिमाग में एक शंका ले करके या इस प्रकार की नकारात्मक प्रवृति लेकर चलना कि जिनको हम अधिकार दे रहे हैं वे इसका दुरुपयोग करेंगे, फिर तो इसका माने यह हुआ कि कोई कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने कानून आप बनाते हैं उनके द्वारा किसी न किसी अधिकारी को अधिकार देते हैं। फिर आप क्यों अधिकार देने जा रहे हैं? फिर इससे बेहतर तो यह होगा कि माननीय राधेश्याम जी यहां लिख कर यह प्रस्ताव रख दें कि जितने भी कानून पास हुए हैं उनको रद्द कर दिया जाय। जब कानून ही नहीं रहेगा तो लोग अपने विवेक पर चलेंगे। लेकिन जब कानून बनाते हैं तो यह मान कर चलना पड़ेगा और इस धारणा के साथ चलना पड़ेगा कि जिस अधिकारी को हम पावर दे रहे हैं वह उसका ठीक इस्तेमाल करेगा। रजिस्ट्री न करने के अन्दर रजिस्ट्रार का क्या इंटरेस्ट होगा? फिर अपील तो उसकी होगी ही।

श्री राधेश्याम शर्मा—

ट्रिब्युनल को दिये जाने में क्या नुकसान है?

श्री बनारसीदास—

कुछ लोगों की आदत है कि वे समझते हैं कि हर चीज का इलाज ट्रिब्यूनल ही है। जैसे कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट है, उसके अन्दर लास्ट अपील गवर्नमेंट को रखी गयी है। ट्रिब्यूनल जो होता है वह तो लीगल प्वायंट आफ व्यू से किसी चीज को देखता है। रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्दर जो इतना बड़ा सिविल राइटस् है, उसके लिये गवर्नमेंट को अपील है, कमिश्नर को अपील है। मान लीजिए सिविल जज का रेंट कंट्रोल का केस दे दिया जाय तो वह तो यही देखेगा कि किसकी आवश्यकता अधिक है, टेनेंट की या मकान मालिक की। रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्दर टेनेंट के हितों की रक्षा सबसे अधिक की गयी है जब कि ट्रिब्यूनल टिनेंट के हितों की रक्षा नहीं कर सकता है। माननीय सदस्य तो प्रश्न बहुत पूछा करते हैं, आप प्रश्न पूछ कर मालूम कर लीजिये कि रेंट कंट्रोल के अन्दर गवर्नमेंट ने कमिश्नर के फैसले को कितनी जगह बदला है और टेनेंट के हित में गवर्नमेंट ने कितना फैसला किया है। इसी प्रकार से केन डिपार्टमेंट है, उसके अन्दर कोई शिकायत हो तो उसके लिये अपील है और गवर्नमेंट ने किसी अधिकार का दुरुपयोग किया है, तो उसके लिए आपका विशेषाधिकार है और खासतौर से विरोधीदल तो प्रहरी है। यदि गवर्नमेंट कहीं भूल करे तो उसका कर्त्तव्य है कि वह उस भूल को प्वाइंट आउट करे। गवर्नमेंट को अधिकार देने की बात आपकी परिधि के अन्दर है, हम तो आपके प्रति उत्तरदायी है। इसलिए यह कहना कि विरोधीदलों की तरफ से कोई बात आती है उसको हम नहीं मानते, सही बात नहीं है। यह तो उसी तरह की बात है कि जैसे प्लेटफार्म का मुसाफिर पहले चाहता है कि किसी तरह से डिब्बे में घुस जाय, लेकिन जब अन्दर चला जाता है तो दूसरे मुसाफिरों को यह कह कर अन्दर नहीं घुसने देता कि अन्दर बहुत भीड़ है, अब किसी के आने की जरूरत नहीं है। जब माननीय सदस्य विरोधीदल में है तब तो उनकी यह जहनियत है, लेकिन वे ही यदि गवर्नमेंट में आ जायं तब उनका दृष्टि-कोण अलग ही होगा।

मैं आपके सामने दार्शनिक और सैद्धांतिक प्रश्नों को रखता हूं। मुझे तो माननीय भीखालाल जी की बात को सुनकर आश्चर्य हुआ कि जहां डिक्टेटरशिप हो, जिस डिक्टेटरशिप का मतलब कहने के लिए प्रोलिटेरिएट हो और उसका लिक्वीडेशन हो जाय, जहां स्टेट प्लानिंग

श्री बनारसीदास]

का मतलब टोटलिटेरिज्म हो, जहां कहीं गवर्नमेंट का नाम आया तो मुंह सिकोड़ने लगे। मैं पूछता हूं कि उन्हीं की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की परिभाषा क्या होगी? कुछ दिन के लिए ही केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, जुम्मा-जुम्मा आठ दिन के लिए, लेकिन उस जमाने में वहां एक भी कोआपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो सकती थी जब तक कि उसके लिए उनकी पार्टी के लोगों की सिफारिश न हो, थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी जब तक कि कम्युनिस्ट दल के शिविर के लोग सिफारिश न करें। अगर उन का यकीन है कि कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य है तो वह भी फ्रेन्चाइज से आ सकते हैं तो वह गवर्नमेंट का क्यों विरोध करते हैं और क्यों न अधिकारियों को पावर दी जाय? हमने एक सिद्धांत के कारण ही इसको माना है और यही इस बात का सबूत है, हम अगर चाहते तो इसको न मानते, लेकिन मिसालें हमारे सामने आई और हमने गौर किया और खासतौर पर हमने सोचा कि हर तरह के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं जो नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे कि ३ मास में कितनी सोसाइटी रजिस्टर हुई? हमारा यह अधिकार है और हम हर साल तीन-तीन मास पर रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या हुआ कितने दिन हुए, सोसाइटियां जल्दी-जल्दी बढ़ रही हैं। हम चाहते हैं कि रजिस्ट्री में दिक्कत न हो, ३ मास के भीतर रजिस्ट्रेशन हो जाय। इसीलिए इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी है, २-३ मास की कोई खास बात नहीं है।

हम रजिस्ट्रार को कोई निरंकुश शासक नहीं बनाना चाहते, न यह चाहते हैं कि कोई क्लर्क से मिलकर कोरे कागज भेज दे या गलत तरीके से किसी समिति को रजिस्टर कर ले। इसलिए इस की आवश्यकता है कि ऐक्ट में इसका प्राविजन हो। रजिस्ट्रार ३ मास के अन्दर फैसला करेगा और उसके बाद बिलकुल सामंजस्य किया गया है। रजिस्ट्रार ३ मास में स्वीकार करे या अस्वीकार करे और उसके बाद प्रार्थी को भी अधिकार दिया गया है। रजिस्ट्रार को यह आदेश दिए जाएंगे कि वह हर हालत में यकीनन फैसला करे वर्ना उसको जिम्मेदार होना पड़ेगा। सिद्धांत यही है कि चीफ इंजीनियर भी होगा और सचिव भी विभाग का होगा, संसदीय प्रणाली में सचिव का और हेड आफ दि डिपार्टमेंट का अलग-अलग स्थान है। यह कहना भी गलत है कि जो रजिस्ट्रार कहेगा वही सचिव करेगा। यह कोई नहीं कहता कि दोनों की एक ही राय एक ही होना चाहिए, उनकी भिन्न-भिन्न राय हो सकती है। सचिव और रजिस्ट्रार की राय किसी फैसले पर अलग-अलग हो सकती है, मंत्रियों को सचिव और उपसचिव सलाह देते हैं, वह अपनी आंखों से रजिस्ट्रार का जो काम है उसकी समीक्षा करते हैं। यह कहना गलत है कि रजिस्ट्रार और गवर्नमेंट में कोई अन्तर नहीं है, रजिस्ट्रार तो बहुत बाद में आता है, हमारे पास तो कागज सचिव के द्वारा आयेंगे। अगर सचिव की मारफत कोई चीज हेड आफ दि डिपार्टमेंट भेजता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट रोज रिजेक्ट करता है। सचिव हर एक चीज को पहले देखते हैं और अगर उनकी राय में किसी चीज में आपत्ति की बात होती है तो वह प्वाइंट आउट करते हैं। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि आदमी की कितनी स्वतंत्रता होती है। फाइनेंस के दृष्टिकोण से सचिव अपनी बात कहता है। बिजली विभाग में वह चला जाता है तो कहता है कि फलां चीज की फाइनेंस की स्वीकृति नहीं मिलती है। तो सचिव पूरी तरह स्वतन्त्रता के साथ अपना मत देता है। निर्णय करना अवश्य मंत्री के हाथ में रहता है। सिद्धांत के खिलाफ है व्यवहार के खिलाफ है अगर आप कहते हैं कि एक वर्ग की सोसाइटी के हक में है। ऐसे लोग है जो एक तरह की सोसाइटी के होते हुए उसी तरह की सोसाइटी रजिस्टर करवाना चाहते हैं। यदि ऐसे लोग हैं जो एक तरह की सोसाइटी रजिस्टर करायेंगे तो ऐसे भी होने चाहिए जो यह चाहें कि इस अवांछनीय कानून में कोई उसकी प्रक्रिया न हो। श्रीमन्, इसलिए माननीय कृष्णानन्द जी का यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री ब्रह्मदत्त माथर—

माननीय मंत्री जी ने विस्तार में अपने विचार सदन के समक्ष रखे। उन्होंने सरकार के लिए एक बड़ा सराहनीय नक्शा दिया और कहा कि रेंट कंट्रोल में यह प्राविधान है कि उसमें

यह देखने के लिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह फैसला सरकार देगी। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि टेनेंट्स के हक में ही यह फैसले दिए है। मैं बताना चाहता हूं कि जितने फैसले सरकार के पास आ जाते हैं वे सब बट्टे खाते में पड़ जाते हैं। २-३ माह की तो क्या बात वे ३-३, ४-४ साल पड़े रहते हैं। यहां पर सदन में उस पर सवाल किए जाते हैं, उसके बाद सिफारिश की जाती है। रोजमर्रा हेरा-फेरी होती है तो भी वह नहीं होता है। तो कहां तक जो संशोधन हमारे सामने है उसकी मंशा यह तो नहीं है कि हमें किसी की नियत पर शक है, लेकिन एक चीज अवश्य है कि जिस सोसाइटी को सरकार रजिस्टर नहीं करवाना चाहेगी, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिस तरह सरकारी पक्ष के लोग पार्टीबाजी में पड़े हुए हैं उसी तरह से रजिस्ट्रार भी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अगर वे चाहें कि अमुक सोसाइटी रजिस्टर न हो तो ३ माह की बात तो छोड़िए, वह ३ साल भी रजिस्टर नहीं होगी। आपने एक माह में अपील करने का समय दिया। फिर सुनवाई होना, सरकार के पास आना, इसमें ही काफी समय लग जायगा। जब आज इतनी कोशिशों के बावजूद फाइल नहीं निकलती है तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन का स्पष्ट मतलब है कि बट्टे खाते में डालना। अगर ट्राइब्युनल की बात होगी तो इसका फैसला शीघ्र होगा। जब सरकार के पास अपील आयगी तो निश्चय है कि उसका फैसला नहीं होगा। फिर प्रश्नों के उत्तर में कहा जायगा कि समय आने पर कर देंगे आदि आदि। तो हमें जो आपत्ति है इस संशोधन पर वह यही है कि सरकार के पास फाइल जायगी तो इंसाफ नहीं मिल पायेगा। अगर मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि इसे लाजिमी तौर पर करना ही है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। साधारणतया जो कानून बनाए जाते हैं और अब तक जो लेजिस्लेशन इस संबंध में देखा उनमें यही होता था कि किसी काम के लिए, मंजूरी के लिए दो-तीन महीने का समय दिया गया और उस समय के अन्दर जवाब नहीं मिला और उस जिम्मेदार अधिकारी ने आज्ञा नहीं दी तो उसे मंजूर समझा जाता था और उससे यह होता था कि वह अधिकारी अथवा कर्मचारी इस बात का ध्यान रखते थे कि वह उसका जवाब दे, वह हां करे अथवा न करे। उनके ऊपर एक प्रतिबंध होता है। लेकिन अगर वह प्रतिबंध हटा लेते हैं और यह निश्चय करते हैं कि कोई आज्ञा न देना अस्वीकृत समझी जायगी तो दफ्तरों को एक प्रकार से खुला लाइसेंस मिल जायगा कि वे उसके ऊपर आज्ञा प्रदान न करें। इससे पहले जो विधेयक आवास एवं विकास परिषद् पारित हुआ है उसमें सबसे पहले यह चीज मैंने देखी थी। उस पर कमलासिंह जी के संशोधन थे जिनका मैं समर्थन करना चाहता था, लेकिन संयोग से उस दिन मैं उस समय अधिष्ठाता पद पर था और समर्थन नहीं कर सका। अब तक सरकार की प्रवृत्ति यह थी कि हमने दरख्वास्त दी और सरकारी अधिकारियों पर यह प्रतिबंध होता था कि वे निश्चित समय के अन्दर उत्तर दें, लेकिन अब वे इतने ताकतवर होना चाहते हैं कि उनके ऊपर उत्तर देने का उत्तरदायित्व न हो। इस तरह से फाइल ३ महीने दबी रहेगी और अगर मुझे कुछ करना है तो मैं उसे परस्यु करूं। २० रुपए क्लर्क की जेब में डालूं तो फाइल निकले, यह चीज इस संशोधन द्वारा की जा रही है। आवास तथा विकास परिषद् नामक विधेयक में जब यह व्यवस्था मैंने देखी थी तभी मुझे इस बात की आशंका हुई थी कि आगे आने वाले बिलों में भी यह चीज विद्यमान होगी और वह आशंका मेरी पूरी हुई। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री, जो एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इस पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री बनारसीदास—

आप हिन्दुस्तान के किसी भी कोआपरेटिव ऐक्ट में यह व्यवस्था दिखाइए कि आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाय? फिर क्या जरूरत है कि सहकारिता कानून बनाया जाय और रजिस्ट्रेशन किया जाय?

श्री जगदीशप्रसाद—

यह बिलकुल गलत है कि आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो और किसी अधिकारी की नियुक्ति न हो कि पहले वह मंजूरी दे। लेकिन यह बात भी अपनी जगह ठीक है कि आप अपने अधिकारी से क्यों नहीं कहते कि वह वक्त के अन्दर जवाब दे, जनता को क्यों मजबूर करते हैं कि वह फाइल के पीछे भागे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह आज भी है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ३ महीने के अन्दर निर्णय देगा कि निबंधन किया या नहीं किया। उसके बाद प्राधिकारी के पास आपको अपील करने का राइट रिजर्व है।

श्री जगदीशप्रसाद—

तीन महीने के अन्दर आज्ञा नहीं दी तो यह समझा गया कि निबंधन नहीं किया और वह अपील कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिकारी के ऊपर और दफ्तर के ऊपर पाबन्दी होनी चाहिए कि समय के अन्दर उत्तर दे। अगर क्लर्क फाइल दबा देगा तो अधिकारी को पता तक नहीं होगा और बात यहीं खत्म हो जायगी। इसलिए श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सहकारिता मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको देख लें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जिन्होंने संशोधन पेश किया और कोआपरेटिव मिनिस्टर भी एक राय थे तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब सब एक राय थे तो क्या यह होना चाहिए कि बिना सदस्यों को बतायें कोई विपरीत राय दे सकता है, जब सर्वसम्मति की यह राय थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक राय का सवाल है वह किसी भी समय बदली जा सकती है।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति का यह निश्चत मत था कि अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई न कोई बात रखी जाय। अभी मंत्री जी ने कहा था कि कोई ऐसा कानून तो हम कानून बतायेंगे। जहां पर यह कहा गया है वहां पैरेलल राय है कि वहां इस तरह से निरंकुश रहेंगे, वहां उसके लिए प्राविधान होना चाहिए और यह आपने माना भी था।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से एक बात पूछ लूं। मकान वगैरा की रजिस्ट्री होती है तो माननीय तिवारी जी बतायें कि सिविल राइट्स में अगर इतने दिनों में रजिस्ट्री न हो तो क्या आटोमेटिक रजिस्ट्री हो जायगी ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, हम बताने चाहते हैं कि आप सहकारिता के पोषक हैं तो आप इसको स्वयं लगाना चाहते हैं। अगर आप समितियों को बनाना चाहते हैं तो यह प्रतिबंध रखना चाहिए। हम कहते हैं कि कोई समिति सारी चीजें पूरी कर दे और वह रजिस्ट्री के लिए दरख्वास्त दे और वह दबी रहे तो क्या ऐसी स्थिति में कोई अंकुश नहीं होना चाहिए ? एक समिति के और बनने से क्या दिक्कत हो सकती है ? इसके रजिस्टर होने में कौन सी दिक्कत हो सकती है ? एक तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के आर्डर देता है और दूसरी में बिना आदेश दिए रजिस्ट्री हो जाती है। इसलिए अंकुश का रहना बहुत जरूरी है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय ।

(विभाजन के लिए घंटी बजाई गई ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न रखते समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसका वक्त निकल गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता है । यह सदन है । चूं चूं का मुरब्बा नहीं है । यह विधान सभा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए । डिवीजन के वक्त कोई बहस नहीं होती ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

डिवीजन के पहले मैं खड़ा हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसका टाइम अब नहीं है । वह हो गया ।

श्री उग्रसेन—

आप गैर कानूनी काम करेंगे ? आप बिलकुल गैरकानूनी काम कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६१,

विपक्ष में—३५ ।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब विवाद समाप्त हुआ ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में सेलेक्ट कमेटी से जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। जब यह संशोधन पेश हुआ उस वक्त मैं भी नहीं था। मेरे पहले रामायण राय जी थे। उस वक्त कोई ऐतराज नहीं हुआ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

भाषण के बाद मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री उग्रसेन—

आप कार्यवाही देख लीजिए, बनारसीदास जी के भाषण के तुरन्त बाद राधेश्याम जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न कभी भी उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन पर नहीं उठाया जा सकता।

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, आपने कोई व्यवस्था नहीं दी, आप कृपया व्यवस्था दीजिए।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आपने सब गलत कर दिया। कमेटी में कुछ कहा था और यहां कुछ कहा जा रहा है। यहां दूसरी बात कह दी, यह तो आपने बिलकुल गलत करा दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने तो स्वयं विवाद में भाग लिया है। अब इस तरह का व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री भीखालाल—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय काशीनाथ संशोधन के विषय में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, मैं उसके तथ्यों में नहीं जाता, किंतु यह कहना कि क्लोजर मूव हो चुका है इसलिए नहीं लाया जा सकता, इस पर मेरा कहना है कि संशोधन पेश हो गया है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है, इसलिए व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। आपने स्वयं कहा है कि माननीय मंत्री जी के उस समय कुछ विचार थे और इस समय दूसरे विचार हो सकते हैं, विचारों में परिवर्तन हो सकता है। उसी प्रकार से राधेश्याम जी के भी विचार बदल सकते हैं। भाषण के समय दूसरे विचार थे, लेकिन अब दूसरी सही चीज समझ में आ गयी है। तो क्या हर्ज है, आप उनकी पूरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले तो यह सवाल है कि आया सारा विवाद समाप्त होने पर, क्लोजर मूव होने पर भी आपत्ति उठाई जा सकती है, जबकि क्लोजर पेश हो चुका था सिर्फ मत विभाजन होना था? फिर कौन सा रूल यह बताता है कि सारी बहस समाप्त होने के बाद जब क्लोजर मूव हो जाए तो इस प्रकार की वैधानिक आपत्ति की जा सके? इसलिए अब आप विराजिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह तो बड़े कायदे-कानून की बात है यह बड़े मार्के की बात है। सेलेक्ट कमेटी के पास अप्रूव्ड ड्राफ्ट यदि आ जाएगा और उसमें माननीय मंत्री जी यदि कोई अमेंडमेंट स्वीकार करना चाहते हैं तो उन्हें सेलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्यों को और सदन को पूर्व सूचना देनी चाहिए कि इस आशय का हम एक संशोधन लाना चाहते हैं। बिना इस प्रक्रिया के किए कोई भी संशोधन इस प्रकार से एक दम से नहीं लाया जा सकता है। इसके सपोर्ट में, मैं एक उद्धरण आपके सामने पढ़ना चाहता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि विवाद समाप्त होने पर, क्लोजर मूव होने पर कोई आपत्ति उठाई जा सकती है ? यह पहले रूल्स बताइए कि यह किस में है ?

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

आप मेरी बात सुनें, आपने इस कुर्सी पर बैठकर पूरा-पूरा अमेंडमेंट, विवादान्त मसला दूसरे दिन लिया है। मैं रूलिंग दिखाऊंगा और दूसरे दिन रूलिंग बदली, आपने और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उपाध्यक्ष से गलती हो गयी। जहां तक संशोधन का प्रश्न है, कोई नहीं जानता था कि इस स्थिति में ऐसा संशोधन आ जायगा। आप हमारी बात को समझें। आपने २ दिन बाद रूलिंग दी है। यदि यह गलत हो तो मैं जुर्माना दे दूं। यदि मैं आपकी और अध्यक्ष महोदय की रूलिंग दिखा दूं, तो आप इस्तीफा देंगे ? यदि नहीं, तो आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

हम तो आपको नियम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप ही नियम पढ़कर बताइए कि किस नियम के अन्तर्गत आप हमें रोक रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री बनारसीदास—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे मित्र चाहते हैं कि यह सदन चले या न चले ? अगर नहीं होता है तो कम से कम ५ मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दीजिए, नहीं तो यह डंडेबाजी जो हो रही है .....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष जी, इनसे "डंडेबाजी" शब्द वापस कराइए।

श्री बनारसीदास—

"डंडेबाजी" से मेरा मतलब पांच-पांच, छः-छः आदमियों के एक साथ खड़े होकर बोलने से था। लेकिन यदि टम्बेश्वर प्रसाद जी को हठ है तो मैं उस शब्द को वापस लिए लेता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि एक नेता बोलना चाह रहा है उसे बोलने दीजिए।

श्री उग्रसेन—

इस विषय पर आज हमारे नेता माननीय काशीनाथ जी हैं।

(श्री रामायण राय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइए और रामायण राय जी को बोलने दीजिए।

श्री रामायणराय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे काम को माननीय उग्रसेन जी ने यह कह कर कि आज उनके नेता माननीय काशीनाथ जी हैं हलका कर दिया है। जहां तक प्रश्न औचित्य का संबंध है उसके लिए हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम ३००(२) में लिखा हुआ है :—

"(२) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा : परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि यह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के संबंध में हो।"

अब जो कार्य सदन के सामने है वह कृष्णानन्द राय जी का संशोधन है और उस पर दोनों पक्षों की राय व्यक्त हो चुकी है। मैं ऐसा समझता हूं कि क्लोजर मूव होने के बाद जब तक इस पर आप सदन की राय नहीं ले लेते। इस संशोधन पर कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय रामायण राय जी का विचार है कि मूल संशोधन पर विचार समाप्त हो गया तो विचार कैसे खत्म हो गया ? वह चल रहा है और किसी वक्त प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न जब लिया जाता है, वह जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक औचित्य का प्रश्न पेश नहीं हो सकता।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

औचित्य प्रश्न बीच में ही लिया जाता है कौन सा नियम है कि वह नहीं लिया जा सकता ?

श्री रामायण राय—

नियम ३०० है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप हमको न पढ़ाइये, मैं नियमों को बहुत समझता हूं। मैं इनको समझना भी नहीं चाहता, आप नियम बताइये जिसके अन्दर औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। औचित्य प्रश्न तो भाषण के बीच में उठाया जायगा और वोटिंग के बीच में उठाया जायगा। आप वह हमको रूलिंग दिखाइये जिस पर आप हमको मना कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह संशोधन पेश हुआ। उस वक्त आपने कोई आपत्ति नहीं उठाई। सारी बहस हो गई। दोनों पक्षों के लोग यहां पर बोलें। अब कोई उसके बाद औचित्य का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस समय भी औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है। आप रामायणराय जी के स्वर में स्वर मिलाकर बोल रहे हैं। बीच में औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको बतला दिया, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय क्या व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है? जो संशोधन पेश किया गया वह एक गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किया गया। इस संबंध में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप नियम ३०० को देखने की कृपा करें। बीच में प्रश्न उठाया जा सकता है। ऐसे नियम हैं और संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पर सदन में अनुमति दी गई है कि ऐसे प्रश्न उठाये जा सकते हैं। उसको लेकर ही मैं कहता हूं कि आप काशीनाथ जी मिश्र को बोलने के लिये इजाजत दें। आप कहते हैं कि नहीं उठाया जा सकता है। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि फिर क्या उठाया जा सकता है। क्या यह कोई आपकी अपनी भाषा है कि चाहे जो कह दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—

वह समय पर उठाया जा सकता है।

श्री उग्रसेन—

आपका कहना यह है कि जिस वक्त यह संशोधन पेश हुआ उसी समय एतराज पेश करना चाहिये था। हमारा यह कहना है कि राधेश्याम जी ने उसी समय एतराज किया। जिस संशोधन को माननीय मंत्री जी ने सर्वसम्मति से मान लिया और सरकार ने सेलेक्ट कमेटी में मान लिया उसके विरुद्ध यदि संशोधन आये तो सब को इसकी सूचना मिलनी चाहिये। यह पार्लियामेंट्री पद्धति है। इस तरह से अललटप्प संशोधन लिया जायगा तो यह कंगारू सिस्टम हो जायगा। तो क्या बनारसी दास जी यहां पर कंगारू सिस्टम से काम कर रहे हैं? यह असंसदीय प्रथा हो जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि काशीनाथ जी मिश्र की बात सुन ली जाय, तब शांति से आगे सदन का काम चले।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो संशोधन आया है एक दम से नहीं आया है। यह कई दिन से छप रहा है। जिस समय यहां पर पेश किया गया उसी वक्त इस पर एतराज करना चाहिये था। जब यह प्रश्न तय हो चुका है कि विवाद समाप्त किया जाय तो अब यह नहीं लिया जा सकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जब यह कई दिन से छप रहा है तो क्या किसी सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर ने इस बात को देखा है? आपको हमारी बात का खयाल करना चाहिये। सेलेक्ट कमेटी में इधर के लोग भी थे और उधर के लोग भी थे। क्या उनको पढ़ने का मौका दिया गया? हम यह समझते हैं कि जो बातें सेलेक्ट कमेटी में हुईं और जिनको माननीय मंत्री ने मान लिया तो फिर उस पर बटना चाहिये। माननीय मंत्री जी को पता लगाना चाहिये कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। यह नहीं होना चाहिये कि वहां पर कुछ कह दें और यहां पर कुछ कह दें। इस तरह से संसदीय पद्धति नहीं चल सकती है। यह व्यवस्था गलत हो रही है....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, संयुक्त प्रवर समिति में माननीय बनारसी दास जी ने स्वयं इस संशोधन को स्वीकार किया था और इसका बड़ा श्रेय उनको मिला था। उनकी इस उदारता के लिये वहां

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

इनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। सारा झगड़ा इस वक्त खत्म हो जाय अगर यह कह दें कि हम संशोधन को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि एक बार संशोधन स्वीकार कर लेने पर अब दूसरा संशोधन स्वीकार कर रहे हैं। मैंने ही संयुक्त प्रवर समिति में उसे मूव किया था और माननीय मंत्री जी ने बड़ी उदारता दिखाई थी और उसे स्वीकार किया था। जितनी भी प्रवर समितियां बैठीं उनमें जितने भी मंत्री जी बैठे उन सभी के मुकाबिले में मैंने माननीय बनारसी दास जी को एक रीजनेबिल एटीट्यूड का पाया था और वहां बड़ी प्रशंसा इनको मिली थी। आज पता नहीं क्यों करवट बदल ली। हिम्मत हो तो कहें कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, वे इसके लिये राजी नहीं थे....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कह देंगे तो एतराज खत्म हो जायेगा। (व्यवधान)

अनेक सदस्य—

हां, हां।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय बनारसीदास कह दें कि हमने इसे मानने के लिये नहीं कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ, मैंने व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

आपकी व्यवस्था का हम घनघोर विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उग्रसेन जी, आप बैठ जाइये। मायर जी आप बैठ जाइये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आपने अभी कहा कि माननीय बनारसीदास जी मान जायं या उठ कर कह दें तो आप संतुष्ट हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आर्गूमेंट दिया था कि बनारसीदास जी यह कह दें। अब जो व्यवस्था का प्रश्न था वह समाप्त हो गया। आप कृपया बैठिये। (व्यवधान) आपकी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो व्यवस्था मैंने दे दी है वह ठीक है। आप लोग कृपया बैठ जायं।

अनेक सदस्य—

आपकी व्यवस्था गलत है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन, आपने जो व्यवस्था दी है वह बिलकुल ऐसी है जो कानून के विरुद्ध है। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था के विरुद्ध सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ब्रह्मदत्त मायर ने सदन का परित्याग किया।)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हम भी इस संबंध में अपने दल के साथ पांच मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम तो पहिले श्री बनारसीदास जी को सुनेंगे।

श्री भीखालाल—

श्रीमन्, मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री भीखालाल ने अन्य सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया।)

*श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनसंघ के आदरणीय नेता से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या वे माननीय बनारसीदास जी से बुलाने का अनुरोध करके वे सदस्य के अधिकारों का अपहरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ? मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया और मुझे अधिकार प्राप्त है कि इस विरोध में जितनी बातें कहीं गईं, मैं उनका उत्तर दूं और हमारे माननीय सदस्य उसको सुनें। मुझे आश्चर्य होता है कि इस विधान सभा के आदरणीय सदन के सदस्यों की जहां एक जिम्मेदारी है कि वे सदस्यों के अधिकारों के बारे में उन्हें लड़ना चाहिये, वहां वे ऐसी बात कहते हैं कि उनको अधिकार नहीं है। मैं सैलेक्ट कमेटी का सदस्य नहीं था और उसमें लिये गये निर्णयों का बंधन मुझ पर नहीं है। माननीय बनारसीदास जी स्वीकार करें या न करें, लेकिन मुझे अधिकार है कि मैं सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का यह कहना कि बनारसीदास जी कहें, क्या इस तरह कह कर वे मेरे अधिकार नहीं छीनते ? मुझे पार्लियामेंटरी प्रोसीजर का पता हैं। श्रीमन, उन्होंने तो इस बात का निश्चय कर लिया है कि वे अपनी बात कहेंगे और दूसरों की बात नहीं सुनेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि अगर हम लोग व्यवस्था का प्रश्न अपने अधिकारों के अन्तर्गत उठायें तो माननीय सदस्य को क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विरोध की बात कही जाती है और सुनी जाती है और वाक आउट कर दिया जाता है। माननीय काशीनाथ मिश्र और एक और माननीय सदस्य ने लीगल प्वाइंट उठाया था, परन्तु मेरी बात सुनने के पहिले ही वे चले गये। यह केवल अव्यवस्था कायम करना है और इसका कानून से कोई सरोकार नहीं है। १३८ से लेकर १४८ तक व्यवस्था रूल्स आव प्रोसीजर में हमारी असेम्बली में दी गई है कि सैलेक्ट कमेटी के बाद सदन को हक है कि वह अमेंडमेंट मूव कर सके।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, जब आप अपनी व्यवस्था दे चुके हैं उसके बाद भी माननीय सदस्य उस पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कन्फ्यूजन है कि यह संशोधन बनारसीदास जी की तरफ से है या कृष्णानन्द जी की ओर से। वे संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मुझे यह दिक्कत है कि आप अपनी व्यवस्था देने के बाद भी किसी सदस्य को बोलने देते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं सेलेक्ट कमेटी का सदस्य नहीं थे। अतः उसके सर्वसम्मत निर्णय का मुझ पर कोई बंधन नहीं है। इसलिये मैं संशोधन प्रस्तुत करूंगा। आदरणीय नेता विरोधी दल को यह स्वीकार करना चाहिये कि मेरा संशोधन उचित लगे और अच्छा न लगे माननीय सहकारिता मंत्री को, उस पर कोई आपत्ति उपस्थित नहीं की जा सकती या हमारा सदन उसे स्वीकार कर ले तो इसे अनियमित नहीं कहा जा सकता।

श्रीमन्, मैं एक शब्द केवल यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है वह केवल माननीय बनारसीदास जी के दबाव में आकर किया है या माननीय बनारसीदास जी ने अफसरों के दबाव में आकर उसे मान लिया है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसके जायज कारण हैं। मैं माननीय माधव प्रसाद जी का बड़ा आदर करता हूं। सेलेक्ट कमेटी में उनका यह संशोधन था और यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य उन्होंने रखा था इसलिये उनको एक बड़ा सेंटीमेंटल अटैचमेंट उस प्रतिबन्ध से हो गया है। लेकिन मैं उनके लीगल सेंस को अपील करना चाहता हूं कि वह प्रतिबन्धात्मक वाक्य जो खंड ७ में है उसको वह पढ़ने की कोशिश करें और देखें कि वह हास्यास्पद है या नहीं। धारा ९८ में यह दिया हुआ है कि जबकि रजिस्ट्रार किसी भी प्रार्थना-पत्र को निबन्धन करने से अस्वीकृत करे तो उसकी अपील हो सकती है। स्वीकृत करे तब तो कोई संघर्ष पैदा नहीं होता है। अस्वीकृत करे तो एक महीने के अन्दर अपील हो सकती है। लेकिन जब न स्वीकृत करे, न अस्वीकृत करे तो यह व्यवस्था है कि तीन महीने बाद उसको अस्वीकृत मानकर उसकी अपील कर दी जाय, यह ज्यादा उचित होगा या यह उसका सही निरूपण होगा कि यदि तीन महीने के अन्दर कोई आदेश न हो तो वह रजिस्टर्ड मान ली जाय?

मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि इनका जो सेलेक्ट कमेटी का संशोधन है वह स्वीकार कर लिया जाय तो परिस्थिति क्या पैदा हो जाती है? परिस्थिति यह पैदा हो जाती है कि बहुत-सी सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रार के आफिस में भेजे जाते हैं। अगर पोस्ट आफिस से कोई इधर उधर हो जाय, या पोस्टल सर्टिफिकेट से भेजी जाय, वह न पहुंचे तो दो महीने के बाद इनके संशोधन के अनुसार सोसाइटियां अपने आप रजिस्टर्ड होती चली जायंगी। लेकिन आखिर उनकी रजिस्ट्रेशन संख्या क्या होगी? जब तक रजिस्ट्रार स्वयं उस पर कोई आदेश न दे या और कोई अथारिटी आदेश न दे कि आज की तारीख में फलां रजिस्ट्रेशन संख्या ४५४ आफ १९६५ के अन्तर्गत यह सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई तब तक सुओ मोटो इस तरह रजिस्टर्ड होती चली जाने वाली सोसाइटियों की कोई संख्या निश्चित नहीं हो सकेगी। फिर दो महीने, तीन महीने बाद ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि कोई सोसाइटी बाद में रजिस्टर्ड हुई और उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर उन सोसाइटियों से पहले पड़ गया। तो इस तरह का जब एक कारपोरेट परसोनेल आप इनको देने जा रहे हैं तो उसमें इस तरह की अव्यवस्था इनके रजिस्ट्रेशन में होना उचित नहीं है।

भीखालाल जी का यह कहना था कि जबकि अस्वीकृत कर दे तब तो अपील हो सकती है, लेकिन वह न अस्वीकृत करता है न स्वीकृत करता है तो अपील कैसे होगी? किस लिए होगी? इसके संबंध में मैंने बिलकुल साफ लिखा है कि ठीक ९० दिन बाद वह अस्वीकृत मान ली जायगी और उसकी अपील हो सकेगी। तो इस तरह से सचमुच में अगर कोई तर्क आप अपना ऐसा देते जिससे कि हमारा संशोधन हास्यास्पद साबित होता तो माननीय मंत्री जी को उसे मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन ऐसे कोई तर्क आपने नहीं दिये। इसलिये मैं इसको जरूरी समझता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें।

*श्री बनारसीदास—

जिस वक्त इस संशोधन पर मैंने अपनी राय सदन के सामने जाहिर की थी, मुझे दुख है कि माननीय नेता विरोधी दल उस वक्त यहां पर मौजूद नहीं थे। हम यहां सदन के अन्दर जो बहस करते हैं वह इस विश्वास के साथ करते हैं कि हम एक दूसरे को अपने तर्कों के द्वारा अपने मत का बनाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा यकीन ऐसा न हो तो हमारा यहां का वादविवाद कोई अर्थ नहीं रखेगा। इसलिये श्रीमन्, मैं तो यह मानता हूं और हमेशा खुले दिमाग से जो मेरे सामने तर्क आते हैं उनसे अपने को प्रभावित करने के लिए तैयार रहता हूं। प्रवर समिति के सामने बहुत से संशोधन आये और बहुत से माने। इसके संबंध में भी माननीय माधव-प्रसाद जी त्रिपाठी का संशोधन यह था। मैं अब भी चाहता हूं, उस वक्त भी चाहता था कि रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की कठिनाई न हो। लिहाजा आप तीन महीने चाहते थे सवाल था कि ए०आर० को पावर दे दी जाय, मैंने कहा कि दो महीने में हो सकता है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ए०आर० को पावर देने में कठिनाई है,इसलिये उसको नहीं रखा गया। इस समय तो सवाल यह है कि तीन महीने में अगर रजिस्ट्रार फैसला नहीं करता है तो प्रार्थी को यह अधिकार होगा कि वह स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। आपने रजिस्ट्रार को यह शक्ति तो दी ही है कि वह उसको मंजूर करे अथवा अस्वीकृत करे। अगर वह अस्वीकृत करता है तो भी उसको अपील करने का अधिकार दिया गया है। वैसे ही अगर तीन महीने तक अगर वह कुछ नहीं करता है तो भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रार्थी अपील कर सकता है।

माननीय भीखालाल जी ने संशोधन पेश किया कि एक वर्ग की सोसाइटी रजिस्टर न की जाय। कोई व्यक्ति, मान लीजिये, किसी क्लर्क से मिल जाता है और वह किसी तरह से कागजात को पेश नहीं होने देता है, तो वह सोसाइटी अपने आप रजिस्टर हो जायगी और जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि रजिस्ट्री में कोई कोरा कागज भी भेज सकता है। इन कारणों से इसको नहीं रखा गया है। इस संशोधन को मान लेने से कोई हानि नहीं है। यह तो इसीलिये रखा गया है कि उसको ३ महीने में फैसला कर ही देना पड़े। तीन महीने के बाद हम रिपोर्ट भी मंगा सकते हैं कि कितनी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना रह गया है। इससे मतलब तो वहीं हल हो जाता है लेकिन आटोमेटिक रजिस्ट्री होने से जो लैक्यूना रह जाता था वह इसके द्वारा दूर किया गया है। सरकार तो स्वयं इस बात को चाहती है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोमोशन मिले। उस वक्त मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ती थी, लेकिन इस समय मेरा कन्विक्शन हो गया है। इसलिये मैंने इसको रिप्लेस करना स्वीकार कर लिया। अगर मैं ऐसा न करता तो आप कहते कि मंत्री जी जिद्दी हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। और आप लोग भी सदन से बाहर मेरी बात को मानेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के पक्ष अथवा विपक्ष में कुछ तर्क नहीं देना चाहता क्योंकि कदाचित् आपकी राय में वह वैधानिक नहीं है। माननीय बनारसीदास जी को देखकर मुझे बात याद आ गयी। एक अंग्रेज थे उनसे किसी ने कहा कि आपने तो हिन्दोस्तान को स्वराज्य देने का वायदा किया था और आज कहते हैं कि हिन्दुस्तान को स्वराज्य नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उस वक्त जरूरत थी वायदा करने की, इसलिये वायदा किया गया है और इस वक्त जरूरत है वायदा तोड़ने की, इसलिये वायदा तोड़ दिया गया। श्री बनारसी दास जी ने ऐसा ही किया। उस दिन भी सारे तर्क दिये जा चुके थे। एक ही बात आज उन्होंने कही कि गवर्नमेंट को अपील हो सकती है। रेंट कंट्रोल आर्डर के खिलाफ भी तो उनके पास बहुत सी अपीलें पड़ी रहतीं हैं सालों तक और उनका कुछ नहीं होता इसी प्रकार से इसकी अपीलें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

भी पड़ी रहेंगी । मैं समझता था मंत्री जी जिस बात का वचन देते हैं उसको उनकी पार्टी वाले मानते ही हैं, लेकिन आज जो माननीय मंत्री जी ने वचन तोड़ा है उसके विरोध में अपने दल के सहित मैं सदन से ५ मिनट के लिए वहिर्गमन करता हूं ।

(जन संघदल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, माननीय बनारसी दास जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि रिपोर्ट म जो चीज थी उसको उन्होंने यहां जो चे ज किया है वह यह है कि जो आटोमेटिक हो जाता था रजिस्ट्रेशन अब नहीं होता है । म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट से जो मैंने पढ़ कर सुनाया था उसमें यही था कि अगर दो महीने के अन्दर कोई निर्णय न ले यानी डिले हो जाय या कोई नेग्लिजेंस हो जाय, तो पहले उसके ध्यान में वह बात लायी जायगी और फिर भी वह न करे तो वह चीज आटोमेटिक हो जायगी । उसको मैं फिर पढ़ कर सुना देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसे तो सबने सुन लिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री कमला सिंह यादव—

दो ही लाइन है।

"सच परसन मे बाई रिटिन कम्युनिकेशन, काल दि एटशन ...."

श्री उपाध्यक्ष—

इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

ठीक है, तब मैं बैठ जाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड बदल कर निम्न प्रकार से रख दिया जाय:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि निबन्धन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ उपविधियां ऐसी हों जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् सहकारी समितियों के उस प्रकार तथा वर्ग के लिये, जिस प्रकार तथा वर्ग की वह प्रस्तावित समिति हो, निबन्धक द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर ली गयी हो, तो निबन्धक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से तीन महीने के भीतर उस पर या तो समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबन्धन करने से इन्कार करने का अंतिम आदेश देगा और यदि वह ऐसा न करे तो प्रार्थी उस प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकता है, जो किसी समिति का निबन्धन करने से इंकार करने के निबन्धक के आदेशों के विरुद्ध धारा ९८ के अधीन अपील सुनने के लिये सक्षम हो, और यदि ऐसा प्राधिकारी, निबन्धक से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् समिति का निबन्धन करने के लिये आदेश दे तो समिति निबन्धक को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से यथाविधि निबद्ध की गयी समझी जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७१,

विपक्ष में—३५ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, यह रोज रोज बदलते हैं . . . .

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं भीखालाल जी और राधेश्याम जी से कहूंगा कि वह कहते हैं कि संशोधन नहीं आ सकता तो उन्होंने सर्वसम्मति से रिपोर्ट क्यों पेश की है ?

श्री राधेश्याम शर्मा--

वह तो विमति टिप्पणी है ।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि निबन्धक निबन्धन करने से इन्कार करने का आदेश जब तक कि उक्त समिति तथा प्रार्थियों को समुचित समय प्रतिनिधित्व करने का न दिया गया हो, नहीं देगा ।"

श्रीमन्, जहां तक निबन्धन का प्रश्न है उसमें साफ दिया है कि कौन-सी कंडीशन्स हैं जिनमे रजिस्ट्रेशन होगा । पहले खंड ७ (१) में दिया है कि "यदि निबन्धक का समाधान हो जाय कि--

(क) प्रार्थना-पत्र अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार है,

(ख) प्रस्तावित समिति के उद्देश्य धारा ४ के अनुसार हैं,

(ग) प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तथा

(घ) प्रस्तावित समिति सामान्यतया, अथवा समितियों के उस वर्ग के लिये, जिस वर्ग की वह विशेष समिति हो, किन्हीं शर्तों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में नियमों की अपेक्षाओं की तथा सुस्थित कारोबार (sound business) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है और उसकी सफलता प्राप्त करने की समुचित सम्भावनायें हैं,

तो निबन्धक, समिति तथा उस की उपविधियों को निबन्धित करेगा ।"

इसमें 'शेल' रखा है और कहा है कि वह निबन्धन करेगा । तो जब यह तमाम शर्तें दी हुई हैं और आदेश है कि वह मजबूर होकर निबन्धन करेगा, लेकिन प्रतिबन्ध जो जोड़ा गया है उसमें दिया है कि वह स्वीकृति देगा और अगर इन्कार करेगा तो उसका कारण देगा और दोनों बातें न हों तो भी उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया है ।

और वह भी अपील के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा । तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था आपको रखनी चाहिये कि आप देखें कि रजिस्ट्रेशन के लिये जितनी दरख्वास्तें पड़ेंगी उन चीजों पर एक-एक आइटम को देखकर कि धारा ७ (१) के अनुसार हैं या नहीं । अगर नहीं है तो ऐसे प्रार्थियों को या समितियों को मौका देना चाहिये कि कोई भी गड़बड़ी अगर हो तो वह ठीक करदें और अगर वह ठीक हो जाय तो उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाय । ऐसे समय में जबकि उसे मौका दिया जाय और वह ठीक करने से इन्कार करे तो कोई बात नहीं है । जैसा अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि पहले हम एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को पावर देने जा रहे थे अब यह पावर हम रजिस्ट्रार को ही देने जा रहे हैं, तो श्रीमन्, इसमें लोगों को बहुत असुविधा होगी । दूर-दूर से आदमी अगर यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रार के पास आयेंगे तो इस कार्य के लिये दोनों पूर्व और पश्चिम से लोगों को आना होगा जिसमें उनके ५०-५० और ६०-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

६० रुपये लग जायेंगे और उसके बाद अगर आप मामूली नियमों की गलती की वजह से या बाईलाज में दिए हुए कोई शब्द छूट जायें तो आप उस पर कारण लिखकर अगर रिजेक्ट कर देंगे तो मैं समझता हूं कि यह कोई बेहतरीन चीज नहीं होगी। मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि बाईलाज में दिए हुए शब्द अगर छूट जायं या नियमों के अनुसार कोई गलती हो जाय तो ऐसे व्यक्ति को या सोसाइटी को मौका देना चाहिये कि वह सुधार कर सके । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र के विधेयक की धारा १४ (२) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है :—

"If the Society places or makes an amendment within the time specified, the Registrar may, after giving the society an opportunity of being heard shall....."

तो इस तरह से महाराष्ट्र का जो विधेयक है और जो बहुत उच्च समझा जाता है, वहां भी इस बात का प्राविधान है कि रजिस्ट्रेशन के इन्कार करने के पूर्व सोसाइटी को या उन व्यक्तियों को जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, एक मौका दिया जाता है सुनने का और अगर कोई गलती होती है तो उन्हें करेक्ट करने का भी मौका देगा । अगर वह यहां भी कर दिया जाय तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वैसे ही एटरैन्डम अस्वीकार कर दिया तो दिक्कत हो जायगी ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो विभाग है अगर वह गैर जिम्मेदार है तो फिर उसकी क्या जरूरत है ? जब कोई दरख्वास्त दी जाती है तो रजिस्ट्रेशन की फीस दी जाती है । अगर कोई आपका अधिकारी अटेन्टिव नहीं है या कन्डीशन्स जो जरूरी हैं, उनको नहीं देखता है तो मैं समझता हूं कि इस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है । अगर इतनी दूर से आने वाले व्यक्तियों की जो यहां पर ५०—५० या ६०—६० रुपया खर्च करके आते हैं अगर उनको कोई अपार्चुनिटी दिए बगैर ही उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है तो इससे बढ़कर निकम्मापन और क्या हो सकता है । माननीय मंत्री जी अपार्चुनिटी देने का अवश्य कोई खयाल रखेंगे । इसलिये इस संशोधन को जरूर मान लेंगे ताकि किसी आदमी का रजिस्ट्रेशन केवल इस बात की वजह से न रह जाय कि कहीं नाम लिखने से रह गया है अथवा कहीं बाईलाज में कोई एंट्री नहीं हुई है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, ऊपर का जो संशोधन स्वीकृत हुआ है उसके अन्दर ३० दिन का समय रखा गया है जिसके अन्दर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसको अपील करने का अधिकार होगा प्राधिकारी के पास । खंड ७ (२) में भी आप देख लें । यह बात कहां तक संगत है कि बिना सुने ही निबन्धन खारिज कर दिया जायगा । कितने परसेंटेज समितियों का निबन्धन खारिज होता है ? ३ महीने के अन्दर अगर कोई त्रुटि हो तो ठीक किया जायगा, उनको मौका दिया जायगा और अगर मौका नहीं दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है तो उसे अपील करने का अधिकार प्राप्त है जिसमें सारी चीजों की सुनवाई होगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

कोई प्राविधान आपने बनाया है कि कोई गलती होगी तो उसको करेक्ट किया जायगा जैसे महाराष्ट्र के ऐक्ट में अपार्चुनिटी दी गयी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह ऐक्ट में नहीं होगा, रूल्स में यह होगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन देते हैं कि रूल्स में अवश्य प्रोवाइड कर दिया जायगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने कह दिया कि सारे एहतियात बरते जायेंगे और जो भी रजिस्ट्रेशन में छूट गया है उसे ठीक किया जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

यह तो गोलमाल बात कही जा रही है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस समय कोई मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

राममूर्ति जी बैठे हैं ।

प्रश्न यह है कि खंड ७ के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि निबन्धक निबन्धन करने से इन्कार करने का आदेश जब तक कि उक्त समिति तथा प्रार्थियों को समुचित समय प्रतिनिधित्व करने का न दिया गया हो, नहीं देगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड ८, ९, १० व ११

निबंधन प्रमाण-पत्र

८—(१) यदि कोई समिति, इस अधिनियम के अधीन निबंधित हो अथवा धारा ७ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन निबन्धित समझी जाय तो निबन्धक अपने हस्ताक्षर युक्त निबन्धन प्रमाण-पत्र जारी करेगा । जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि निबन्धन रद्द कर दिया गया है तब तक उक्त प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक-प्रमाण होगा कि उसमें उल्लिखित समिति इस अधिनियम के अधीन यथाविधि निबंधित सहकारी समिति है ।

(२) कोई व्यक्ति या समिति किसी सहकारी समिति के नाम से या अपने को सहकारी समिति व्यक्त करते हुये तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेगी जब तक कि उस समिति के लिये उपधारा (१) के अधीन निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति या समिति का सदस्य, जो इस उपधारा का उल्लंघन करके कारोबार करे, उक्त कारोबार में उपगत समस्त दायित्वों का व्यक्तिगत रूप से भागी होगा ।

सहकारी समितियां निगमित निकाय होंगी

९—निबन्धन हो जाने से समिति उसी नाम से जिससे वह निबंधित हुई हो, निगमित निकाय हो जायगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा सामान्य मुद्रा होगी । उसको सम्पत्ति धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विभिन्न कार्यवाहियां संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने और जिस प्रयोजन के लिये वह संघटित हों, उसके लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

सहकारी समिति का नाम परिवर्तन

१०—(१) सहकारी समिति अपनी उपविधियों का संशोधन करके अपना नाम परिवर्तित कर सकती है ।

(२) यदि सहकारी समिति अपना नाम परिवर्तित करती है तो निबंधक सहकारी समितियों के रजिस्टर में पहले नाम के स्थान पर नया नाम दर्ज करेगा तथा निबंधन-प्रमाण-पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा ।

(३) सहकारी समिति के नाम-परिवर्तन से न तो समिति या उसके किन्हीं सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों अथवा यदि उनमें से कोई मृत हो तो उसके दायादों के अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा और न सहकारी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध की गयी कोई विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जायगी, तथा कोई विधिक कार्यवाही जो समिति द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पहले के नाम से जारी रक्खी गयी होती या आरम्भ की गयी होती, उसके नये नाम से जारी रक्खी या आरम्भ की जा सकती है ।

दायित्व में परिवर्तन

११--(१) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति, अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयति में परिवर्तन कर सकती है ।

(२) यदि सहकारी समिति ने अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयति में परिवर्तन करने के लिये संकल्प पारित किया हो तो वह उसका लिखित नोटिस अपने सभी सदस्यों और ऋण दाताओं को देगी तथा किसी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुये भी, किसी सदस्य या ऋणदाता को, उस पर नोटिस तामील होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, धारा ४१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, अपने अंशों, जमा की गयी धनराशियों, या ऋणों को वापस लेने का विकल्प प्राप्त होगा ।

(३) किसी ऐसे सदस्य या ऋणदाता के सम्बन्ध में, जो उपधारा (२) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग न करे यह समझा जायगा कि उसने परिवर्तन के लिये सहमति दे दी है ।

(४) किसी सहकारी समिति की उपविधियों का ऐसा संशोधन जिसके द्वारा उसके दायित्व के स्वरूप या उसकी आयति में परिवर्तन किया गया हो, उस समय तक निबंधित नहीं किया जायगा जब तक कि--

(क) उसके लिये समस्त सदस्यों तथा ऋणदाताओं की सहमति प्राप्त न हो जाय या प्राप्त हुई न समझी जाय, अथवा

(ख) ऐसे सदस्यों तथा ऋणदाताओं के समस्त दावों की पूर्ति, जो उपधारा (२) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर करें पूरी तौर से न कर दी गयी हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ८, ९, १० और ११ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १२

सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन

१२--(१) सहकारी समिति इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियत रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय ।

(२) उपविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव निबन्धक के पास भेजा जायगा और यदि निबन्धक का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन—

(१) अधिनियम की धारा ४ में निर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है,

तथा

(२) अधिनियम या नियमों के अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है

तो वह संशोधन को निबंधित कर सकता है ।

(३) यदि निबन्धक किसी सहकारी समिति की उपविधियों के संशोधिन को निबन्धित करने से इंकार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित समिति को संसूचित करेगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) के भाग (२) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन से संबंधित पैरा है, उसमें दिया हुआ है कि "सहकारी समिति इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुयें नियत रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबंधित न हो जाय ।"

पहली चीज यह है कि अगर बाईलाज में संशोधन करना चाहेंगे तो जब तक रजिस्टर्ड न हो जायगा तब तक ठीक नहीं समझा जायगा ।

दूसरी चीज यह है कि "उपविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव निबंधक के पास भेजा जायगा और यदि निबंधक का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन—

(१) अधिनियम की धारा ४ में निर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है, आगे दिया है कि वह कर सकता है । तो यह कंडीशन प्रेसीडेंट है । जैसा कि ७ (१) के अंत में दिया गया है कि "तो निबंधक समिति तथा उसकी उपविधियों को निबंधित करेगा ।" यहां कर सकता है को अमेंड कर दिया गया है । इसमें दो बातें हैं । एक जगह तो निबंधक के लिये कहा गया है कि निबंधक कर सकता है और दूसरी जगह कहा गया है कि निबंधक करेगा । इस तरह से एक जगह शब्द "में" और दूसरी जगह "शैल" है । ये दोनों शब्द कंट्राडिक्टरी हैं । कंडीशन प्रेसीडेंट ने दी हुई हैं कि क्या-क्या कंडीशन्स होनी चाहिये । अगर उनकी पूर्ति हो जाय तो उसके बाद "में" शब्द हम नहीं चाहते हैं । हम डिस्क्रीशन नहीं चाहते हैं । खंड ७ (१) उपविधियों के बारे में है । यहां पर शब्द "शैल" रखा गया है और दूसरी जगह शब्द "में" रखा गया है। इसलिये मैं कहूंगा कि जो कंडीशन प्रिसीडेंट को कार्यान्वित करे, चाहे कोई समिति या व्यक्ति करता हो तो वहां पर शब्द "मे" न रखकर "शैल" रखा जाय । इसीलिये मैं संशोधन लाया हूं कि कि जैसा ७ (१) में है वैसा ही यहां भी होना चाहिये । दोनों जगह कंट्राडिक्टरी चीज नहीं होनी चाहिये । दोनों जगह या तो डिस्क्रिशनरी हो या दोनों जगह मैनडेटरी हो, इसलिये मैं चाहता हूं "कर सकता है" के स्थान शब्द "करेगा" होना चाहिये जिससे रजिस्ट्री होने में कोई दिक्कत न हो।

श्री रक्षपालसिंह—

इस संशोधन को स्वीकार करने में मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कायदे कानून के अन्तर्गत सब कागजात होते हुए भी रजिस्ट्रार चाहे तो पंजीकृत करे या न करे । जब सारे नियम पालन कर लिए गए और सब नियम के अनुसार है, तो रजिस्ट्रार को करना ही चाहिए । वहां पर "शैल" शब्द होना चाहिए । मंत्री जी को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष जी, ऐक्ट की टर्मिनीलोजी में वर्ड 'मे' कहीं-कहीं 'शैल' से भी ज्यादा वर्क करता है। ऐक्ट में जहां भी आता है, 'मे' शब्द आता है। 'शैल' निश्चितता कर देता है। अधिकारी को अधिकार नहीं रहता। आगे चल कर जब खण्ड १३० के अन्तर्गत नियम बनाने की बात आयेगी उसके जवाब में मैं बताने वाला हूं कि कुछ चीजें सरकार करेगी।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यह संशोधन उचित है। मालूम पड़ता है कि माननीय मंत्री जी रजिस्ट्रार को कुछ अधिकार देना चाहते हैं ताकि वह मनमानी करता रहे। जब सारे के सारे नियमों का पालन हो गया फिर क्यों मनमानी करने का अधिकार देना चाहते हैं? उसे अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। वरना उसको छूट मिल जायगी और छूट रजिस्ट्रार को नहीं होनी चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

ऐक्ट में जिसका प्राविधान हो सकता है उसको रूल्स में छोड़ना ठीक नहीं है। यहां उसको करने में क्या आपत्ति है? इसका मतलब यह हो जायगा कि दफ्तर के बाबू लोगों को जब तक पैसा नहीं चढ़ाया जायगा तब तक 'मे' का 'शैल' नहीं हो पायेगा। इसका मौका न दीजिए कि भ्रष्टाचार बढ़े। जब उसमें कमी नहीं रह जाती तो रजिस्ट्रार के लिए लाजमी होना चाहिए कि वह करे।

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो शब्द है वह शब्द ज्यादा ताकतवर होता है। खंड १२ (२), (३) में "समिति को संसूचित करेगा" शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगर सारे कागजात तैयार हैं नियमों के अनुसार, तो डिस्क्रिशनरी पावर क्यों रहे, मैंडटरी क्यों न हो? इसलिए "करेगा" शब्द रखना चाहिए।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

माननीय मंत्री जी ने कहा "मे", "शैल" समझा जायगा। यह कौन सी डिक्शनरी में है? या तो आप ऐक्ट में कह दें कि "मे" इनक्लूड्स "शैल"। अगर आप चाहते हैं कि वह करे, तो "गा" रखने में कौन सी दिक्कत है?

आप अगर एक जगह "करेगा" और दूसरी जगह "मे" रख रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, ऐसी हालत में रुपये पर गाड़ी चलेगी, उसे मनमानी करने का मौका रहेगा तो आप इसमें ऐसा अवसर क्यों दे रहे हैं? यदि आपकी मंशा यह है कि एक सहकारी समिति चले तो आप वहां पर "शैल" रखें, नहीं तो मैं यही कहूंगा कि आप सहकारिता कानून को नहीं चलाना चाहते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें, श्रीमन्, मैं यह समझ रहा हूं कि या तो मेरी कमजोरी है कि माननीय मंत्री जी समझ नहीं सके हैं यह तो मैं नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री जी नहीं समझे। मैंने मंत्री जी का ध्यान धारा ७ की तरफ दिलाया। उसमें पहले "मे" शब्द दिया था, किन्तु उस शब्द को निकाल कर सेलेक्ट कमेटी ने "शैल" शब्द रखा है—

"That the proposed society complies with the requirements of rules in regard to the existence of any conditions in general or for the class of societies to which the particular society belongs and with the requirements of sound business and as reasonable chances of success, the Registrar (may) shall register the society and its bye-laws".

यह डेफिनिट दिया है, बाई-लाज में भी दिया हुआ है। तो बाईलाज से संबंधित सेक्शन १२ भी है, इस सेक्शन में मूल रूप में दिया हुआ है कि "सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन वह करेगा" और बाई-लाज में भी "शैल" शब्द उसके लिए रखा गया था। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपने एक जगह "शैल" शब्द इस्तेमाल किया है तो यहां पर भी "शैल" शब्द रहना चाहिए, "मे" नहीं। यह ठीक नहीं है कि कहीं पर "शैल" रख दिया और कहीं पर "मे" रख दिया। यदि आप स्वयं चाहते हैं कि सहकारिता काम दे तो "शैल" शब्द होना चाहिए, जो रजिस्ट्रार को बाउन्ड करे कि सारी कंडीशन्स पूरी होने पर वह उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य करे। "मे" रहने पर सारी कंडीशन्स फुलफिल होने पर भी कोई रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति को या सोसाइटी को तंग करना चाहे तो वह कर सकता है, वह करेगा। यह तो डिस्क्रिशनरी है, जिसका नतीजा यह होगा कि कोआपरेटिव को प्रोत्साहन देने की बात नहीं है, उसे बिलकुल अपने चंगुल में रखने की बात है। इसमें रजिस्ट्रार को डिस्क्रिशनरी अधिकार देना बहुत ही अनुचित है। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि वह डेफिनिट कंडीशन रख दें कि यह यह शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति सारी शर्तें पूरी करता है, फिर भी उसे रजिस्ट्रेशन न करने का आपको क्या अधिकार है। मंत्री जी कोई उचित उत्तर नहीं दे सकें हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि वे अपने अधिकारियों से विचार विमर्श कर लें और ऐसा डिक्टेटरशिप का आदेश न दें। जो खंड ७(१) में किया गया है, वही खंड १२ में भी आपको करना चाहिए।

श्री उग्रसेन—

मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसमें सफा लिखा है "करेगा", आप वह करना चाहते हैं और आपने कहा कि "कर सकता है" और "करेगा" दोनों हो सकता है। आपने तो उनमें अन्योन्याति संबंध जोड़ दिया है, और आपने तो यह भी कहा है कि "करेगा" और "कर सकता है" एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। तो यह किस नियम के अनुसार है, जरा बता दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं तो वह बातें नहीं कह सकता जो श्री कमला सिंह ने कहीं। मैं समझता हूं कि धारा ७ और धारा १२ में बहुत अन्तर है। धारा ७ रजिस्ट्रेशन के बारे में है और धारा १२ अमेंडमेंट आफ बाई-लाज के बारे में है। दोनों अलग-अलग विषय हैं और दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। माननीय सदस्य ने अभी कहा ही था कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाई-लाज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर "शैल" उसमें हो जायगा तो रजिस्ट्रार के लिए बड़ी दिक्कत होगी। अगर रजिस्ट्रार नहीं करेगा तो १२(३) में प्राविधान है कि धारा ९८ के अन्तर्गत अपील हो सकती है। धारा ९८ इस प्रकार है :—"९८(ख) धारा १२ की उपधारा(३) के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों के किसी संशोधन को निबंधित करने से इंकार किया गया हो, अपील की जा सकती है। तो रजिस्ट्रार पहले तो इंकार ही नहीं करेगा और अगर करे तो अपील हो सकती है। इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) के भाग (२) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय फूलसिंह जी ने श्री जगदीश प्रसाद जी को अधिकृत किया है इसलिए वे इस संशोधन को उपस्थित करना चाहें तो करें।

श्री जगदीशप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय ।

"प्रतिबंध यह है कि निबंधक निबंधित करने से पूर्व वित्त पोषण बैंक, यदि कोई हो, से परामर्श करेगा ।"

"वित्त पोषित बैंक" की परिभाषा में कहा गया है कि "वित्त पोषण बैंक" या "केंद्रीय बैंक" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य उन सहकारी समितियों को रुपया उधार देना है जो उसके सदस्य हैं ।

अगर यह नहीं करते हैं जैसा संशोधन में है तो हो सकता है कि यह स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से 'वित्त पोषक बैंक' पर गलत प्रभाव डाले । इसीलिए यह संशोधन है कि वित्त पोषण बैंक की भी पहले अनुमति ले ली जाय । माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं तो समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि यह रजिस्ट्रार पर एक और प्रतिबंध जोड़ देगा । अच्छा हो, श्री जगदीश प्रसाद जी इसे वापस लेलें ।

श्री जगदीश प्रसाद—

तो मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) के भाग (२) के पश्चात् निम्नलिखित भाग २-(क)—निम्न रूप में रख दिया जाय : —

"२ (क) यदि निबंधक किसी सहकारी समिति की उपविधियों में संशोधन स्वीकार करे तो वह अपने हस्ताक्षरयुक्त संशोधित उपविधि की एक प्रति जो उसके द्वारा एक प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गयी हो, जारी करेगा । उक्त प्रति इस बात की निश्चयात्मक साक्ष्य होगी कि संशोधन यथाविधि किया गया है और निबंधित कर दिया गया है ।

श्रीमन्, इस विधेयक के अन्दर उपविधियों के रजिस्ट्रेशन का जिक्र है, लेकिन उसकी अथारिटेटिव वैल्यू क्या होगी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है । इस संशोधन को रखने का मेरा मतलब यह है कि अगर रजिस्ट्रार किसी भी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन करे तो उस वक्त रजिस्ट्रार उसको एक प्रतिलिपि जारी करेगा । उस पर उसके हस्ताक्षर होंगे ताकि वह प्रमाण-पत्र के रूप में मानी जाय । जैसे प्रारंभ में सोसाइटी को रजिस्ट्री करने के बाद एक प्रमाण-पत्र जारी करता है जो इस बात की साक्षी होती है कि वह विधिवत् रजिस्ट्री कर दी गई है और एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है । उसी तरीके से मेरे संशोधन का आशय यह है कि जब बाईलाज भी रजिस्टर्ड हो जायेंगे तो बाईलाज की रजिस्टर्ड कापी का भी उसको जारी करने का अधिकार होना चाहिए । अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई है तो बाईलाज में कोई संशोधन हो सकता है और उस बाईलाज का संशोधन होने के बाद रजिस्ट्री होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होने के बाद वह बाइलाज उसका पार्ट बन सकें । इस विधेयक के अन्दर यह दिया है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई भी बाईलाज, कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड समझी जायगी और तभी वह विधिवत् मानी जायगी । इसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी कोआपरेटिव सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड हो जाय तो उसके बाद अगर बाईलाज का भी संशोधन होगा तो वह बाई-लाज उसके पार्ट नहीं हो सकते । इसलिए ऐसी इसमें परिभाषा होनी चाहिए कि बाई-लाज का भी रजिस्ट्रेशन बाद

को किया जाय तो वह उसमें शामिल समझे जायं। मैं आपको बतलाऊं कि मद्रास के ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि—

"Bye Laws means the registered bye laws for the time being in force and includes a registered amendment of the bye laws."

अगर बाद को बाईलाज में अमेंडमेंट हो तो वह भी पार्ट उसका हो जायगा अपने आप ही, लेकिन इस विधेयक के अन्दर बाईलाज की वह डेफिनीशन नहीं है जो मद्रास के ऐक्ट के अन्दर है। इसलिए यहां पर भी वही डेफिनिशन होनी चाहिए कि अगर बाद को बाईलाज के अन्दर कोई अमेंडमेंट हो तो वे बाईलाज के अमेंडमेंट भी शामिल हो जायं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वे बाईलाज जिस रूप में रजिस्टर्ड हो जायं या जिस रूप में संशोधित किए जाएं उसका एक प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जारी करे, उस समिति को दे या उस अभ्यर्थी को दे जो रजिस्ट्रीके लिए आया हो। वह हस्ताक्षर युक्त होगा तो इस बात का प्रमाण होगा कि वह बाईलाज संशोधित रूप में उसको दे दिए गए हैं। वे सही रूप में समझे जायेंगे और रजिस्ट्री का भी प्रमाण-पत्र हो जायगा। मैं समझता हूं कि अगर यह चीज नहीं आयेगी तो एक बहुत बड़ी अनामली हो सकती है और वह जो अमेंडमेंड बाईलाज होंगे उसकी प्रतिलिपि सहकारी समिति के पास नहीं होगी और उस अभ्यर्थी के पास भी नहीं होगी जो अमेंडमेंट करता चाहता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि यह संशोधन जिस रूप में मैंने दिया है उसको मान लिया जाय तो हस्ताक्षर से वह एक प्रतिलिपि जारी कर देगा जो सही रूप में प्रमाण-पत्र के रूप में वह किसी को भी दिखा सकता है और बतला सकता है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री विजयसिंह—

मान्यवर, यह संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही विधि के अनुकूल है। ला प्वाइंट आफ व्यू से इसका होना जरूरी है। समिति के आवश्यक कार्य हेतु कुछ उप-विधियां आदि होंगी। उनमें समय-समय पर जो संशोधन होंगे उनकी पहले दो प्रतियां देने का प्राविधान था। अब इस विधेयक के खण्ड ६ के उप-खण्ड (२) के (क) में यह स्पष्ट दिया गया है कि जब निबंधन के लिए कोई प्रार्थना-पत्र देगा तो उसकी तीन प्रतियां देगा। पहले एक प्रति सोसाइटी को चली जाया करती थी, दूसरी कापी वहां रह जाती थी। अब तो तीसरी कापी प्रमाण के स्वरूप में उसके पास रहेगी। अगर यह प्रति नहीं होगी तो सोसाइटी में घपला पड़ सकता है। इसलिए यह संशोधन जो रखा गया है बहुत ही आवश्यक है। प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य देना चाहिए।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, माननीय कमलासिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है वह तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उनकी भावना है वह हम खण्ड १३० के अन्तर्गत नियमों में इसको रख देंगे। जब हम नियम बनायेंगे तो इसी प्रकार का प्राविधान उस में कर देंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री विजयसिंह—

विधेयक में आ जायगा तो उसका वजन ज्यादा होगा।

श्री हिम्मतसिंह—

जब ऐक्ट में नहीं होगा तो नियमों में मंत्री जी कैसे कर देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

बिल में सारी ही बातें थोड़ी आ जाती हैं। नियम भी तो ऐक्ट का ही पार्ट होते हैं। हम नियमों में इसे कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय कमलासिंह जी को अपना संशोधन वापस लेने की यह सदन अनुज्ञा देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन--

आपने माननीय जगदीश प्रसाद जी का तो प्रश्न सदन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया था ?

श्री उपाध्यक्ष--

किया था।

*श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२(२) के अन्त में अधोलिखित बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि खंड १२(२) के उपखंड (३) के अनुसार अस्वीकृति की सूचना दो मास के भीतर निबंधक अवश्य दे देगा अन्यथा संशोधित उपविधियां स्वयंमेव प्रचलित मान ली जायेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी संशोधन बहुत मासूम सा है। यदि मंत्री महोदय देखें तो उसमें जो "संसूचित" शब्द लिखा है। खण्ड ७ में लिखा है "उसके कारणों सहित समिति को संसूचित करेगा"। इसके पहले खण्ड ७ पर जो बहस हो रही थी वह यहां पर होनी नहीं है। इसमें केवल इतना ही चाहिए कि अधिकारी पर अंकुश रखना है कि वह अवश्य सूचित कर दे। इसमें तो साफ नहीं है कि वह कब करेगा और न करने पर क्या होगा। संसूचित दो मास में कर देगा यह लिख दिया जाय तो ठीक हो जायगा। अगर अधिकारी संसूचित नहीं करेगा तो परेशानी होगी। इसलिए इस संशोधन को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है।

*श्री हिम्मतसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन हरिनाथ तिवारी जी ने पेश किया है इसी आशय का संयुक्त प्रवर समिति ने स्वीकार किया था और माननीय मंत्री जी ने अपनी राय बदली थी और राय बदलने का उनका मुख्य कारण यह था कि कोई कोरा कागज भेज दे, तो क्या होगा। उनका मतलब यह था कि सारे प्रदेश के अन्दर फर्जी बोगस कई समितियां बन जायेंगी। दूसरे उन्होंने सवाल यह रखा था कि ऐसा कोई विनियम है कि रजिस्ट्री स्वयमेव हो जाय। तो मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का जब वह विचार था और स्वीकार करने में दूसरा विचार था। अगर माननीय मंत्री इस समय होते तो मेरे विचारों से पूर्णतया सहमत होते। आपका यह विचार है कि यह समिति बनाई जायगी। ऐसा नहीं है, मान्यवर, कारण उसका स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आपका व्यवहार मैं समझता हूं क्योंकि आपके विचार तो मौके पर काम करा लेने में वैसे ही हो जाते हैं, वह इस संबंध में दिखाई पड़ रहा है। कोरा कागज ही भेज दिया जायगा तो भी स्वयमेव रजिस्टर्ड मान ली जायगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कागज आते हैं तो क्या आप सो रहे हैं आपको तुरन्त लिखना चाहिए कि कोरा कागज आया है इसलिए आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों न की जाय।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा प्रश्न यह है कि रजिस्टर्ड कहीं आटोमेटिकली भी हो जाता है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि कान्ट्रैक्ट जितने होते हैं वे लिखे जाते हैं। कोई पार्टी अगर कहती है कि वह रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहती तो वह जाकर रजिस्ट्रार आफिस में नोटिस देती है। चार महीने के अन्दर नहीं आती है तो आटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी अड़चन नहीं है।

एक और बात उन्होंने कही थी कि इसके द्वारा हम कुछ न कुछ लाभ कराने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। रेंट कंट्रोल ऐक्ट का भी हवाला दिया कि हम किराएदारों को सुविधा देते हैं। जितनी मकान मालिकों को है उतनी ही किराएदारों को भी है। उसमें भी कई कई साल तक उनकी दरख्वास्तें, अपीलें पड़ी रहती हैं। रेंट कंट्रोल की पोजीशन आप समझते हैं कि तीन-तीन चार-चार अपीलें साथ में हो जाती हैं जिसका आपने अधिकार दिया है, वह बहुत लम्बा अधिकार दिया है और सहकारिता के लिए कोई बड़ा भारी उपकार आपने नहीं किया है। जो खंड ७ में प्रतिबंध था वह अपनी जगह पर बहुत ही उचित था। ऐसे ही जो प्रतिबंध हरिनाथ जी ने रखा है वह भी बहुत उचित है। माननीय मंत्री जी की अगर पहले कुछ राय रही हो, तो अब वह उसको बदलें क्योंकि इससे सहकारिता आन्दोलन के लिए ही सहयोग मिलेगा, इसलिए इसको मान लें। यह संशोधन बहुत ही मासूम है, निर्दोष है और इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री रक्षपाल सिंह--

श्रीमन्, यह जो माननीय हरिनाथ जी ने संशोधन रखा है यह बड़ा आवश्यक है। वैसे तो माननीय मंत्री जी इसके बारे में यह कह सकते हैं कि इसी प्रकार का संशोधन अभी सदन में अस्वीकृत कर दिया है और इस कारण से इसका भी कोई महत्व नहीं है। परन्तु, श्रीमन्, अगर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे तो दोनों स्थितियों में महान् अन्तर है। पहली बात तो जैसे उसमें कही गयी कि इससे ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर्ड समझी जाने में उनका नम्बर ही न पड़े और दस समितियां कहने लगें कि हम इस नम्बर पर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक समिति रजिस्टर्ड हो गई और उन्होंने अपने काम करने के आधार पर यह अनुभव किया कि अब हमको यह आवश्यकता है कि हम नियमों में परिवर्तन करें जो कि अनुभव से पता चल सकता है तो ऐसी स्थिति में यह अधिकार अगर दे दिया जाय तो उससे कोई नुकसान नहीं है, जैसे कि जनरल डिस्कशन में भी कहा गया था। इसमें तो हर कदम पर रोक है, रजिस्ट्रेशन करने पर भी रोक, विकास करने पर भी रोक, हर चीज पर रोक है। समिति वास्तव में अगर कोई संशोधन करेगी और उसके बाद अगर वह उस पर कार्य करना शुरू कर देगी तो उससे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। वह संशोधन ऐसा रहेगा कि जो समिति अपने फायदे के लिए नियमों के अन्तर्गत करेगी और दो महीने बीत जाने पर उस पर कार्य करना अरंम्भ कर देगी, तो उसमें क्या हर्ज है? इससे रजिस्ट्रेशन में भी और विभाग में भी कहीं कोई गड़बड़ पड़ने वाला नहीं है। यह आवश्यक इसलिए है कि अगर दो महीने के अन्दर रजिस्ट्रार आफिस कोई जवाब न दे तो उसके अनुसार काम करने के लिए उसको अधिकार हो और इसमें कोई भी वह संभावनाएं नहीं हैं जो कि पहले व्यक्त की गई थीं।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, इस संशोधन की बहुत-सी चीजें उसमें पहले हम कर चुके हैं और वह उसमें आ जाती हैं। वह जब स्वीकृत करेगा तो हमने मान लिया है कि नियमों में हम उसका प्राविधान करेंगे कि कैसे वह उसकी प्रमाणित कापी देगा। अस्वीकृत करेगा तो उसके लिए लाजिम होगा कि जैसे ही उनके पास आए वह उसको देखकर के सूचित कर दें। रक्षपाल सिंह जी ने कहा कि अगर नियमों के अन्तर्गत किया है तो उसमें हर्ज ही क्या है काम आरंभ करने में। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी उस सोसाइटी के हित में सब कुछ होते हुए भी दूसरी सोसाइटीज के लिए या स्टेट की जो हमारी पालिसी है उसके वह विपरीत हो। समिति अपने हक में तो बिलकुल

[श्री बंशीधर पांडेय]

ठीक हो सकती है, लेकिन किसी दूसरी सिस्टर आर्गेनाइजेशन या हमारी स्टेट की पालिसी के खिलाफ वह चीज हो सकती है। इसलिये रजिस्ट्रार को उसे देखना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रार उसको नामंजूर करता है तो धारा ९८ के अन्तर्गत उसको अपील करने का अधिकार है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय मंत्री जी फालो नहीं कर सके हैं। केवल इतनी सी बात है कि आप सूचित कर दें और दो मास के अन्दर सूचित कर दें।

श्री बंशीधर पांडेय--

उसके लिये हमारा प्रयास होगा कि वह जितनी जल्दी हो सके कर दिया जाय और वह तो सरकार के डाइरेक्शन से हो सकता है कि जैसे हो जाय वैसे ही उसको देखकर के ठीक कर दें। अगर स्वीकृत करें तो नियमों के अन्तर्गत सूचित कर दें और काटें तो भी सूचित कर दें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसूचित शब्द आपने रखा है, लेकिन वह संसूचित कब तक करेगा? बाई लाज में अगर कोई संशोधन के लिये प्रार्थना-पत्र देता है तो आप समय से उसे सूचित कर दें। इसमें आपका क्या हर्ज है? हम तो अधिकारी के ऊपर केवल अंकुश चाहते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

रजिस्ट्रेशन में हमने अंकुश लगा दिया है। इसमें वह जितनी शीघ्रता से कर सकेंगे, करेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

आपके अधिकारी सोते रहते हैं। कोई भी समय आप निश्चित कर दें।

श्री उग्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम विरोधी दलों ने माननीय अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव आपके कार्यलय में दे दिया है। कल आप उसे ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

कायदे के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, मुझे इस संशोधन पर और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १२(२) के अन्त में अधोलिखित बढ़ा दिया जाय :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड १२(२) के उपखंड (३) के अनुसार अस्वीकृति की सूचना २ मास के भीतर निबन्धक अवश्य दे देगा अन्यथा संशोधित उपविधियां स्वयमेव प्रचलित मान ली जायंगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखण्ड (२) के भाग (३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :--

"प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धित करने से इन्कार करने के पूर्व सम्बन्धित समिति तथा व्यक्तियों को निबन्धक नोटिस देगा और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित आदेश देगा ।"

श्री उपाध्यक्ष--

अब आज कल जारी रखें ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मैं इसका विरोध करता हूं । श्रीमन्, इसकी कापीज भी हमको नहीं मिलीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पिजन होल्स में पहले ही रखवा दी गयी हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

एक प्रति हमको दिलवा ही दीजिये ।

(विधेयक की कुछ कापियां बांटी गयीं ।)

श्री विजयसिंह (जिला जलौन)--

यह तो एजेन्डे पर नहीं था, फिर कैसे लाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

फार्मल मोशन लाया जा सकता है ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, एक विधेयक जारी था और उस पर मैं अपना संशोधन पेश कर चुका था । जब तक उस पर कोई निर्णय न हो जाता दूसरा विषय कैसे आ सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

औपचारिक विषय तो कभी भी आ सकते हैं । जब उस पर विचार होगा तब आप चाहें जो कह सकते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव--

हमारा कांस्टीट्यूशनल अधिकार तो हमें मिलना ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब इस पर विचार होगा तब आपको कहने का अधिकार होगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

ठीक है, हमारा यह अधिकार रिजर्व रहा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ ६१३-६१८ पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम कल ११ बजे दिन तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मिथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३० अगस्त, १९६५ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर)

राज्य में अकाल की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित जिलों में अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।

जिले का नाम	आवंटन की मात्रा (टनों में)	जिले का नाम	आवंटन की मात्रा (टनों में)
१—देवरिया ..	३६०	१४—रायबरेली ..	२००
२—आजमगढ़ ..	३६०	१५—लखनऊ ..	५०
३—गोरखपुर ..	३५०	१६—उन्नाव ..	५०
४—बलिया ..	२००	१७—हरदोई ..	५०
५—बस्ती ..	३९०	१८—सीतापुर ..	५०
६—मिर्जापुर ..	३००	१९—खेरी ..	५०
७—गाजीपुर ..	२००	२०—बाराबंकी ..	५०
८—इलाहाबाद ..	४५०	२१—सुल्तानपुर ..	२५०
९—झांसी ..	२००	२२—जालौन ..	५०
१०—बांदा ..	२००	२३—हमीरपुर ..	५०
११—प्रतापगढ़ ..	२५०	२४—फतेहपुर ..	५०
१२—शाहजहांपुर ..	५०	२५—फर्रुखाबाद ..	१००
१३—जौनपुर ..	२५०		

संसद सदस्य सभा

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम ३९(२) के तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर]

सरसौल, बिधून, कल्याणपुर विकास खण्डों के ग्राम जो महापालिका, कानपुर की सीमा में पड़ते हैं ।

सरसौल विकास खंड

१—बगाही
२—बिनायकपुर
३—चंदारी
४—चक कस्बा मलिक
५—जाना
६—जूहीं कला
७—जूहीं खुर्द
८—खेयोरा बांगर
९—कुलगांव
१०—किशनपुर
११—कपीली
१२—मदारपुर
१३—रूमा
१४—रावतपुर
१५—सकरापुर
१६—टिकरिया
१७—तातारपुर
१८—उसमानपुर

बिधून विकास खंड

१—अहिरवां
२—आराजी परदमनपुर
३—अर्रा
४—विन्गवा
५—छतमरा
६—चकेरी
७—दौलतपुर उर्फ घनी खेड़ा
८—देहली सुजानपुर
९—धारू खेड़ा
१०—गौरैया
११—गुसारीमऊ
१२—गुटैया
१३—हसपुर
१४—हसनपुर
१५—जमुई
१६—जगतपुर
१७—जरौली
१८—तौधकपुर
१९—टिकरा पैझम्बरपुर
२०—उचटी

कल्याणपुर विकास खंड

१—अमरामऊ
२—विसायकपुर बांगर
३—बैरी अकबरपुर बांगर
४—बाढ़पुर मछरिया
५—बीबीपुर
६—वाजीदपुर उर्फ जाजमऊ
७—वारा सिरोही
८—दबौली
९—गुजैनी
१०—गंगापुर
११—गज्जूपुरवा
१२—कल्याणपुर कलां
१३—कल्याणपुर खुर्द
१४—खजूरी
१५—कल्याणपुर नखल
१६—कमालपुर कानपुर
१७—खांडेपुर
१८—काकादेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९—कानपुर कोहना
२०—लखनपुर
२१—मिर्जापुर
२२—मुजफ्फरपुर
२३—मवैया
२४—नौरेया खेड़ा
२५—नौबस्ता
२६—नेहूरा
२७—नारायन कानपुर
२८—पनकीगंगागंज
२९—पोखरपुर
३०—परदेवनपुर गौशाला
३१—पेबन्दी
३२—पन्कीभाव सिंह
३३—शाहपुर मोहसिनपुर
३४—शतवरी
३५—सन्गवा
३६—सजारी
३७—शफीपुर कानपुर
३८—सरायेराम राय
३९—शेखपुर
४०—सीसामऊ
४१—सीड फार्म कानपुर
४२—टटिया झनाकू ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१९ पर)

क्रम संख्या	प्रार्थी का नाम	प्रार्थी द्वारा सोसाइटी के पक्ष में भूमि बन्धक रखने की तिथि	सोसाइटी द्वारा बैंक के पक्ष में भूमि बन्धक रखने की तिथि	असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज, फतेहपुर द्वारा ऋण की किस्त देने के लिए की गई सिफारिश की तिथि
१	श्री रघुवीर सहाय ..	११-११-१९६३	६-१-१९६४	१२-११-१९६३
२	श्री पी० के रायजादा ..	२३-१२-१९६३	२३-१२-१९६३	२-१-१९६४
३	सर्वश्री मनबोधन, गया प्रसाद	१६-६-१९६३	४-११-१९६३	४-११-१९६३
४	श्री रमेश चन्द्र। श्रीमती शिवकुमारी देवी	३-१२-१९६३	६-१-१९६४	२२-१-१९६४

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२९ पर)

(१) वर्ष १९६२ में प्राप्त शिकायतों पर जांच के अनुसार चेयरमैन ने आवश्यकता से अधिक स्टाक तहबाजारी की वसूली के लिये रखा और जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन नहीं किया।

(२) १९५८–५९ से चैयरमैन नियम विरुद्ध तहबाजारी वसूल करते आ रहे है।

(३) वसूली में लगे व्यक्ति चेयरमैन के व्यक्तिगत कर्मचारी में से हैं।

(४) वसूली की रसीदें प्राइवेट छपवाई हुई हैं।

(५) चैयरमैन सदस्यों की प्रार्थना पर मीटिंग नहीं बुलाते। मीटिंग हुई भी तो उन सदस्यों को भाग नहीं लेने देते तथा इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का भी उल्लंघन किया।

(६) चेयरमैन के व्यक्ति भी मीटिंग में अनाधिकृत रूप से बैठ कर सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

(७) कमेटी के कर्मचारियों की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है तथा आवश्यकता से अधिक नियुक्ति हुई है।

(८) तहबाजारी के वसूलों में चेयरमैन मनमानी करते हैं तथा हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा जाता।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३६ पर)

सारणी

१—श्री धर्मपाल सिंह ..	.. हाई स्कूल द्वितीय इन्टरमीडिएट (आर्ट्स) तृतीय ।
२—श्री रामधार मिथुल ..	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
३—श्री कुवेर सिंह शक्या	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
४—श्री अनुवारुल हुसैन ..	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
५—श्री प्रेम सिंह ..	.. हाई स्कूल, द्वितीय ।
६—श्री रमेश चन्द्र सिंह ..	.. हाई स्कूल तृतीय ।
७—श्री गजराज सिंह	.. हाई स्कूल, तृतीय । इन्टरमीडिएट, तृतीय (आर्ट्स) ।
८—श्री रतिराम सागर जाटव	.. हाई स्कूल, द्वितीय । इन्टरमीडिएट, तृतीय (आर्ट्स)
९—श्री रामधन जाटव ..	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
१०—श्री दया राम जाटव ..	.. हाई स्कूल, द्वितीय ।
११—श्री सन्त स्वरूप सुख्या	.. हाई स्कूल, द्वितीय ।
१२—श्री लखन सिंह जाटव	.. हाई स्कूल, द्वितीय । इन्टरमीडिएट, (साइंस)
१३—श्री राम अवतार शर्मा	.. हाई स्कूल ।
१४—श्री रघुवीर सिंह यादव	.. हाई स्कूल, द्वितीय ।
१५—श्री छत्र पाल सिंह ..	.. हाई स्कूल, तृतीय । इन्टरमिडिएट, द्वितीय (साइंस) ।
१६—श्री या राम जाटव	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
१७—श्री ध्रुव राज सिंह ..	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
१८—श्री सुरेश चन्द्र ..	.. हाई स्कूल, द्वितीय । इन्टरमिडिएट तृतीय, (साइंस) ।
१९—श्री ओम प्रकाश यादव	.. हाई स्कूल द्वितीय ।
२०—श्री प्रकाश देव पांडे ..	.. हाई स्कूल, द्वितीय ।
२१—श्री सैयद मौसम अली	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
२२—श्री ब्रज भान सिंह ..	.. हाई स्कूल, द्वितीय ।
२३—श्री देवेन्द्र सिंह ..	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
२४—श्री मुनीम सिंह	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
२५—श्री राम प्रकाश सिंह	.. हाई स्कूल द्वितीय ।
२६—श्री ओम प्रकाश यादव (ज्योति)	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
२७—श्री ऐजाज अहमद ..	.. हाई स्कूल, द्वितीय । इन्टरमीडिएट, तृतीय (साइंस) ।
२८—श्री कलक्टर सिंह ..	.. हाई स्कूल, तृतीय ।
२९—श्री आनन्द स्वरूप सक्सेना	.. हाई स्कूल द्वितीय । .. इन्टरमीडिएट, तृतीय (साइंस) ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९६१ का आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिए

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षक नाम

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा ५ का संशोधन

"(३) क्षेत्र समिति का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, किन्तु जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाय, तब तक उसी स्थान पर होगा, जहां पर वह उत्तर प्रदेश समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व स्थित था ।"

३—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्

धारा ८ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि राज्य सरकार की राय में खंडों का पुनःसंघटन करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टकर है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा सभी या किन्हीं क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त कर सकती है ।"

४—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्

नयी धारा ८ का बढ़ाया जाना

८-क—(१) यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (३) के अधीन, खंडों के पुनः संघटन या उपधारा (२) के अधीन किसी खंड की (जिसका परिणाम आगे मूल खंड कहा गया है) क्षेत्र समिति का प्रमुख या सदस्य किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड रहा हो जो धारा ४ के अधीन दूसरे खंड में सम्मिलित कर लिया गया हो, तो वह धारा ६ तथा ८ में किसी बात के होते हुए भी मूल खंड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या सदस्य न रह जायगा और उस दूसरे खंड (जिसे आगे नया खंड कहा गया है) की क्षेत्र समिति का सदस्य नये खंड की क्षेत्र समिति के शेष कार्यकाल के लिए हो जायगा ।

(२) यदि धारा ४ के अधीन खंडों के क्षेत्रों में परिवर्तन होने के कारण, कोई खंड विद्यमान न रह जाय अथवा धारा ८ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किसी खंड की क्षेत्र समिति का कार्यकाल

समाप्त कर दिया जाय, तो ऐसे खंड की क्षेत्र समिति के प्रमुख तथा सदस्य जो धारा १८ की उपधारा (१) के क्रमशः खंड (१) तथा (२) के अधीन जिला परिषद् के सदस्य हों, धारा १८ और २० में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् के शेष कार्यकाल के लिए परिषद के सदस्य बने रहेंगे।

धारा १५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १५ में—

(१) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधाराएं बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

"(४-क) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिए स्थगित हो जायगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (४-ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(४-ख) यदि उपधारा (४) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्संबंधी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिए स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु वह दिनांक उपधारा (३) के अधीन बैठक के लिए निश्चित दिनांक से ३० दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित-रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (३) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।"

(२) उपधारा (५) में शब्द "इस धारा" के पूर्व शब्द, कामा तथा अंक "उपधारा (४-क) तथा (४-ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर बढ़ा दिये जायं;

(३) उपधारा (८) में शब्द "प्रस्तुत किया जायगा" और तत्पश्चात् आये हुए पूर्ण विराम के बीच में शब्द "जो गुप्त मतदान द्वारा होगा" बढ़ा दिया जाय, और

(४) उपधारा (१२) और (१३) में जहां-जहां भी शब्द "बारह महीने" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं।

धारा १७ का संशोधन

६—मूल अतिनियम की धारा १७ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२-क) परिषद का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, किन्तु जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाय तब तक उसी स्थान पर होगा, जहां पर वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व स्थित था।"

धारा २८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा २८ में—

(१) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधाराएं बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

"(४-क) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिए स्थगित हो जायगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (४-ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(४-ख) यदि उपधारा (४) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्संबंधी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिए स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा (३) के अधीन बैठक के लिए निश्चित दिनांक से ३० दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (३) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।

(२) उपधारा (५) में शब्द "इस धारा" के पूर्व शब्द, कामा तथा अंक "उपधारा (४-क) तथा (४-ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, बढ़ा दिये जायं;"

(३) उपधारा (८) में शब्द "प्रस्तुत किया जायगा" और तत्पश्चात् आये हुए पूर्ण विराम के बीच में शब्द "जो गुप्त मतदान द्वारा होगा" बढ़ा दिये जायें, और

(४) उपधारा (१२) और (१३) में, जहां-जहां भी शब्द "एक वर्ष आये हों, उनके स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं।

धारा ३० का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"३०—धारा ६ और ८ के प्रयोजनों के लिए राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद् के सदस्य का निवास-स्थान वही समझा जायगा जो ऐसे सदस्य के रूप में, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की विज्ञप्ति में उल्लिखित हो।"

धारा ३७ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ३७ में, खंड (२) का उपखंड (क) निकाल दिया जाय।

धारा ३९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ३९ में—

(१) उपधारा (१) और (३) में, जहां-जहां भी शब्द "शिक्षा अधीक्षक" "पंचायत राज अधीक्षक" तथा "सिंचाई अधीक्षक" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "शिक्षा अधिकारी" पंचायत राज अधिकारी" तथा "सिंचाई अधिकारी" रख दिये जायें;

(२) उपधारा (२) में शब्द "अथवा जिनका नियोजन (employment) परिषद् के संकल्प द्वारा अपेक्षित हो" तथा प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायें;

(३) उपधारा (३) में शब्द "सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत राज अधिकारी" रख दिये जायं;

(४) उपधारा (३-क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं रख दी जाएं, अर्थात्—

"(३-क) राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (१) के उपखंड (४), (५) और (६) में उल्लिखित सभी या

कोई पद ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जायें, पदेन धारण किये जायेंगे :

"(३-ख) राज्य सरकार, आदेश द्वारा जिला परिषद् में अधिकारी या सेवक का कोई अन्य पद सृजित कर सकती है और—

(क) निदेश दे सकती है कि ऐसा पद राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जो निर्दिष्ट किया जाय, पदेन धारण किया जायगा, या

(ख) किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकती है, या

(ग) ऐसे पद पर भर्ती को नियमित कर सकती है, और ऐसी शर्तों को जिन पर वह पद धारण किया जायगा निर्दिष्ट कर सकती है ।

(३-ग) उपधारा (३-ख) के अधीन इस प्रकार सृजित कोई पद राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं किया जायगा ।"

धारा ४३ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(३) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए परिषद् के अधीन उपधारा (१) तथा (२) में वर्णित पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियां—

(क) अध्यापकों की दशा में, नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा संघटित शिक्षक चुनाव समिति की परामर्श से,

(ख) अन्य दशाओं में, धारा ४५ के अधीन संघटित चुनाव समिति के परामर्श से,

अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दशा में अध्यक्ष का यह मत हो कि, यथास्थिति, शिक्षक चुनाव समिति या चुनाव समिति की सलाह अनुचित या अन्यायपूर्ण है तो वह मामले को मंडल के आयुक्त को अभिदिष्ट कर सकता है जिसका उस मामले में निर्णय अंतिम और बन्धनकारी होगा ।"

धारा ४७ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

१२—मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"४७—(१) धारा ४३, ४४ और ४६ में किसी बात के होते हुए भी, धारा ४३ की उपधारा (१) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां, धारा ४३ में या धारा ४४ के अधीन बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग से परामर्श किये बिना की जा सकती है, किन्तु उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, ऐसी कोई नियुक्ति आयोग से परामर्श किये बिना एक वर्ष से अधिक नहीं चलेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गयी नियुक्तियां, विशेष परिस्थितियों में, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी परिषद् हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, आयोग से परामर्श किये बिना दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये जारी रह सकती हैं ।"

धारा ५५ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ५५ में शब्द परिषद् या क्षेत्र समिति "में नियोजित प्रत्येक अधिकारी या सेवक" के स्थान पर शब्द तथा कामा "परिषद् या क्षेत्र समिति के प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप-प्रमुख, सदस्य अधिकारी या सेवक" रख दिये जायें।

धारा २७४ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा २७४ की उपधारा (१) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि उन क्षेत्रों के संबंध में जिनमें आस्थान जमींदारी विनाश से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन राज्य में निहित न हुए हों, उक्त ऐक्टों के उपबन्ध, उस सीमा तक, जहां तक उनका सम्बन्ध स्थानिक कर आरोपित तथा वसूल करने से है, इस प्रकार निहित होने के दिनांक तक प्रचलित रहे समझे जायेंगे।"

विरसन तथा अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९५५

१५—(१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम १५ जुलाई, १९६५ को प्रारम्भ हुआ था।

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (उ०प्र०अधिनियम संख्या ३३, १९६१) की धारा ४५ में एक चुनाव समिति की व्यवस्था की गयी है जो जिला परिषद् द्वारा अनुरक्षित स्कूलों में, नियुक्ति के लिए औरों के साथ-साथ अध्यापकों का चुनाव करेगी। अनुभव से अब यह प्रतीत हुआ है कि शिक्षकों का चुनाव करने के लिए एक विशेष चुनाव समिति होनी चाहिये। यह निर्णय किया गया था कि जिला परिषदों के अधीन नियुक्त किये जाने के निमित्त शिक्षकों का चुनाव करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक पृथक चुनाव समिति संघटित करने की व्यवस्था की जाय। चूंकि नया शिक्षा सत्र आरम्भ हो चुका था और जिला परिषदों को बहुत-सी नियुक्तियां करनी थीं इसलिये अधिनियम में तुरन्त संशोधन करना नितान्त अनिवार्य था।

चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, अतः १५ जुलाई, १९६५ को एक अध्यादेश, अर्थात् उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ प्रख्यापित किया गया। इसके द्वारा धारा ४३ को संशोधित किया गया तथा कुछ और संशोधन भी किये गये जो प्रशासकीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक थे।

प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है। इसी अवसर पर इसमें कुछ अन्य संशोधन भी जिन्हें इष्टकर समझा गया सम्मिलित कर लिये गये हैं। विशेषतः खंडों के प्रस्तावित पुनःसंघटन के संबंध में आवश्यक उपबन्ध बनाये जा रहे हैं।

तदनुसार, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

राममूर्ति,
बिकास मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११९ एल० ए०—१९६५—८६२।